समसामयिकी

फरवरी - 2015

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

मुख्य मुद्दे

1. समाज में बढ़ती असहिष्णुता
24. समस्याएं और चुनौतियां
26. विभिन्न मानदंडों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

राजव्यवस्था एवं प्रशासन

29. विचाराधीन कैदियों के लिए मतदान का अधिकार
30. GIPC सूचकांक
31. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (WPFI)
31. जिलों में निहित आतंरिक असमानता;
31. रेजिलिएन्ट सिटी (RESILIENT CITY)
32. महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व
32. सार्वजनिक वितरण प्रणाली लीकेज
33. राजनीतिक वित्त पोषण
34. राजनीति का अपराधीकरण रोकना
35. विशेष वाणिज्यिक न्यायलय
35. धार्मिक अधिकार बनाम सार्वजनिक नैतिकता
36. विवाह कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव
36. किशोरों की वयस्कों के रूप में सुनवाई
37. संविधान का अनुच्छेद 25
38. धर्मांतरण विरोधी विधायन:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत एवं विश्व

39. भारत-श्रीलंका संबंध
39. यमन में राजनीतिक संकट
40. रूस-भारत-चीन (आर.आई.सी.) समूह
42. पाकिस्तान में सांप्रदायिक संघर्ष:
42. अरंजकता (ऐल्बिनिज़्म) से पीड़ित लोग
42. सीन और डेविड गोल्डमैन अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण रोकथाम और वापसी अधिनियम
43. 50 वर्षों के बाद अमेरिका और क्यूबा के संबंध बहाल:
44. नेपाल में संवैधानिक गतिरोध:
45. शंघाई सहयोग संगठन : रूस भारत की पूर्ण सदस्यता का समर्थन करेगा
45. समूह की सदस्यता भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
46. त्रिपक्षीय भागीदारी: चीन, भारत और श्रीलंका

अर्थव्यवस्था

47. प्रभावोत्पादक निवेश (Impact investment) :
47. जीडीपीMP = जीडीपीFC + अप्रत्यक्षकर - सब्सिडी:
48. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी अन्त: प्रवाह के नये नियम
49. चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट - अनुशंसाएँ व विश्लेषण:
50. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास व वित्तीयन निगम (NMDFC):
51. धारणीय आजीविका तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजना (Sustainable Livelihoods and Adaptation to Climate Change Project) {SLACC}:
53. थोक मूल्य सूचकांक (WPI)
53. पाँचवा भारत-अमरीका आर्थिक व वित्तीय साझेदारी संवाद:

सामाजिक एवं स्वास्थ संबंधी मुद्दे

55. सहस्राब्दि विकास लक्ष्य: भारत की उपलब्धि
56. आरक्षण और संगठनात्मक दक्षता
56. वर्ग-प्रस्थिति की स्व-पहचान (Self-identification of class status)
57. सामाजिक दुराभाव
58. सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय के उच्चतर स्तर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण

59. सफर-एयर (SAFAR–AIR):
59. सेन्टर फार साइंस एण्ड एन्वायरमेन्ट्स (CSE) ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट:
60. घोलरंध्र (सिंकहोल) निर्माण:–
60. प्लास्टिक कचरे से हानि:
61. दवा वितरण में सिरिंज का विकल्प:-
61. नई दिल्ली धारणीय विकास सम्मेलन:-
63. त्रि जनकीय संतान (Three Parent Babies):
63. इन्टरनेट. ओ. आर. जी. /Internet.org
64. सुपीरियर वाटर फिल्टर:
64. टी बी उपचार:

 ©Vision IAS

65. राष्ट्रीय विकृमीकरण पहल (National Deworming Initiative):

66. 15,000 MW ग्रिड संयोजित सौर परियोजना (15000MW grid connected solar project):

66. आर. वी. समुद्ररत्नाकर

66. गैस हाइड्रेट्स:

67. मृदा स्वास्थ कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)

67. मृदा परीक्षक:

67. यान्त्रीकृत क्षेत्र प्रतिमान (Model Mechanized farm)

69. देशी मेडिकल चिकित्सा तंत्रों के मानकीकरण व प्रमाणीकरण की आवश्यकता:

69. इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार ने क्या किया है?

70. जन औषधीय योजना:

70. प्रतिरुपों का डिजीटलिकरण : (Digitisation of Specimens: ZSI):

70. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI)

71. ई-बिज पोर्टल

71. मार्स वन

71. ई.यू.सी.एन.(IUCN)की लाल सूची (red list)

73. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - विकास के लिए बाधा या सुगमता:

73. कानून समीक्षा: उच्च स्तरीय समिति (HLC)

73. रिपोर्ट की आलोचना

73. विकास से विस्थापित लोग:-

74. कार्बन डिस्क्लोज़र प्रोजेक्ट (CDP) : रिपोर्ट :-

75. स्कोप 1, 2 तथा स्कोप 3, उत्सर्जन प्रकार:

संस्कृति

76. मुद्रा भवन (CURRENCY BUILDING)

76. ग्रामीण भारत अन्वेषण (EXPLORE RURAL INDIA)

76. दक्षिण-पूर्वी देशो इंडोनेशिया तथा मलेशिया में भारतीय प्रदर्शनी

76. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM)

76. वनज 2015

77. महत्वपूर्ण पवित्र वन

77. मणिपुर का कबुई एवं ढोल चोलम नृत्य (Kabui and Dhol Cholam Dance)

77. बसंत रास (मणिपुर का नृत्य नाटक)

77. सिक्किम का घंटू (Ghantu) लोक नृत्य

77. जल्लीकटू (JALLIKATU)

77. जल्लीकटू के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

77. जल्लीकटू का इतिहास:

VISION IAS

मुख्य मुद्दे

समाज में बढ़ती असहिष्णुता

धर्म परिवर्तन से सम्बंधित विवाद

कुछ दक्षिणपंथी संगठनो द्वारा "घर वापसी" अर्थात् पुन: धर्मपरिवर्तन के प्रयासों ने धर्मान्तरण संबंधी विवाद को हवा दी हैं। इसने अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को चर्चा का विषय बना दिया है । एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में धर्मान्तरण का अधिकार भी निहित है ? सरकार के द्वारा सभी दलों को एक धर्मान्तरण विरोधी कानून पर विचार करने का आग्रह किये जाने ने, इस विषय को व्यापक चर्चा का विषय बना दिया है । धर्मान्तरण का मुद्दा स्वतंत्रता-पूर्व काल से ही विवादों का केंद्र रहा है।

भारतीय संविधान के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत अंत:करण की स्वंतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार/प्रसार की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28) शामिल हैं। 'प्रसार' से तात्पर्य, अपने धार्मिक विश्वास का अन्य लोगो के जीवन को उचित दिशा प्रदान करने के दृष्टिकोण से, धर्म के परिष्कृत रूप का प्रसार करना है जिसकी तार्किक परिणिती किसी अन्य को अपने धर्म में धर्मान्तरित करने में होती है। प्रसार से तात्पर्य है अनुनय और बिना किसी धोखाधड़ी, ज़बरदस्ती अथवा धर्मान्तरण के लिए प्रलोभन के बिना विचारों का प्रसार ।यह ध्यातव्य है कि किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मान्तरित करने का अधिकार, उसके अपनी पसंद के मत में धर्मान्तरित होने के व्यक्तिगत अधिकार से भिन्न है।जहा स्वेच्छा से,अपने अंत:करण के अनुसार किसी भी मत या संप्रदाय में धर्मान्तरित होना , निश्चित रूप से संविधान प्रदत्त धार्मिक तथा अंत:करण की स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप है,वही अपने द्वारा प्रसारित धर्म में किसी व्यक्ति को धर्मान्तरित करना राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में विवाद का केंद्र बना रहा है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

घर वापसी के विचार का मूल, स्वतंत्रता पूर्व आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती द्वारा प्रारंभ किये गए शुद्धि आन्दोलन में देखा जा सकता है। आन्दोलन का उद्देश्य अस्पृश्यता को खत्म करना और अन्य धर्म अपना चुके हिन्दुओं को पुन: हिन्दू धर्म स्वीकार करवाना था। अपने प्रारंभिक दौर में यह ईसाई मिशनरीज के धर्मान्तरण के प्रयासों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उदित हुआ । धार्मिक प्रसार का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मान्तरित करने का अधिकार नहीं देता ।

भारत में धर्मान्तरण के कारण

भारत में किसी भी धर्मावलम्बियों द्वारा धर्मान्तरण के प्रयास समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े तबकों पर केन्द्रित होते हैं। इन वर्गों को हिंदु धर्म के पदसोपानिक सामाजिक ढांचे, विशेषकर जाति व्यवस्था के भीतर गंभीर उपेक्षा का सामना करना पड़ता है । उन्हें अपने समान धर्मानुयायियों द्वारा भेदभाव एवं शोषण का सामना करना पड़ता है। वे बहुत गरीबी में जीवन यापन करते हैं तथा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नही कर पाते हैं। यही धर्मान्तरण के लिए प्रेरक कारक का काम करता है।

गांधीजी का मत: वे धर्मान्तरण और एक धर्म से दुसरे धर्म में परिवर्तित होने/करने के प्रयासों के विरुद्ध थे।

अम्बेडकर का मत: उन्होंने धर्मान्तरण को सामाजिक उन्नयन के एक साधन और जाति-आधारित भेदभाव के विरुद्ध विद्रोह के तरीके के तौर पर देखा। अम्बेडकर द्वारा 1956 में बौद्ध धर्म अंगीकार किये जाने की घटना ने 3,65,000 तत्कालीन अछूतों को इसी दिशा में प्रेरित किया।

संवैधानिक आधार

- इतिहास में वापस जाने के लिए, हमें संविधान भवन की उन बहसों से बातचीत शुरू करना होगा जब 6 दिसम्बर 1948 को संविधान सभा ने एक मौलिक अधिकार के रूप में "धर्म का प्रचार करने का अधिकार" को शामिल किए जाने पर बहस शुरू की थी।
- यहां लोकनाथ मिश्रा ने सभा को चेताया कि, "धर्म का नारा एक खतरनाक नारा है। आज भारत में धर्म, कट्टरता के एक बैनर तले अज्ञानता, गरीबी और महत्वाकांक्षा एकत्रित करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। इसके उद्देश्य राजनीतिक है और आधुनिक दुनिया में सब कुछ सत्ता की राजनीति है और आदमी की अंतरात्मा धूल में खो गई है।"
- लेकिन पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र ने असहमति जताई कि, "प्रचार से अनिवार्य रूप से तात्पर्य तलवार से, हथियारों के बल द्वारा या ज़बरन धर्मान्तरित करने से नहीं है।" प्रचार करने के मौलिक अधिकार का तर्क था कि यह शायद विभिन्न धर्मों के इस देश में मौजूद अन्य सह धर्मों के बारे में लोगों के मन में गलतफहमी' दूर करने के लिए काम कर सकता है।
- एच. वी. कामथ ने यह तर्क दिया कि, यद्यपि किसी धर्म विशेष को राज्य से संरक्षण प्राप्त नहीं करना चाहिए, फिर भी "हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि, हमारे इस देश में हम किसी व्यक्ति को उसके धर्म को मानने तथा आचरण ही नहीं वरन उसके प्रचार की स्वतंत्रता से भी वंचित नहीं करें।"

न्यायिक व्याख्या और क़ानूनी आधार

- भारत के मुख्य न्यायधीश ए. एन. रे की अध्यक्षता वाली पांच

सदस्यीय पीठ ने रेव. स्तानिस्लौस बनाम मध्यप्रदेश मामले में अनुच्छेद 25 का विवेचन किया कि " संविधान अन्य व्यक्तियों को अपने धर्म में धर्मान्तरण करवाने की नहीं वरन अपने धार्मिक उपदेशों के प्रसार अथवा प्रदर्शन की स्वतंत्रता देता है। " "एक के लिए जो स्वतंत्रता है वही स्वतंत्रता समान मात्रा में अन्य के लिए भी है और इसीलिए किसी अन्य को अपने धर्मं में धर्मान्तरित करना मूल अधिकार नहीं हो सकता है।

- रतिलाल पानाचंद गाँधी बनाम बॉम्बे राज्य के 1954 के मामले के संदर्भ में कोर्ट ने घोषित किया कि, "अन्त:करण की स्व-तंत्रता (अपने धर्मं में विश्वास की स्वतंत्रता) किसी एक धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं है वरन सभी के लिए समानरूप से उपलब्ध होती है"।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1950 में अरुण घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में दिए फैसले के अनुसार जबरन धर्मान्तरण द्वारा सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने का प्रयास कानून-व्यवस्था का उल्लंघन होगा और सम्पूर्ण समाज को प्रभावित करेगा। इस प्रकार इसने यह निर्धारित किया कि,राज्य संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्ठि I के तहत नागरिक अधिकारों के प्रवर्तन और सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए सम्बंधित क्षेत्र में धार्मिक स्वतंत्रता कानून को लागू करने हेतु सक्षम है। इस प्रकार इसने 1960 के दशक के मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम और उड़ीसा धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम जैसे दो क्षेत्रीय धर्मांतरण विरोधी कानूनों की वैधता को बरकरार रखा ।

धर्मान्तरण विरोधी कानून

- भारतीय दंड संहिता की धारा 295A और 298 के अंतर्गत जबरन धर्मान्तरण एक संज्ञेय अपराध है। इन प्रावधानों के अनुसार 'किसी की भावनाओं को आहत करने का ऐच्छिक तथा दुर्भावनापूर्ण प्रयास दंडनीय अपराध है।
- बीते वर्षों के विधायी इतिहास में, इस संबंध में अरुणाचल प्रदेश (1978) और गुजरात (2003) के कानूनों सहित कई धार्मिक स्वतंत्रता विधेयकों/कानूनों ने अपनी जगह बनायी है।
- 2006 के मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति धर्मान्तरण करना चाहता है तो उसे इस आशय से जिलाधीश के समक्ष घोषणा करनी होगी । यहाँ तक कि धार्मिक पुरोहित जो परिवर्तन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, उसे शुद्धिकरण कार्यक्रम की तथा धर्म परिवर्तन कर रहे व्यक्ति की सूचना,1 माह पूर्व जिलाधीश को उपलब्ध करानी होगी।
- इसी वर्ष छत्तीसगढ़ ने एक ऐसा ही कानून पारित किया जो कि धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्ति के द्वारा 30 दिन पूर्व इसकी सूचना दिया जाना एवं जिलाधीश से अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान करता है। हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2006 के पारित होने के साथ ही यह पहला कांग्रेस- शासित राज्य बना है जहाँ बलपूर्वक धर्मान्तरण वर्जित है।

आलोचना

- यह मुद्दा धार्मिक मामलों में राज्य और इसके न्यायालयों द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किये जाने के मौलिक और अधिक जटिल मुद्दे से संबंधित है। धर्मांतरण विरोधी कानून राज्य को 'अनुचित प्रलोभन' को निर्धारित करने अथवा परिभाषित करने का अधिकार देते हैं, यह स्थिति शक्ति के दुरुपयोग की सम्भा-वना को निर्मित करती है । वे ऐसे मामलों में जहाँ सरकार की नैतिक अधिमान्यताओं का प्रश्न है , वहाँ सरकार की भूमिका को बढावा देते हैं। ये कानून 'अधिकांश नागरिकों को खुद के लिए अच्छी तरह से सोचकर निर्णय लेने में असमर्थ' के रूप में देखने की संभ्रांत वर्ग द्वारा आरोपित राज्य की पितृवादी सोच को दर्शाते हैं।
- कई संवैधानिक विशेषज्ञ महसूस करते हैं कि इन कानूनों के प्रावधानों का दुरुपयोग सांप्रदायिक संगठनो द्वारा सामाजिक उत्थान में लगे लोगों के उत्पीडन में किया जा सकता है। एक मत के अनुसार मानवीय सहायता और लोगों की भलाई के लिए किये गए कार्य और प्रकारांतर से स्वेच्छापूर्वक धर्मान्तरण को भी आसानी से उकसावा और लालच पर आधारित साबित किया जा सकता है।
- इसके उलट , हाल के घर वापसी के मामलों में दक्षिणपंथी संगठनों ने बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड और ऐसे अन्य कई प्रकार के लोभ का प्रयोग कर पुन: लोगों को हिंदु धर्म में धर्मान्तरित करने में किया है।
- इस प्रकार ऐसे तरह के मामलों में जबरन धर्मान्तरण और स्वैच्छिक धर्मान्तरण के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति की प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने धर्मान्तरण पर पूर्ण प्रतिबन्ध की मांग की है, जो पूर्णत:असंवैधानिक है और संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
- धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जबरन धर्मान्तरण को रोका जाना चाहिए। इसके अनुसार "प्रलोभन या लालच की अवधारणा न केवल अस्पष्ट है बल्कि प्रत्येक धर्म के आमंत्रण में प्रलोभन या लालच का तत्व होता ही है। ये "अस्पष्ट परिभाषित शब्द" आपराधिक न्याय के मानकों को पूरा नहीं करते और इस मामले में कानून को सुस्पष्ट करने की जरूरत है।

राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता

1950 के दशक से ही रूढ़िवादी हिंदु समूहों ने धर्म परिवर्तन के नियमन के लिए राष्ट्रीय कानून की मांग उठाई है, जो कि उनके अनुसार भोलेभाले लोगों को बलपूर्वक या प्रलोभन द्वारा उनके पैतृक धर्म से दूर किये जाने से रोकने के लिए आवश्यक है ।

VISION IAS

तो क्या राष्ट्रीय कानून सहायक होगा ? क्या यह सटीक, स्पष्ट और सुस्पष्ट होगा ताकि संवैधानिक प्रावधानों (अधिकार और संरक्षण दोनों) को मजबूती दे सके? क्या यह वर्तमान विरोधाभासों को दूर कर सकता है? आखिर, हिंदु धर्म (कथित पुनर्वापसी के मामले में) सहित सभी धर्म अपने धर्म के प्रसार में संलग्न है और जबरदस्ती, प्रलोभन तथा लालच के आरोपों का सामना करते हैं। क्या सैद्धांतिक रूप से एक न्यूनतम परिभाषा पर सहमत हुआ जा सकता है, जो कि संविधान की भावनाओ के अनुरूप हो ।

विधि आयोग के अनुसार धर्मान्तरण और पुन:धर्मान्तरण के संदर्भ में उचित मार्गनिर्देश टकराव से बचने में सहायक होंगे । कानून इस प्रकार का होना चाहिए जो व्यक्ति के अन्त:करण का सम्मान करे । जब धर्म परिवर्तन व्यक्ति की उसकी ईश्वर में आस्था के अनुसार सोची-समझी इच्छा हो तो कानून उसे इसके लिए जिलाधीश की पूर्व अनुमति लेने को बाध्य नहीं कर सकता। धर्म परिवर्तन के बाद ही यह उचित होगा कि संबंधित सरकारी अधिकारी को सूचित कर दिया जाये।

संसद द्वारा कानून बनाया जाना आवश्यक है। आयोग का यह मानना है कि पृथक कानून या संशोधन किसी भी प्रकार किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता या विश्वास की का उल्लंघन नहीं करते।

परन्तु फिर भी, राज्य प्रवर्तित धर्मांतरण विरोधी कानूनों की उपरोक्त वर्णित आलोचना भी अपने स्थान पर सही है। इस प्रकार बिना किसी अंतिम निर्णय के बहस अभी भी जारी है।

निष्कर्ष

इन विवादों का कोई अंत नहीं है जब तक कि किसी व्यक्ति को एक विश्वास से दूसरे विश्वास में परिवर्तन करने हेतु धर्म के शक्ति या बल मिश्रित रूप के प्रयोग पर विवेकयुक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जाता । ऐतिहासिक रूप से भारत में कभी पूर्णतया धार्मिक आधार पर उत्पीडन नहीं देखा गया है। यूरोप, मध्य-पूर्व और अन्य जगह से तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस संदर्भ में भारत में सौम्य वातावरण हमेशा बना रहा है। धर्म आधारित युद्ध भारत के लिए एक अनजानी घटना है। परन्तु फिर भी भिन्न समुदायों में धधकते धार्मिक उन्माद के कारण धार्मिक हिंसा से भारत मुक्त नहीं रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर धर्मान्तरण के मौलिक अधिकार का कोई भी विचार भारत के पंथनिरपेक्ष ढांचे को बुरी तरह प्रभावित करेगा । अत: देश को ऐसा रास्ता नहीं चुनना चाहिए ।

अभिव्यक्ति के अधिकार पर बहस- क्या इस पर कोई सीमा होना चाहिए?

किसी भी लोकतंत्र में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूलभूत सिद्धांत है। हर लोकतांत्रिक संविधान में इसे साकार करने की विशेष योजना होती है। यह योजना ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित होती है । प्रत्येक समाज में यह सदैव विमर्श का विषय रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक निरपेक्ष अधिकार है या इस पर कुछ निश्चित सीमाएं है।

विचारकों का मत

जॉन स्टुअर्ट मिल 19वीं सदी में ब्रिटेन के एक राजनितिक विचारक और कार्यकर्ता रहें है । इन्होने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में मर्मस्पर्शी तर्क रखे हैं । अपनी पुस्तक, ऑन लिबर्टी में उन्होंने चार कारण बताये हैं कि क्यों उन लोगों तक के लिए भी अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिये जिनके विचार आज पूर्णत: असत्य या दिग्भ्रमित करने वाले दिखाई देते हैं।

1. प्रथम, कोई भी विचार पूर्णतया असत्य नहीं होता। जो हमे असत्य दिखाई देता है, उसमे भी सत्य का एक अंश होता है। अगर हम असत्य विचारों पर प्रतिबंध लगा देंगे तो सत्य का अंश भी खो देंगे।
2. किसी भी विचार के दो पहलु होते हैं । सत्य स्वयमेव प्रकट नहीं होता है। विपरीत दृष्टिकोणों के द्वन्द्ध द्वारा ही सत्य सामने आता है। विचार, जिन्हें हम आज असत्य समझते हैं, वे सत्य विचारों के उद्भव में मूल्यवान सहायक हो सकते हैं।
3. यह विचारों का द्वन्द्ध न केवल अतीत में महत्वपूर्ण रहा है बल्कि सभी कालों के लिए इसकी उपयोगिता है । सत्य पर सदैव एक बिना अनुभूति के दोहराया जाने वाला शुष्क विचार बन जाने का खतरा बना रहता है । किसी विचार की इसके विपरीत विचार से टकराव के माध्यम से ही इसकी विश्वसनीयता स्थापित होती है ।
4. अंतत: हम इस बात के प्रति आश्वस्त नहीं हो सकते कि जिसे हम सत्य मानते हैं वही सत्य है। अनेक बार वह विचार जो समाज द्वारा गलत मानकर एक समय दबाये गये थे, वे आगे चलकर सत्य सिद्ध हुए हैं। कोई भी समाज जो आज सभी प्रकार के अस्वीकार्य विचारो को दबाता है, वह भविष्य में महत्वपूर्ण ज्ञान से वंचित रह सकता है। एक फिल्मनिर्माता के अनुसार, "अभिव्यक्ति का अधिकार असीम है और यदि इससे किसी की भावना को चोट पहुचती है तो उसे लोकतान्त्रिक रूप से प्रत्युत्तर देने का अधिकार है। परन्तु यदि प्रत्येक विचार पर प्रतिबंध लगाया जाने लगा तो राष्ट्र की लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के लिए अनिवार्य सहिष्णुता जैसे मूल्य को गंभीर क्षति पहुचेगी। हालाँकि बहुत से विचारकों का यह मानना है कि वास्तविक स्वतंत्रता के अनुभव के लिए कुछ प्रतिबंध आवश्यक हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसी पुस्तक में प्रतिबंधों से संबंधित प्रश्न का

उत्तर देने के लिए एक सिद्धांत दिया है, जिसे हार्म प्रिंसिपल कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी सभ्य समाज के सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग केवल अन्य सदस्यों को नुकसान से बचाने के लिए किया जा सकता है। फ्रांसीसी उद्घोषणा भी स्वतंत्रता को किसी को हानि पहुंचाए बिना सब कुछ करने की स्वतंत्रता के रूप में व्यक्त करती है । स्वतंत्रता पर लगाया गये कोई भी प्रतिबंध गहन विमर्श के बाद बनाये गये कानून के अनुसार होने चाहिए। दोष सिद्धांत किसी विचार अथवा भाषण द्वारा समाज पर डाले गए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दुष्प्रभाव को देखता है। यह प्रतिबंध के नैतिक आयाम का परीक्षण करता है।

भारतीय परिदृश्य

भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विभिन्न प्रतिबंध आरोपित करता है। देश की एकता एवं संप्रभुता, लोक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, राज्य की सुरक्षा, मानहानि, अपराध हेतु प्रोत्साहन आदि आधारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हैं। संवैधानिक बहस के दौरान अधिकांश वक्ता विचार की असीमित स्वतंत्रता के विरुद्ध थे। उनके अनुसार असीम स्वतंत्रता अराजकता की ओर ले जाकर राज्य का अस्तित्व ही खतरे में डाल सकती है। यह दीर्घकाल में राज्य की अधिकारों की रक्षा करने करने की सामर्थ्य को क्षति पहुचायेगी ।सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अनेक मामलों में यही दृष्टिकोण अपनाया है। गत वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी चिंता यह रही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सामाजिक समरसता को प्रभावित न करे। भारतीय राष्ट्रीय जीवन में यह मान्यता रही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर धार्मिक स्वतंत्रता को खतरे में नहीं डाला जा सकता ।

यद्यपि न्यायालय ने यह भी विचार व्यक्त किया है कि, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जुलुस अथवा विरोध के भय या हिंसा के भय के आधार पर नहीं दबाया जा सकता।" विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान प्रदत्त है और अतिवादी तत्वों को किसी समूह या समुदाय को होने वाली काल्पनिक पीड़ा के आधार पर इस अधिकार का अतिक्रमण करने की अनुमति नही दी जानी चाहिए।

विगत घटनाएं

कार्टून विवाद

व्यंग्यात्मक फ्रांसीसी पत्रिका चार्ली हेब्दो को पैगम्बर मुहम्मद के कार्टून प्रकाशित करने के लिए आक्रमण का सामना करना पड़ा। कई देशों ने हमले की निंदा की और "मैं चार्ली हूं" मार्च में भाग लिया । इस पत्रिका ने सभी धर्मों को अपना निशाना बनाया है। यह बिना किसी अपवाद के संस्थात्मक-विरोधी, धर्म-विरोधी और उग्रवाद-विरोधी प्रकाशनों में संलग्न रही है।

फ्रांसीसी क्रांति, असीम व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की समर्थक है । अधिकांश पश्चिमी देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यूनतम प्रतिबंध लगाये जाते हैं। कलात्मक अभिव्यक्तियाँ केवल अपवाद्जनक स्थिति में ही प्रतिबंधित की जाती है। इसके लिए जे.एस. मिल के उपरोक्त वर्णित सिद्धांतों का सहारा लिया जाता है जो कि सत्य तक पहुँचने के लिए संवाद का सहारा लेते हैं। फ्रांस में कार्टूनिस्ट फ्रांसीसी संस्कृति को पुष्ठ कर रहे हैं जिसमे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता असीम होती है और सामूहिक संवेदनशीलता की अनदेखी की जाती है। वे फ्रांसीसी राष्ट्रवाद की पंथनिरपेक्ष परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं।

यद्यपि विमर्श का बिंदु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है परन्तु एक बहुसांस्कृतिक समाज में सांस्कृतिक अंतर्क्रिया का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। जहां अधिकांश पश्चिमी समाजों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता असीम होती है और सामूहिक अधिकार सीमित अथवा अनुपस्थित होते हैं, वहीँ इस्लामिक दुनिया में स्थिति विपरीत है। यहाँ व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान नहीं किया जाता है और समूह को गरिमामय माना जाता है ।सामूहिक अस्मिता की तुलना में व्यक्तिगत अधिकारों को सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है। इन समाजो में व्यक्तिगत अनुभूतियों का स्थान नगण्य है । भावनाओं के आहत होने का प्रश्न केवल सामूहिक स्तर पर ही उत्पन्न होता है ।दृष्टव्य है कि भौतिक रूप से की गयी हिंसा के परिणाम तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं किन्तु भावनात्मक रूप से की गयी हिंसा के परिणामों का आकलन नहीं किया जा सकता ।जब संवेदनशील धार्मिक अनुभूतियों को भावनात्मक हिंसा के माध्यम से चोट पहुचाई जाती है तो इसके घातक परिणामों का हम अनुभव नहीं कर पातें। हम चार्ली के कार्टून द्वारा मुस्लिम समाज की आहत भावनाओं का अनुमान नहीं लगा सकते। हम मुस्लिम समुदाय की संवेदनशीलता या अति-संवेदनशीलता को नहीं माप सकते।भौतिक अस्त्रों के प्रयोग द्वारा हत्या करने वालो के कृत्यों को जाना जा सकता है ।इस कारण हम आसानी से हिंसा की निंदा कर सकते हैं। भावनात्मक हिंसा के प्रभाव का अनुभव करना दुष्कर है। यह संभव है कि इसने कुछ लोगों को इतना आहत, क्रोधित और अपमानित किया कि उन्होंने बन्दुक उठा ली। एक बुद्धिजीवी अपने शब्दों से चोट पहुंचा सकता है और सैनिक अपने शस्त्रों से। प्राय: सभ्य समाजो में भावनात्मक हिंसा स्वीकार्य है जब की भौतिक हिंसा अस्वीकार्य।। सैद्धांतिक रूप से जो कुछ भी सही हो, धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभूतियों की संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये अनुभूतियाँ मनुष्य के व्यक्तित्व और अस्तित्व का अभिन्न अंग होती है ।वर्तमान

VISION IAS

विश्व में संस्कृतियों के बीच अंतर्क्रिया के साथ -साथ विरोधाभास भी उभरे हैं | अत: विविधतापूर्ण समाज को गतिशील बनाये रखने के लिए हमारे द्वारा अन्य लोगों, संस्कृतियों और दृष्टिकोणों का आदर किया जाना अनिवार्य है। एक न्यायपूर्ण समाज सभी संस्कृतियों की गरिमा और उनकी पहचान सुनिश्चित करता है | असीमित स्वतंत्रता की अपेक्षा यह सुनिश्चित करना अधिक महत्वपूर्ण है की सांस्कृतिक अनुभूतियों को कोई ठेस न पहुचे | जैसा कि ब्रिटिश समाजशास्त्री तारिक मोदुद ने कहा है, "यदि लोग बिना संघर्ष के एक ही राजनीतिक क्षेत्र पर कब्ज़ा करना चाहते हैं तो उन्हें आपस में एक-दुसरे की मूलभूत मान्यताओं की निंदा करने की सीमा तय करनी होगी।"

हालांकि, यह दावा किया जा सकता है कि, चार्ली हेब्दो ने एक साहसिक सम्पादकीय पथ चुना। प्रकाशन ने फ्रांसीसी पंथ निरपेक्षता के मूल्यों के अनुरूप प्रत्येक विचार मत और संप्रदाय में अन्तर्निहित कमियों की समान रूप से आलोचना की |प्रकाशन की इस बात के लिए प्रशंसा की जा सकती है कि उसने किसी भी प्रकार के भय या अल्पकालिक लाभ की प्रेरणा से बिना प्रभावित हुए अपने पंथनिरपेक्ष दृष्टिकोण को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है |जनता की सांस्कृतिक संवेदनशीलता और इस पर प्रहार के प्रश्न ने इस महत्वपूर्ण बिंदु को उपस्थित किया है कि भौतिक प्रगति के साथ सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता की संगती कैसे बैठाई जाये | इस प्रकार हम बेहतर राजमार्ग, नये हवाई अड्डे और तीव्रतर इन्टरनेट कनेक्शन तो चाहते है ,पर विचारों का मुक्त प्रवाह नहीं चाहते जो इन सम्पर्क साधनों द्वारा प्रसारित हो। यदि वास्तव में किसी समाज को आधुनिकीकरण करना है तो हमें भौतिक प्रगति के साथ सामाजिक सांस्कृतिक बदलावो को भी स्वीकार करना होगा |

पीके फिल्म विवाद

कुछ समय पूर्व एक फिल्म 'पीके' रिलीज़ हुई थी जो कथितरूप से हिंदु परंपरा और संस्कृति के उपहास के लिए दक्षिणपंथी संगठनों के निशाने पर आई थी। फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए न्यायालयों में याचिका दायर की गई थी। यह प्रथम बार नहीं था कि किसी फिल्म को रिलीज़ होने के बाद इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा। 'भावनाओं को आहत किये जाने' के नाम पर प्रतिबंधित अथवा ब्लैक आउट की जाने वाली फिल्मों की एक लम्बी सूची है।

फिल्में समाज में बढती असहिष्णुता का मुख्य निशाना रही हैं। अतिवादी तत्वों द्वारा किसी समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आधार पर फिल्मों को लगातार निशाना बनाया जाता रहा है। अतिवादी तत्व तब और सशक्त हो जाते हैं जब सरकार कानून-व्यवस्था बिगड़ने की धमकी देने वालों के प्रति कठोर रुख अपनाने के बजाय फिल्मनिर्माताओं पर दबाव डालने लगती है। अनेक बार निर्माता फिल्म की रिलीज़ में हो रही देरी से बचने के लिए समझौता करने और कुछ दृश्यों अथवा वाक्यों को हटाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जब सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में खड़ी नहीं होती तब फिल्म निर्माता, वितरक और प्रदर्शक अतिवादी तत्वों के साथ समझौता करना ही बेहतर समझते हैं।

एक बार यदि किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा मान्यता दे दी गयी है तो किसी को आहत होने के आधार पर फिल्म को सिनेमाघरों से हटाने की मांग करने का अधिकार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बात के लिए संवेदनशील होता है और यदि सभी संवेदनशीलताओं की चिंता की जाने लगी तो फिल्म-निर्माण संभव ही नहीं हो पायेगा। तब क्यों हर फिल्म भय के साये में रहती है? इसका बड़ा कारण 24X7 टीवी चैनलों और इन्टरनेट साइट्स खबरों की आवश्यक्ता में देखा जा सकता है; और जब ऐसे समाचार किसी ब्लाकबस्टर फिल्म से संबंधित होता है तो यह टीवी चैनलों और इन्टरनेट लिए बड़ी खबर बन जाता है। जब विरोध करने वाले संगठन जब सस्ते और आसान प्रचार की तलाश में दंगे या पोस्टर जलाने जैसी उत्तेजक गतिविधियों को अंजाम देते हैं तब यह दर्शकों को आकर्षित करने वाली सनसनीखेज खबर बन जाती है।

हालाँकि, फिल्म, कार्टून और अन्य विचित्र चित्र महत्वपूर्ण सार्वजनिक भूमिका का निर्वाह करते हैं। जब हमें अहम् का अनुभव होता है तब, व्यंग्यकार हमारी कमजोरियों और घमंड को उजागर करते है। वे क्षेत्र विशेष में सफल लोगो के द्वारा खुद को ही महिमामंडित किये जाने की प्रवृत्तिको नियंत्रित करते हैं। इन व्यंगात्मक और तीक्ष्ण कला अभिव्यक्तियों के माध्यम से वर्चस्वशील व्यक्तियों के प्रभाव को सीमओं में बांध कर सामाजिक समानता स्थापित करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है।ऐसी अभिव्यक्तियाँ व्यक्ति की चारित्रिक विसंगतियो को हास्य मिश्रित कटाक्षो के माध्यम से सामूहिक रूप से अभिव्यक्त करते है |इस प्रकार व्समाज के विविध समूहों के बीच निहित गंभीर से गंभीर विभेद भी सहज तरीके से सुलझ जाते है इसलिए ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जरुरत है जिस पर कानून द्वारा चर्चा का दम घोटने वाले कोई प्रतिबंध लागू न हो। यह चर्चा कई बार स्थापित व्यवस्था में गलतियाँ सुधारने को प्रयासरत होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सामाजिक तरीकों, स्वनियामक तंत्रों और संहिताओं द्वारा संयत होने की आवश्यकता होती है। थोड़े समय के लिए, सामाजिक समरसता की रक्षा के लिए क़ानूनी प्रतिबन्ध एक आसान तरीका नज़र आती हैं, परन्तु इतिहास हमें सिखाता है कि, आसान रास्ता 'घातक संस्कृति' की और ले जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यूनतम प्रतिबंध थोड़े समय के ले संकटमय प्रतीत हो सकते

है। पर दीर्घ काल में यह सामाजिक एकीकरण और समाज में स्थायी शांति के लिए पूर्व शर्त है।

जीवन का अधिकार

जीवन का अधिकार, धारा 309 और यूथेनेसिया (इच्छामृत्यु)

अनुच्छेद 21 का अर्थ

संविधान का अनुच्छेद 21 "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा" का प्रावधान करता है और कहता है कि," किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा। "

अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार संविधान में उल्लेखित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है जिसे 'उन्नीकृष्णन मामले' में सर्वोच्च न्यायलय द्वारा इसे मौलिक अधिकारों का ह्रदय कहा गया है।

अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकार का उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अतिक्रमण को रोकना है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि, मूल अधिकार केवल राज्य के विरूद्ध उपलब्ध कराये गए हैं। परन्तु राज्य को सीमित अर्थों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत सरकारी विभाग, विधायिका, प्रशासन, स्थानीय निकाय जो कि विधिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं आदि आते हैं परन्तु, इसके अंतर्गत गैर-विधिक या निजी निकाय जैसे कंपनी या स्वायत्त निकाय, जिनके पास विधिक शक्तियां न हो आदि नही आते हैं। यदि किसी निजी व्यक्ति का क्रियाकलाप किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करता है तो यह उलंघन अनुच्छेद 21 के मानकों के अंतर्गत नही आएगा। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के लिए राहत या तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उपलब्ध होगी या सामान्य विधि के तहत।

इस प्रकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा केवल राज्य के और राज्य के अंतर्गत आने वाले प्राधिकरणों के कृत्यों, जो कि, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध किये गए हैं, के लिए है। अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य यह कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किये जाने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का कठोरतापूर्वक पालन किया जाना चाहिए।

न्यायिक व्याख्या द्वारा अनुच्छेद 21 के क्षेत्र का विस्तारण

- 1950 के दशक तक ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 21 का क्षेत्र संकीर्ण था । इसके अनुसार विधायिका की मनमानी प्रक्रिया द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण होने पर संवैधानिक सुरक्षा की गारंटी नही थी। इस प्रकार यदि एक सक्षम विधायिका कोई कानून बनाती है जिसके द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सके, तो उस कानून को अविवेकपूर्ण, असंगत और अन्यायपूर्ण होने के आधार पर न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती थी । इस प्रकार गोपालन प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत ने इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया कि, अनुच्छेद 21 में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' पद प्रयुक्त कर संविधान में अमेरिकी संविधान के 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' की तुलना में ब्रिटेन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत को मान्यता दी गयी है।
- गोपालन मामले के सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के निर्णय को आगे मनेका गाँधी बनाम भारतीय संघ,1978 मामले में पलट दिया गया और निम्नलिखित सिद्धांत स्थापित किये गये:

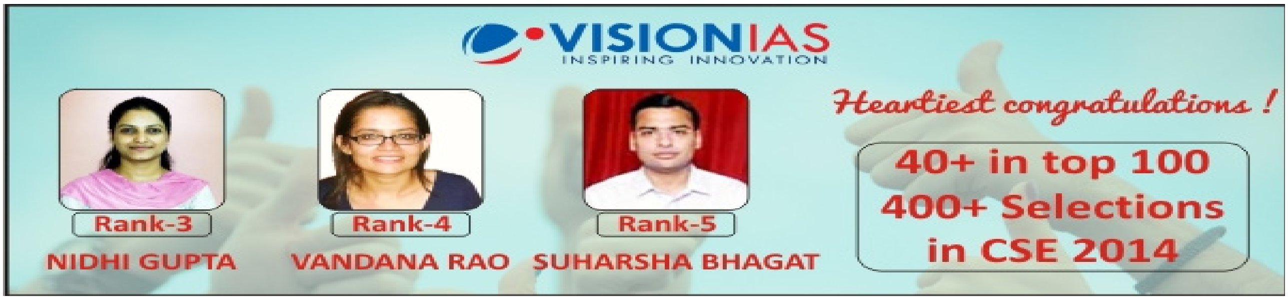

- अनुच्छेद 19 और 21 को संकीर्ण अर्थों में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में उल्लेखित पद 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' अधिकतम संभव आयामों तक विस्तृत है जो विभिन्न प्रकार के अधिकारों को अपने में समाहित करता है जिनमे से कुछ को अनुच्छेद 19 में शामिल करके अतिरिक्त सुरक्षा दी गयी है। इस प्रकार अनुच्छेद 19 और 21 में कुछ अतिव्यापन हो सकता है।
- इस प्रकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाले किसी भी कानून को अनुच्छेद 19 की अर्हता भी पूरी करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, राज्य द्वारा निर्मित उस कानून को, जो किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करता है, इस प्रकार के वंचन के लिए ऐसी प्रक्रिया का प्रावधान करना चाहिए जो अविवेकपूर्ण, असंगत और अन्यायपूर्ण न हो।
- फ्रांसिस कार्ली मुलिन बनाम दिल्ली संघ क्षेत्र मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया । इसके अनुसार: अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता और इस प्रक्रिया को विवेकपूर्ण, तर्क संगत और न्यायपूर्ण होना चाहिए न कि मनमाना, सनकपूर्ण या काल्पनिक। यदि ऐसे किसी कानून को चुनौती दी जाती है तो न्यायलय को यह निर्धारित करना होगा कि, इस कानून द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए सुझाई गयी प्रक्रिया विवेकपूर्ण, संगत या न्यायपूर्ण है या नहीं
- एक अन्य मामले, ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम में यह विचार व्यक्त किया गया कि जैसे दुर्भावनापूर्ण कृत्यों का विधि की नज़रो में कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार अयुक्तियुक्तता विधि एवं प्रक्रिया दोनों को दूषित कर देती है। इसलिए यह अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों से वंचित करने के लिए विधि द्वारा विहित प्रक्रिया को न्याय और समानता के नियमो का पालन करना चाहिए ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 21 का सीमित अर्थ नहीं है। यह केवल जीवित रहने या पशु समान रहने से काफी व्यापक है। जीवन के अधिकार से तात्पर्य अर्थपूर्ण, संपूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन जीने से है।
- अनुच्छेद 21 का विस्तृत क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्नीकृष्णन बनाम आँध्रप्रदेश राज्य प्रकरण में वर्णित किया गया है और उच्चतम न्यायालय ने स्वयं ही पूर्वन्यायनिर्णयों के आधार पर अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले अधिकारों की सूची उपलब्ध करायी है। इनमे से कुछ हैं:

1. विदेश यात्रा का अधिकार,
2. निजता का अधिकार,
3. शरण का अधिकार,
4. सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का अधिकार,
5. एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार,
6. हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार,
7. मृत्युदंड में देरी के विरुद्ध अधिकार,
8. बंदीगृह में मृत्यु के विरुद्ध अधिकार,
9. सार्वजनिक रूप से फांसी के विरुद्ध अधिकार,
10. चिकित्सकीय सहायता का अधिकार,
11. सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा,
12. प्रत्येक शिशु का पूर्ण विकास का अधिकार,
13. प्रदुषणमुक्त वायु एवं जल का अधिकार।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रारंभ में अनुच्छेद 21 के प्रावधानों की संकीर्ण व्याख्या की गई परन्तु धीरे-धीरे दैहिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में कानून का विस्तार हुआ और इसकी उदार व्याख्या की गई। अनुच्छेद 21 के क्षेत्राधिकार में समय के साथ नये आयाम जोड़े गये। इसने किसी व्यक्ति को प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किये जाने की प्रक्रिया पर यह कहते हुए सीमाएं आरोपित किया कि प्रक्रिया को न्यायपूर्ण तथा विवेकपूर्ण होना चाहिए तथा कानून को मनमाना, सनकपूर्ण अथवा काल्पनिक नहीं होना चाहिए।

जीवन का अधिकार और आत्महत्या (IPC की धारा 309)

भारत में आत्महत्या संबंधी कानून: भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत आत्महत्या करने का प्रयास 1 साल के सामान्य बंदीकरण अथवा जुर्माने के साथ एक दंडनीय अपराध है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 में न केवल आत्महत्या के प्रयास का निरपराधिकरण किया वरन यह भी व्याख्या दी कि, 'जीवन के अधिकार' के अंतर्गत 'मरने का अधिकार' भी सम्मिलित है। न्यायालय ने कहा कि सभी मूल अधिकारों के सकारात्मक के साथ नकारात्मक निहितार्थ भी हैं। इसप्रकार,

- भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार अपने में "नही बोलने के अधिकार" को भी समाविष्ट करता है।
- आवागमन और संघ बनाने की स्वतंत्रता अपने में आवागमन न करने व संघ में भागीदार न होने की स्वतंत्रता भी प्रदान करती है।
- व्यवसाय करने की स्वतंत्रता व्यवसाय न करने की स्वतंत्रता को भी समाविष्ट करती है।

हालाँकि, न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने ज्ञान कौर मामले (1996) में 1994 के निर्णय को उलट दिया जिसके कारण धारा 309 पुन: अस्तित्व में आ गयी और 'मरने का अधिकार' असंवैधानिक बन गया। न्यायालय ने घोषित किया कि,

VISION IAS

अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार, मरने के अधिकार को शामिल नहीं करता।

2008 में विधि आयोग ने सिफारिश किया कि, आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला जाना चाहिए। इसने सुझाव दिया कि आत्महत्या करने का भाव मस्तिष्क की विकृत अवस्था का प्रत्यक्षीकरण समझा जाना चाहिए, जिसे दंड की नहीं वरन देखभाल और उपचार की आवश्यकता है। इसने यह भी इंगित किया कि केवल कुछ ही देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और भारत में ही यह अवांछित कानून जारी है। इस सुझाव के आधार पर 2014 में "संघ सरकार ने राज्यों से उनकी राय मांगी है | तमिलनाडु और संघशासित प्रदेशों सहित 18 राज्य धारा 309 के निरसन के पक्ष में हैं। हालाँकि, बिहार, मध्यप्रदेश, दिल्ली, पंजाब और सिक्किम राज्यों ने आत्मघाती हमलावरों और सरकार पर दबाव डालने के लिए किये जाने वाले उपवासों को लेकर इस धारा के निरसन के संदर्भ में चिंता जताई है। बहुमत के मत को ध्यान में रखकर हाल ही में सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के निरसन का निर्णय लिया है। इस निर्णय के साथ, 'जीवन के अधिकार' में 'मरने का अधिकार' समाहित है अथवा नहीं; का विवाद पुन: सामने आ गया है।

आत्महत्या के निरपराधीकरण के विरुद्ध तर्क

- यह तर्क दिया जाता है कि, जीवन को लेकर किसी व्यक्ति को पूर्ण स्वायत्तता नहीं होती। उसके परिवार, समाज और देश का भी उस पर अधिकार होता है। कोई व्यक्ति अपने परिवार का एक मात्र आय अर्जक हो सकता है और यदि वह आत्महत्या कर लेता है तो उसका परिवार निश्चित रूप से गरीबी का शिकार हो जायेगा। (ज्ञान कौर मामले में सर्वोच्च न्यायालय का यही विचार था।)
- एक अन्य तर्क यह है कि आत्महत्या का निरपराधीकरण (भारतीय दंड संहिता की धारा 309) आत्महत्या करने हेतु उकसाने (भारतीय दंड संहिता की धारा 306) को भी अपराध की श्रेणी से बहार ले आएगा। यह तकनीकी पक्ष है कि किसी ऐसे कृत्य के लिए उकसाना, जो स्वयं आपराधिक कृत्य नहीं है, कैसे अपराध हो सकता है? धारा 309 के निरसन के बाद विधि के दुरुपयोग के मामले खासकर दहेज़ हत्या, ऑनर किलिंग और संतान द्वारा बूढ़े माता-पिता की हत्या की स्थिति में बढ़ सकते हैं। हालाँकि, इस तकनीकी पक्ष को उचित संशोधन द्वारा सुलझाया जा सकता है।

आत्महत्या के निरपराधिकरण के पक्ष में तर्क

- भारतीय दंड संहिता की धारा 30 के तहत आत्महत्या करने का प्रयास 1 साल के सामान्य बंदीकरण अथवा जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि, यह एकमात्र ऐसा कानून है जो अपराध करने में सफल न हो पाने की स्थिति में दंड का प्रावधान करता है। यदि अपराध का प्रयास (आत्महत्या) सफल हो जाता है तो वह कानून की पहुँच से बाहर हो जाता है।
- इसके साथ ही एक स्वस्थ मस्तिष्क आत्महत्या तब करता है जब वह अवसादग्रस्त, निराश और भावनात्मक प्रक्षोभ की स्थिति में हो। इस प्रकार की अवस्था सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत और भावनात्मक कारकों के कारण पैदा हो सकती है। इसलिए किसी आत्महत्या के अभिलाषी को मृदु शब्दों और विवेकपूर्ण सलाह की जरुरत होती है न कि एक हृदयविहीन अभियोक्ता और एक जेलर द्वारा कठोर व्यवहार की।
- आत्महत्या का निरपराधिकरण एक अलग बात है और मरने के अधिकार को मान्यता देना एक अलग बात। मौन रहने का अधिकार या व्यवसाय न करने का अधिकार केवल इन अधिकारों का अस्थायी निलंबन है, जिनका भविष्य में कभी भी उपयोग किया जा सकता है। परन्तु एक बार जीवन की समाप्ति के बाद, जीवन का अधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। 'मरने का अधिकार' एक रुढ़िवादी और व्यक्तिवादी तर्क पर आधारित है जबकि आत्महत्या को एक व्यक्तिगत मसला माना जाता है जो किसी अन्य को क्षति नहीं पहुंचा सकती है। यहाँ तक कि, पौराणिक कथाओं के उदाहरणों जैसे भगवान राम द्वारा सरयू में जल समाधि लेना, बुद्ध अथवा महावीर द्वारा स्वैच्छिक मृत्यु आदि के आधार पर आत्महत्या को अधार्मिक कृत्य भी नही ठहराया जा सकता।
- पुनश्च, उन लोगों का क्या जो मरणासन्न अवस्था में हैं और गरिमापूर्ण ढंग से मरना चाहते हैं? शारीरिक असामर्थ्य व्यक्ति के लिए कष्टप्रद होती है |अत: प्रत्येक व्यक्ति को शांति से, बिना दर्द और सदमे के चिरनिंद्रा में सोने की अनुमति दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष

इस प्रकार सरकार का भारतीय दंड संहिता की धारा 309 का निरपराधिकरण करने का हालिया निर्णय समाज के लिए अच्छा है, क्योंकि यह पहले से ही प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहे उस व्यक्ति की समस्याओं में और अधिक वृद्धि नही करेगा जो हाल ही में आत्महत्या की कोशिश कर चुका है |

इस प्रकार, बेहतर उपाय लोगों को आत्महत्या के प्रयास के लिए दण्डित न करना ही है और धारा 309 का निरपराधिकरण सही कदम नज़र आता है। आगे केवल मरणासन्न अवस्था वाले लोगों को "मरने का अधिकार" देने के विषय पर विचार किया जा सकता है।

जीवन का अधिकार और यूथेनेसिया (इच्छा मृत्यु/दयामृत्यु)

"मृत्यु सभी समस्याओं का हल कर देती है.....कोई व्यक्ति नहीं यानि कोई समस्या नहीं। "............जोसफ स्टालिन

VISION IAS

"मैं मांगे जाने पर किसी को कोई घातक दवा नहीं दूंगा और न ही कोई ऐसी सलाह दूंगा।"........हिप्पोक्रेट्स

"जीवन का अधिकार समस्त मानवों का अहरणीय और प्राकृतिक अधिकार है।"........थॉमस जेफ़रसन

परिचय

सहायता मृत्यु (Assisted Dying) बनाम यूथेनेसिया

- सहायता मृत्यु के अंतर्गत किसी मानसिक रूप से सक्षम मरणासन्न रोगी को उसकी याचिका पर जीवन का अंत करने वाली दवा का सुझाव देता है। रोगी स्वयम ही दवा का प्रयोग करता है। अमेरिका का ऑरेगोन राज्य (1997) सहायता मृत्यु को विधिक बनाने वाला पहला उदहारण है। वाशिंगटन राज्य ने ऑरेगोन का अनुसरण करते हुए 2008 में सहायता मृत्यु के पक्ष में मत दिया। तीन देशों बेल्जियम, लक्सम्बर्ग और नीदरलैंड ने सहायता मृत्यु को विधिक मान्यता दी है।
- यूथेनेसिया के मामले में, रोगी को जीवन का अंत करने वाली दवा तीसरे व्यक्ति द्वारा दी जाती है (सामान्यत: एक चिकित्सक द्वारा) इसे सक्रिय (Active) यूथेनेसिया कहते हैं, या जीवन आधार मशीनों को हटा दिया जाता है, जिसे अक्रिय (Passive) यूथेनेसिया कहा जाता हैI

ग्रीक उत्पत्ति वाले शब्द 'यूथेनेसिया' का शाब्दिक अर्थ अच्छा स्वास्थ्य है परन्तु वर्तमान संदर्भ में इसका अर्थ दया मृत्यु है। यूथेनेसिया के अनेक आयाम हैं: सक्रिय (किसी मृत्यु के कारण का समावेश), अक्रिय (उपचार या सहायक उपायों का प्रयोग न करना), स्वैच्छिक (सहमतिपूर्वक), अनैच्छिक (अभिभावक की अनुमति से), चिकित्सकीय सहायता द्वारा (जहाँ चिकित्सक द्वारा दवा बताई जाती है और कोई तीसरा व्यक्ति उस दवा को मरीज़ को देता है)

समय से पूर्व मृत्यु के लिए याचना ने वर्तमान स्वास्थ्य ढांचे में इन उपायों के प्रयोग पर बहस को जन्म दिया है। इस बहस के सभ्य समाज संबंधी कई जटिल तथा गतिशील पक्ष जैसे विधिक, नैतिक, मानवाधिकार संबंधी, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष भी हैं। हम अपने दैनिक जीवन ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो पूरी तरह शय्याग्रस्त अवस्था में है और पूर्णतया दूसरों पर निर्भर हैं। यह उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। उनकी स्थिति को देखकर हम यह कह सकते हैं कि इस दु:खद जीवन की तुलना में मृत्यु उनके लिए बेहतर विकल्प है। परन्तु दूसरी ओर हम पाते हैं कि नीदरलैंड में जहाँ यूथेनेसिया को क़ानूनी मान्यता प्राप्त है, वहां किस प्रकार इसका दुरुपयोग हो रहा है। इस उदहारण को देखते हुए कोई भी भारत में यूथेनेसिया को विधिक बनाने का पक्षधर नहीं है। परन्तु हमारे सम्मुख उपस्थित प्रश्न यह है कि बेहतर विकल्प क्या होगा?

उपरोक्त जानकारी के आलोक में हम इस जटिल मुद्दे का समर्थकों तथा विरोधियों के दृष्टिकोण से परीक्षण करते हैं और साथ ही में पीड़ित तथा उनकी देखभाल करने वालों की पीड़ा को समझने का प्रयास करते हैं। उद्देश्य है, अरुणा शानबाग बनाम भारतीय संघ मुद्दे पर सर्वोच्च न्याय्यालय द्वारा 7 मार्च 2011 को दिए निर्णय की पृष्ठभूमि में यूथेनेसिया के मुद्दे को चिकित्सकीय और मानवाधिकारों के परिपेक्ष्य में समझना।

यूथेनेसिया के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति

देश	यूथेनेसिया	चिकित्सकीय सहायता मृत्यु
नीदरलैंड, बेल्जियम	वैधानिक	वैधानिक
जर्मनी	अवैधानिक	वैधानिक
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, इटली, भारत	अवैधानिक	अवैधानिक

यूथेनेसिया के विरुद्ध तर्क

आत्महत्या बनाम यूथेनेसिया

आत्महत्या और यूथेनेसिया के बीच अंतर को लेकर भी एक उलझन की स्थिति रही है। नरेश मारोतराव सखरे बनाम भारतीय संघ मामले में दोनों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। न्यायमूर्ति लोधा ने इस मामले में स्पष्ट किया, "आत्महत्या अपनी प्रकृति में स्व-हत्या या स्वयं को नष्ट करने का कृत्य है। यह एक स्वयं द्वारा बिना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के उठाया गया कदम है। यूथेनेसिया के अंतर्गत जीवन का अंत करने के लिए बाह्य मानवीय सहायता ली जाती है।इस प्रकार यह आत्महत्या नहीं है और दया मृत्यु का मामला धारा 309 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं पड़ता। दोनों धारणाएं तथ्यात्मक और क़ानूनी रूप से अलग हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में यूथेनेसिया एक प्रकार का मानववध ही है।"

1. **भारतीय संविधान:** जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राकृतिक अधिकार है परन्तु यूथेनेसिया जीवन का अप्राकृतिक ढंग से हरण है और इसलिए, यह जीवन के अधिकार की धारणा के साथ संगत नहीं है। जीवन की सुरक्षा, राज्य की जिम्मेदारी है और देखभाल करना एवं रोगी को कोई नुकसान नही पहुँचाना चिकित्सक का दायित्व है। सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञान कौर मामले 1996 में घोषित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है।
2. **स्वास्थ्य देखभाल की राज्य द्वारा अवहेलना:** इस बात की गहन चिंता है कि यदि यूथेनेसिया को विधिक बना दिया गया तो राज्य स्वास्थ्य क्षेत्रक में निवेश नहीं करेगा। उदाहरणस्वरुप, यूथेनेसिया को विधिक मान्यता मिलने के बाद हॉलैंड में

मरणासन्न व्यक्तियों के स्वास्थ्य की देखभाल की गुणवत्ता में तीव्र गिरावट देखी गयी है।

3. **दुर्भावनापूर्ण नियत:** नैतिकता और न्याय जैसे मूल्यों के पतन के इस युग में इस बात की संभावना है कि परिवारजनों और रिश्तेदारों द्वारा रोगी की संपत्ति प्राप्त करने के प्रयास में यूथेनेसिया का दुरुपयोग किया जाये। सर्वोच्च न्यायालय ने यह मुद्दा अरुणा शानबाग निर्णय में भी उठाया है।

4. **स्वास्थ्य सेवा का वाणिज्यीकरण:** अक्रिय यूथेनेसिया देशभर के अधिकांश चिकित्सालयों में व्यवहृत होता है; जहाँ गरीब रोगी और उनके परिवार जीवित रहने की उच्च लागत के कारण उपचार को रोक देते हैं अथवा उसके लिए मना कर देते हैं। यदि यूथेनेसिया को क़ानूनी बना दिया जाता है तब वाणिज्यिकृत स्वास्थ्य क्षेत्रक केवल नाममात्र की धनराशि के लिए अनेकों विकलांग तथा वृद्ध नागरिकों को मृत्यु प्रदान कर देगा। अरुणा शानबाघ निर्णय में इसे भी रेखांकित किया गया था।

5. **प्रशामक देखभाल सहायक:** प्रशामक देखभाल का चलन यूथेनेसिया की धारणा का विरोध करता है, क्योंकि प्रशामक सेवा दुखदायक लक्षणों और दर्द से छुटकारा दिलाती है साथ ही मरीज़ तथा देखभाल करने वाले को सहायता देती है।शोध से ज्ञात हुआ है कि कई मरणासन्न रोगी, जो यूथेनेसिया की मांग करते हैं, वे गहन अवसाद से ग्रस्त हैं और मरणासन्न मरीजों की मरने की इच्छा इसी अवसाद से संबंधित है। उन्हें प्रशामक और पुनर्वास उपचार की जरुरत है। जब कभी इलाज़ उपलब्ध नहीं होता है, तब समाज और चिकित्सकीय पेशेवर निराश हो जाते हैं । इन परिस्थितियों में समाज और चिक्त्सिकीय जगत अतिवादी उपाय जैसे आत्महत्या, यूथेनेसिया और ड्रग्स जैसे उपायों का सहारा लेने का समर्थन करने लगता है । ऐसी स्थितियों में प्रशामक और पुनर्वास देखभाल रोगी और परिवार की सहायक बन जाती है।

यूथेनेसिया के पक्ष में तर्क

1. गरिमामय मृत्यु का अधिकार: "मरने के अधिकार" के समर्थक तर्क देते हैं कि असाध्य, अक्षम अयोग्य और निर्बल कर देने वाली बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को गरिमामय ढंग से मरने का अधिकार होना चाहिए।

2. देखभाल करने वालों पर बोझ: देखभालकर्ताओं पर बहुत दबाव होता है और यह उनके वित्तीय, भावनात्मक, लौकिक, भौतिक, मानसिक और सामाजिक आदि विभिन्न पक्षों को प्रभावित करता है।

3. देखभाल को मना करना: चिकित्सकीय उपचार हेतु मनाही का अधिकार, जिसमें जीवन को बचाए रखने या जीवनावधि बढ़ाने का चिकित्सकीय उपचार हेतु मनाही शामिल है, क़ानूनी रूप से मान्य है। उदहारण के लिए,

   a. रक्त कैंसर से पीड़ित कोई व्यक्ति उपचार हेतु और नासिका से नली द्वारा आहार लेने हेतु मना कर सकता है। उपचार की मनाही के अधिकार को मान्यता देना अक्रिय यूथेनेसिया का मार्ग प्रशस्त करती है।

   b. अनेक लोग तर्क देते हैं कि 16 सप्ताह तक के भ्रूण के चिकित्सकीय गर्भपात की अनुमति, एक प्रकार का सक्रिय अनैच्छिक यूथेनेसिया है। विकृत शिशुओं की इच्छामृत्यु का मुद्दा हॉलैंड में चर्चा का विषय रहा है।

4. अंग प्रत्यारोपण को प्रोहत्साहन: मरणासन्न रोगियों में यूथेनेसिया को मान्यता अंगदान के प्रोत्साहन हेतु अवसर प्रदान करता है।आने वाले समय में यह अंग खराबी से ग्रसित अनेक रोगियों की सहायता करेगा जो प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यूथेनेसिया न केवल मरणासन्न लोगों को मृत्यु का अधिकार प्रदान करता हैं वरन अंगों की आवश्यकता वाले लोगों को जीने का भी अधिकार प्रदान करता है ।

यूथेनेसिया पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय अवस्था में रही अरुणा शानबाग की दया मृत्यु के लिए उनके एक मित्र द्वारा दायर याचिका यह कहते हुए ख़ारिज कि ऐसी किसी याचिका का अधिकार केवल सम्बंधित चिकित्सालय को ही है। न्यायालय का यह निर्णय निम्नलिखित तर्क पर आधारित था:

1. यदि हम यह निर्णय केवल मित्रों और रिश्तेदारों पर छोड़ दें तो हमेशा कुछ शरारती तत्वों द्वारा रोगी की संपत्ति पर कब्ज़े के लिए इसके दुरुपयोग की संभावना बनी रहेगी।

2. यदि यूथेनेसिया को विधिक बना दिया जाता है तो वाणिज्यिकृत स्वास्थ्य क्षेत्रक केवल नाममात्र की धनराशि के लिए अनेकों विकलांग तथा वृद्ध नागरिकों को के जीवन को नष्ट कर देगा।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान में 'जीवन के अधिकार' को जीवन की सुरक्षा के सकारात्मक संदर्भ में लेता है। इसलिए "जीवन के अधिकार" की बाध्यता को 'भोजन, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य देखभाल' आदि उपलब्ध करा कर शीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता है। इसके विपरीत, अनेक राज्यों ने अभी तक मरणासन्न बीमार व्यक्तियों को चिकित्सकीय सेवा का सहारा उपलब्ध कराने के लिए कुछ खास नहीं किया है। यदि राज्य एक विवेकपूर्ण स्तर तक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है, तो अधिकांश

VISION IAS

यूथेनेसिया समर्थक निश्चित रूप से अपने तर्क पर पुन:विचार करेंगे। हमें सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का समर्थन करना चाहिए कि हमारा समकालीन समाज और लोकस्वास्थ्य प्रणाली इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दे से निपटने हेतु परिपक्व नहीं हुए हैं, इसलिए इस पर निर्णय को रोके रखना चाहिए।

यद्यपि जब भी सामाजिक आधारों पर विकसित लोकस्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से विकलांगो और गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने का प्रश्न आएगा तब हमें पुन: इस मुद्दे पर विचार और मंथन की आवश्यकता होगी । इस संवेदनशील मुद्दे पर निर्णय को रोके रखने का सर्वोच्च न्यायलय का फैसला मरणासन्न रोगियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के सन्दर्भ में नये युग में पहला कदम है। दिया गया निर्णय एक जटिल चिकित्सकीय, सामाजिक और विधिक दुविधा की स्थिति में सामाजिक समरसता बनाये रखने के लिए है। वर्तमान में विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मरणासन्न रोगियों और उनकी देखभाल करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए एक कानून लागू किये जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत में यूथेनेसिया को विधिक बनाने से पूर्व कुछ निश्चित बातों की संतुष्टि की जा सकती है:

1. इस बात के प्रति आश्वस्त होना कि याचिका स्वैच्छिक, सोची समझी और स्थायी है।
2. इस बात के प्रति आश्वस्त होना कि रोगी अहरणीय और असहनीय पीड़ा में है।
3. रोगी को उसकी स्थिति और संभावनाओं के विषय में सूचित कर दिया गया है।
4. रोगी के साथ इस अंतिम निष्कर्ष पर पंहुचा जा चुका है कि कोई अन्य तार्किक विकल्प उपलब्ध नहीं है।
5. एक ऐसे स्वतंत्र चिकित्सक से सलाह ले ली गयी है जिसने रोगी का परीक्षण किया है और उल्लेखित रोगी के विषय में अपनी राय कायम कर ली है।
6. उचित चिकित्सकीय ढंग से ही रोगी के जीवन का अन्त हो ।

साथ ही वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य क्षेत्रक में निवेश करने की नितांत आवश्यकता है ताकि बुरे स्वास्थ्य से पीड़ित गरीब लोग मुफ्त स्वास्थय सेवा प्राप्त कर सकें। स्वास्थय क्षेत्रक में निवेश कोई दान नहीं हैI संविधान द्वारा "जीवन के अधिकार" के अंतर्गत "स्वास्थय का अधिकार" प्रदान किया गया है।

भूमि से संबंधित मुद्दे

परिचय

हाल के दिनों में भारत में, भूमि से संबंधित मुद्दे सबसे विवादास्पद और जटिल हो गए हैं। मुद्दों में विकास बनाम विस्थापन पर सदियों पुरानी बहस से लेकर नवीनतम भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन शामिल है।

शहरी क्षेत्रों के विस्तार के लिए भूमि एक तत्काल आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ ही बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण-पोषण के लिए कृषि भूमि के संरक्षण की भी आवश्यकता है। पर्यावरण और जैव-विविधता का संरक्षण भी काफी महत्त्वपूर्ण विषय हैं, लेकिन इसके साथ ही विकास दर में गिरावट भी चिंता का विषय बना हुआ है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव के साथ भूमि मुद्दों पर एक नए दृष्टिकोण पूरा विचार किया जा रहा है।

विकास बनाम विस्थापन पर बहस

1950 और 1960 के दशक के बारे में कहा जा सकता है कि उस समय विकास पर जो रुख था वह आधुनिकीकरण के सिद्धांत से प्रेरित था, जिसके अनुसार विकास का तात्पर्य पारंपरिक, सरल व तीसरी दुनिया के समाजों को आधुनिक, जटिल और पाश्चात्य सभ्यता में बदलना था। उस समय यह सामान्य अवधारणा थी कि अति विशाल तथा भारी पूँजी निवेश वाली विकास परियोजनाएं देश को सुनहरे और बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

हालांकि हाल के दशकों में 'विकास का एक नया प्रतिमान' स्थापित किया गया है, जो गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय, और मानव अधिकारों को बढ़ावा देता है। इस प्रतिमान में विकास के दोनों पहलुओं को देखा गया है- पहला, ऐसे विकास से लाभ तो होता है परंतु दूसरा, इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसकी सबसे बड़ी कीमत लाखों कमजोर लोगों का अनैच्छिक विस्थापन है।

- आजादी के बाद, भारत को आर्थिक मोर्चे पर भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सदियों के औपनिवेशिक शासन ने उत्पादक संसाधनों को समाप्त कर दिया जिससे भारी प्रच्छन्न बेरोजगारी आ गयी। निर्वाह कृषि को अक्सर बाढ़ और सूखे ने पस्त कर दिया जिससे वह मुश्किल से,एक बढ़ती जनसंख्या का भरण पोषण कर सकती थी।
- भारत को एक औद्योगिक और आधुनिक राष्ट्र बनाने और देश में विकास लाने के लिए ठोस कदम उठाये गए। 'पंचवर्षीय योजनाओं' ने सिंचाई, बिजली, भारी उद्योग और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास पर बल दिया। भारत को 'विकास का केंद्र' बनाने के लिए बड़े बांध, विशाल इस्पात संयंत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग और बड़े बंदरगाह बनाये गये। विकास के केन्द्रों के दो उद्देश्य थे- रोजगार पैदा करना और आयात का बोझ कम करना।
- इस तरह की अधिकांश परियोजनाएँ खनिज समृद्ध क्षेत्रों, नदियों और तटीय पेटीयों में स्थापित की गईं थीं। इस्पात और बिजली

VISION IAS

वाले भारी उद्योग, कोयला और लौह- अयस्क से समृद्ध क्षेत्रो के पास स्थापित किया गया। बांधों को पर्वत श्रृंखला में बनाया गया और रिफाइनरियों को तटीय क्षेत्रों और बंदरगाहों के पास स्थापित किया गया।

- इन विकास परियोजनाओं से, उत्पादकता और उत्पादन में काफी वृद्धि हुई परन्तु इसके साथ ही साथ अनैच्छिक विस्थापन को भी बढावा मिला। इससे विस्थापितों ने बहुत से समस्याओ का सामना किया।
- विस्थापन और पुनर्वास की लागत के अलावा, वनों की कटाई, कृषि भूमि का नुकसान, पर्यावरण क्षरण, और कमजोर वर्गों की उपेक्षा की समस्या भी है। इन प्रतिकूल प्रभावों को बैकवाश इफेक्ट (backwash effects) कहा जाता है।स्प्रेड इफेक्ट ' (spread effects) का लाभ बड़े पैमाने पर राष्ट्र द्वारा लिया जाता है जबकि बैकवाश इफेक्ट का खामियाजा स्थानीय आबादी को भुगतना पड़ता है।
- विकास से संबंधित विस्थापन को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विस्थापन उन मामलो को दर्शाता है जिनमें विकास परियोजनाओं के कारण उन लोगों का प्रत्यक्ष विस्थापन हुआ है जो इन जगहों पर कई पीढियों से रह रहे थे।
- अप्रत्यक्ष विस्थापन उस प्रक्रिया से होता है जिसमें परियोजनाओं की स्थापना और कामकाज से प्राकृतिक और पर्यावरण संसाधनों की खपत लगातार बढती रहती है। इससे आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोग, जीविका के अपने परंपरागत साधनों से वंचित हो जाते हैं।

विकास परियोजनाओं का विस्थापितों पर प्रभाव

- भूमिहीनता: यह विस्थापित लोगों की दरिद्रता का प्रमुख कारक है, क्योंकि इससे वे प्राकृतिक और मानव निर्मित, दोनों ही पूंजी खो देते हैं।
- बेरोजगारी: पुनर्वास के बाद बेरोजगारी या अल्प-रोजगारी लंबे समय तक रहती है।
- बेघर: एक परिवार के खुद का घर और एक समूह के सांस्कृतिक स्थान के छूटने से अलगाव की भावना और सामाजिक सम्मान में कमी आ जाती है ।
- हाशियाकरण: जब परिवार आर्थिक शक्ति खो देते हैं और अवनति के पथ पर जाने लगते हैं तो हाशियाकरण होता है। कई व्यक्तिय नए स्थान पर उनके कौशल का उपयोग नहीं कर पाते; जिससे मानव संसाधन निष्क्रिय या अप्रचलित हो जाता है। आर्थिक हाशियाकरण अक्सर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक हाशियाकरण को साथ लाता है।
- खाद्य असुरक्षा: जबरन विस्थापन से अस्थायी या स्थायी कुपोषण का खतरा होता है। इसका मतलब विकास और काम करने के लिए आवश्यक न्यूनतम कैलोरी-प्रोटीन की मात्रा से भी कम मात्रा शरीर को मिल पाना है।
- रुग्णता और मृत्यु-दर में वृद्धि: विस्थापन से सामाजिक तनाव और मानसिक आघात के साथ कभी- कभी स्थानांतरण से संबंधित बीमारियों जैसे मलेरिया इत्यादि भी हो जातीं हैं । इनसे जनसँख्या के सबसे कमज़ोर वर्ग - शिशु, बच्चे और बुजुर्ग- सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
- उपयोग के लिए सामुदायिक सम्पदा की कमी: विस्थापित समुदायों के उपयोग के लिए उपलब्ध सामुदायिक सम्पदा घटती जाती है (जैसे चराई भूमि, वन भूमि, जल निकाय, कब्रिस्तान, खदान, आदि) । इससे उनकी आय और आजीविका के स्तर में कमी आती है।
- सामाजिक विघटन: जबरन विस्थापन की मौलिक विशेषता है कि यह सामाजिक संगठन के मौजूदा रूप को उधेड़ कर रख देता है। लंबे समय से स्थापित आवासीय बस्तियां अव्यवस्थित हो जाती हैं, जबकि रिश्तेदारियां और परिवार प्रणालियां बिखर जाती हैं। अनौपचारिक सामाजिक नेटवर्क की कार्यात्मकता ख़त्म हो जाती है, जो कि जीवन जीने के लिए आपसी सहयोग प्रदान करते हैं।
- मानव अधिकारों का उल्लंघन: आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के उल्लंघन के अलावा मनमाने ढंग का विस्थापन नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है। मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, बुरा बर्ताव या सजा, मताधिकार की अस्थायी या स्थायी हानि और राजनीतिक आवाज को दबाना इसमें शामिल है।

विकास बनाम पर्यावरण

पर्यावरण परिवर्तन संकट और भारत के गरीबों के विकास की जरूरत, दोनों चीज़ों से पता चलता है कि तात्कालिक आवश्यकता है- वर्तमान परिस्थती में निरंतर विकास, और इस विकास के साथ पर्यावरण को सुरक्षित करना ।

आर्थिक विकास

- योजना आयोग के अनुसार, तीव्र आर्थिक विकास से गरीबी दर में कमी आई है। गरीबी दर जो 2005 में 37.2 % थी, 2010 में 29.8% रह गयी। मतलब कि देश के गरीबों की कुल संख्या में 4 करोड़ की कमी आई है। इन पांच वर्षो के दौरान, प्रति व्यक्ति आय भी दोगुनी हो गई है।
- विश्व बैंक के अनुसार- 1991 में भारत में आरंभिक सुधारों ने देश के 30 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर में सुधार का वादा किया था। पिछले कुछ दशकों के दौरान, भारत की अंतर्मुखी और सार्वजनिक क्षेत्र संचालित औद्योगीकरण रणनीति से विकास-दर और गरीबी-उन्मूलन दर में जितनी वृद्धि हुई है, उतनी वृद्धि दुनिया में कहीं नहीं देखी गयी। विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया में तो नहीं ही देखी गयी। आर्थिक जगत ने सुधारों

के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सरकार ने भी देश के मानव संसाधन के विकास में तेजी लाने के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य बना लिया है। पिछले पांच वर्षों के आकड़ों ने प्रतीत होता है कि बाजार उन्मुख विकास नीतियों और विश्व अर्थव्यवस्था एकीकरण के साथ भारत अच्छी विकास दर प्राप्त कर सकता है।

- सामाजिक और आर्थिक विकास साथ-साथ चलते हैं। एक संपन्न अर्थव्यवस्था के साथ, भारत में मानव अधिकारों में सुधार आएगा। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मानव संसाधन में विकास की आवश्यकता है, और यह शिक्षा में सुधार और श्रमिक प्रशिक्षण से प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा और श्रमिक कुशलता में सुधार से श्रमिक अधिकारों में सुधार आएगा और इससे मानव अधिकारों में भी सुधार होगा।

पर्यावरण संरक्षण का आर्थिक विकास पर प्रभाव

- भारत और कई विकासशील देश वास्तव में "एक दोहरे अन्याय" से पीड़ित हैं-
- पर्यावरण क्षरण और जलवायु परिवर्तन का अप्रत्यक्ष प्रभाव गरीब देशों पर ज्यादा होता है ।
- उन्हें अपने आर्थिक विकास की कीमत पर ग्रीन हाउस गैस में कटौती करके पर्यावरण को बचाने के समाधान का हिस्सा होना आवश्यक होता है ।
- पर्यावरण क्षरण विकास की मौजूदा समस्याओं को और बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए अधिकतम तापमान में वृद्धि और वर्षा का बदलता रुख, कृषि और खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है
- विकासशील देश, जलवायु परिवर्तन से खुद को अनुकूल बनाने में कम सक्षम हैं और प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी निर्भरता बहुत अधिक है। इस वजह से विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों पर जलवायु परिवर्तन का अधिक प्रभाव होता है।
- विकास का पुराना मॉडल जो संसाधनो के अत्यधिक उपयोग पर निर्भर था, सिर्फ इसलिए विफल नहीं रहा कि पृथ्वी पर सस्ते कच्चे माल की कमी है, बल्कि इसलिए भी विफल रहा क्योंकि कार्बन उत्सर्जन और अपशिष्ट को अवशोषित करने की पृथ्वी की क्षमता सीमित है। चूंकि पर्यावरण क्षरण, मानव उत्पादकता और समृद्धि पर नकारात्मक असर डालता है, इसलिए पारंपरिक आर्थिक विकास का तरीका अधिक समय तक नहीं चल सकता और अंतत: स्वयं के लिए आत्म-घाती होगा।

संतुलन का कायम रहना

विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच द्वंद्व की धारणा, इस विचार पर टिकी हुई है कि पर्यावरण का संरक्षण, तेज विकास के लिए एक बाधा है। परन्तु वास्तविकता यह है कि पर्यावरण संरक्षण के बिना आने वाले वर्षों में उच्च विकास दर बनाए रखना संभव नहीं होगा क्योंकि हम जिस दोहरे संकट (आर्थिक और पर्यावरणीय) का सामना कर रहे हैं वह आपस में एक दुसरे से जुड़े हुए हैं।

- खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल एक संकेत है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए दबान है, परन्तु उत्पादकता पहले से ही पर्यावरण अवनयन और जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभाव से प्रभावित है कुछ लोग जलवायु परिवर्तन को एक वैश्विक खतरा बनने की संभावना से असहमत हैं , परन्तु हाल ही में घटित मौसम की चरम घटनाएं जल्द होने वाले बदलावों की ओर इशारा करती हैं।
- वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट के साथ ही वनों की कटाई की वजह से होने वाले नुकसान की कुल आर्थिक लागत चीन,भारत, अर्जेंटीना, और तुर्की के सकल घरेलू उत्पाद के तीन फीसदी के बराबर है।
- ध्यातव्य है की रोकथाम अक्सर इलाज की तुलना में कहीं अधिक सस्ता होता है – भले ही यह औद्योगिक प्रदूषण को रोकने कि लिए हो या वनों की कटाई कम करने के लिए हो या आपदा की आशंका वाले क्षेत्रों में संस्थाओं को मजबूत करने के लिए हो ।
- दीर्घकालिक और चहुँमुखी विकास के लिए, आज दुनिया को हरित विकास की जरुरत है जो आर्थिक विकास और पर्यावरण स्थिरता के बीच एक सामंजस्य बैठा सके।
- सशक्त संरक्षण और प्रबंधन के साथ, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग भारत के लिए आर्थिक रूप से लाभदायी है क्योंकि भारत में लोगों की आजीविका आज भी कृषि उत्पादन पर बहुत ज्यादा निर्भर है और कृषि उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है।
- वैकल्पिक रूप से, आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए एक ठोस नींव प्रदान कर सकता है। जो कि भारत सरकार को पारिस्थितिक तंत्र की बेहतर देखभाल करने के लिए सक्षम करेगा और और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण अवनयन के खिलाफ लड़ाई के लिए आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से समर्थ बनाएगा।

कृषि बनाम औद्योगिक उपयोग

बढ़ता औद्योगिक क्षेत्रक तीव्र आर्थिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होता है और जैसे-जैसे किसी देश का विकास है, यह देश के अधिकांश क्षेत्रों में दिखाई देता है। स्थिर औद्योगिक विकास, निरंतर आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है। एक पूर्ण विकसित औद्योगिक क्षेत्रक जिसमें अलग-अलग क्षेत्र शामिल होते हैं, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक दूसरे पर निर्भर, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के साथ, अच्छी तरह से संतुलित देश का औद्योगिक क्षेत्रक, आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

हालांकि, भारत जैसे विकासशील देश में, कृषि अभी भी एक प्रमुख भूमिका निभाती है। कृषि क्षेत्र, अभी भी देश का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का व्यवसाय है और देश के 58.4 % लोगों को रोजगार

प्रदान करता है। विभिन्न महत्वपूर्ण उद्योगों को उनका कच्चा माल कृषि क्षेत्र से मिलता है | इतना ही नहीं सूती वस्त्र उद्योग, जूट वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग आदि सीधे कृषि पर ही निर्भर हैं। हथकरघा, कताई, तेल मिलिंग, चावल की कुटाई जैसे विभिन्न छोटे और कुटीर उद्योग अपने कच्चे माल के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं। कुल निर्यात आय का 14.7 % कृषि क्षेत्र से आता है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के कच्चे माल से बनाये गए सामान का भी भारतीय निर्यात में लगभग 20 % का योगदान होता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृषि के बिना, भारत का अस्तित्व नही है परन्तु उद्योगों के बिना भी भारत का विकास नहीं हो सकता। कृषि और उद्योग एक साइकिल के दो पहियों की तरह हैं; जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। इसलिए देश में कृषि के साथ-साथ उद्योग भी आवश्यक है। उद्योगों में वृद्धि होनी चाहिए पर कृषि के साथ समझौता करके नहीं। कृषि और उद्योग, दोनों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बननी चाहिए।

- बंजर और अनुत्पादक भूमि पर सरकार को उद्योग स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए। भारत में बंजर भूमि प्रचुर मात्रा में है। ये भूमि, उत्पादकता की कमी या पानी और जरुरी खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण कृषि के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
- ऐसे क्षेत्र देश के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे गुजरात और राजस्थान में। बहुत कम खाद्य उत्पादन वाले क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं।
- लेकिन इस प्रकार की भूमि में उद्योगों की स्थापना निरंतर संभव नहीं होती है। एक उद्योग की स्थापना कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ते श्रमिक, संचार साधन और अन्य आर्थिक व्यावहारिकता।
- अगर कृषि भूमि को औद्योगिक विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो सरकार को किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। मुआवजा ,पैसे या नौकरी के रूप में भी हो सकता है।
- कृषि में वैज्ञानिक विधि का उपयोग कर, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए। आनुवांशिक रूप से संशोधित बीज से खाद्य उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, जो कि कीट प्रतिरोधी और उच्च उत्पादकता वाले होते हैं। कृषि के आधुनिक तरीकों से भी किसानों को लाभ हो सकता है।

आदिवासी भूमि अधिकार

भारत के वन क्षेत्र में 25 करोड़ लोग निवास करते हैं और उनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत वन-उपज है। परन्तु 1927 के भारतीय वन कानून के तहत सुरक्षित और संरक्षित वनों को खेती या पशु-चारागाह के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इस कारण परंपरागत वनवासियों ने बड़े पैमाने पर वनों में अतिक्रमण करने का प्रयास किया, जिस कारण उन्हें बेदखली, जुर्माना और गिरफ्तारी जैसी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

1950 के दशक में जमींदारी प्रथा की समाप्ति के बाद स्थिति और बिगड़ गयी। आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था जिससे उनमें जंगल की सुरक्षा और स्वामित्व की सामाजिक भावना कम हो गयी।

असंतोष और सामाजिक अशांति की अवधि के बाद, सरकार ने स्थानीय लोगों को भूमि स्वामित्व अधिकार देने का निर्णय लिया। भूमि स्वामित्व अधिकार, स्थानीय लोगों को कब्जे की अवधि के अनुसार दिया गया। इस प्रणाली से पटवारी (अभिलेख का भू-रक्षक) का महत्व बढ़ गया। पर आदिवासियों के पास, कब्जे की अवधि को साबित करने का कोई तरीका नहीं था और एक व्यक्ति (पटवारी) के हाथ में सभी शक्ति देने से, पूरी प्रणाली भ्रष्ट हो गयी।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत , अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 को वनवासियों के साथ किये गए 'ऐतिहासिक अन्याय' को दूर करने के लिए लागू किया गया था। भारतीय वन अधिनियम, 1927 ने परंपरागत निवासियों के उचित पुनर्वास के बिना ही, सरकार को वन भूमि अधिग्रहित करने के लिए मनमाने ढंग की शक्ति दे दी थी।

- 2006 के कानून में दिए गए अधिकार:
- स्वत्वाधिकार अर्थात् स्वामित्व– 13 दिसंबर 2005 तक अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि पर खेती करने वाले आदिवासी या जंगल में रहने वाले लोगों को उस भूमि (केवल खेती की जाने वाली भूमि) का स्वामित्व प्रदान किया गया अर्थात कोई नई भूमि नहीं दी जा रही हैI
- भूमि उपयोग अधिकार – लघु वनोपजों के लिए (स्वामित्व सहित), चराई क्षेत्रों के लिए, चारागाह मार्गों के लिए, आदि
- राहत और विकास के अधिकार- अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन के मामले में पुनर्वास के लिए और वन संरक्षण के लिए प्रतिबंधों के अधीन बुनियादी सुविधाओं के लिए।
- वन प्रबंधन के अधिकार- वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए।
- कानून के तहत अधिकार पाने के लिए सिर्फ वही पात्र हैं जो कि मुख्य रूप से जंगलो में रहते हैं या आजीविका के लिए वन और वन भूमि पर निर्भर हैं। दावेदार या तो क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए या 75 साल से जंगल में निवास कर रहा होना चाहिए।
- अधिनियम के अनुसार प्रारम्भ में ग्राम सभा एक प्रस्ताव पारित

VISION IAS

करेगी जिसमे "संसाधनों का अधिकार किसे दिया जाना चाहिए" की सिफारिश की जाएगी। फिर यह प्रस्ताव, पहले विकासखंड स्तर पर और फिर जिला स्तर पर जांचा जायेगा |इसके पश्चात् इसे मंजूरी दी जाएगी। जांच समिति में तीन सरकारी अधिकारी और स्थानीय निकाय के तीन निर्वाचित सदस्य होते हैं।

वन अधिकार कानून के आलोचकों का कहना है कि इसे वनवासियों को वोट बैंक बनाने और प्राकृतिक संसाधनों के निजीकरण के लिए लागू किया गया था। लेकिन कानून के बुनियादी सिद्धांतों को काफी हद तक गलत समझा गया है। आम धारणा के विपरीत, वन अधिकार कानून एक भूमि पुनर्वितरण क़ानून नहीं है। यह महज वन भूमि पर खेती के लिए कब्जा किये हुए वनवासियों को जमीन के स्वामित्व का अधिकार देता है। ये भूमि अधिकार बेचे नहीं जा सकते, लेकिन एक परिवार के अंतर्गत हस्तांतरित किये जा सकते हैं।

परन्तु फिर भी इस कानून के (जिसने भारत के समृद्ध वन संसाधनों का दोहन करने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाये गए सदियों पुराने औपनिवेशिक कानूनों को पलट डाला) क्रियान्वयन के कई वर्षों के बाद भी यह आशा अनुरूप परिणाम नहीं दे पाया है।.

- भूमि अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि कानून का कमज़ोर कार्यान्वयन कई सारे मुद्दों की वजह से है जैसे- जागरूकता की कमी, अधिकार साबित करने में कठिनाइयां, और पात्रता रोकने के लिए वन विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध हस्तक्षेप ।
- इस क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ता, वन अधिकारियों पर भूमि अधिकारों के प्राप्त होने के मार्ग में बाधक बनने का आरोप लगाते हैं। उनके अनुसार वन अधिकारी जानबूझकर सबूत नष्ट करते हैं।
- राज्य के अधिकारियों पर खुद ही, कानून के उल्लंघन के आरोप भी लगते हैं। जंगल में रहने वाले लोगों के अनुसार उन्हें जंगल से जबरन बेदखल किया जाता है, जबकि उनकी सहमती के पश्चात ही उन्हें वहा से विस्थापित किया जा सकता है |

भारत में भूमि अधिग्रहण

भारत में भूमि अधिग्रहण कई विवादों का केंद्र बना हुआ है। इसकी जटिलता, चुनौतियों और महत्व के संदर्भ में, शायद ही कोई दूसरी प्रतिद्वंद्वी सार्वजनिक नीति इसके बराबर हो। यह देश के विकास और शहरी तथा औद्योगिक स्थिति के संक्रमण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में केंद्र सरकार 1894 वाले मौजूदा भूमि कानून से सम्बंधित बाधाओं को दूर करने के प्रयासरत है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894

वर्ष 2014 तक भारत में भूमि अधिग्रहण, औपनिवेशिक काल के भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अनुसार किया जाता था। 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम सरकार को निजी भूमि के अधिग्रहण की अनुमति देता था। इस अधिनियम के तहत विस्थापित लोग, जमीन के बाजार मूल्य के अनुसार मुआवज़ा राशि के ही हकदार थे। यह मुआवज़ा राशि, अभी भी बहुत ही कम है।

- खुद कानून का शीर्षक ही इस बात कि पुष्टि करता है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य भूमि के अधिग्रहण में तेजी लाना था।
- एक बार अगर भूमि अधिग्रहण करने वाला प्राधिकरण अधिग्रहण के लिए फैसला कर लिया है तो बिना यह परवाह किए कि अधिग्रहण से व्यक्ति कैसे प्रभावित होगा, अधिग्रहण किया जा सकता है।
- अधिग्रहण की प्रक्रिया को रोकने के लिए किसी प्रकार के वास्तविक अपीलीय तंत्र की व्यवस्था नहीं थी। धारा 5A के तहत एक सुनवाई का प्रावधान था, लेकिन इसमें चर्चा या बातचीत का प्रावधान नहीं था। व्यक्त किए गए विचार को सुनवाई के दौरान, संबंधित बोर्ड अधिकारी द्वारा उठाया जाना जरुरी नहीं था।
- 1894 के कानून में अधिग्रहण से विस्थापित लोगों के पुनर्वास और पुनर्विस्थापन से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था।
- तात्कालिकता खंड: यह इस कानून का सबसे आलोचनात्मक अंश था। इसमें तत्काल आवश्यकता को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया था और इसे अधिग्रहण प्राधिकारी के निर्णय पर छोड़ दिया गया है। परिणामस्वरुप कानून के तहत लगभग सभी अधिग्रहण में तात्कालिकता अनुच्छेद का उपयोग किया गया था।
- जहाँ पर अधिग्रहण हो चुका होता था, वहां उसे ऊपर उल्लेखित आधारों पर अदालत में चुनौती दी जाती थी। इसके परिणाम-स्वरूप वैध बुनियादी परियोजनाओं में भी विलम्ब हो रहा था।
- भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (LARR कानून)
- यह क़ानून भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की जगह लेगा। यह भूमि अधिग्रहण के साथ ही पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन भी प्रदान करेगा।
- भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में एक सामाजिक प्रभाव आकलन जूडा है। साथ ही साथ अधिग्रहण के इरादे, अधिग्रहण की घोषणा और एक निश्चित समय तक दिये जाने वाले मुआवजे को बताती हुई प्रारंभिक अधिसूचना भी शामिल है। अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन देना भी जरुरी है।
- अधिग्रहीत भूमि के मालिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में बाज़ार मूल्य का चार गुना और शहरी क्षेत्रों में दुगुना मुआवजा दिया जाना है।
- नए कानून के अनुसार, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण से पूर्व कम से कम 70 फी सदी जमीन मालिकों और निजी कंपनियों के लिए जमीन अधिग्रहण से पूर्व 80 फी सदी जमीन मालिकों की सहमति अनिवार्य है।

- निजी कंपनियों द्वारा भूमि के बड़े टुकड़े की खरीद पर पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रावधान की आवश्यकता होगी।
- इस अधिनियम के प्रावधान, मौजूदा 16 कानून जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, रेल अधिनियम 1989, आदि के तहत अधिग्रहण करने के लिए लागू नहीं होंगे।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अध्यादेश 2014

यह अध्यादेश दिसंबर 2014 में राजग सरकार द्वारा लाया गया था। इसके द्वारा 2013 के अधिनियम में ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गए:

- LARR कानून ने अपने दायरे से 13 अधिनियम, (जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, और रेल अधिनियम 1989) को बाहर रखा था। हालांकि LARR कानून में प्रावधान था कि इन 13 कानूनों के अंतर्गत आने वाले मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन को एक वर्ष के भीतर एक अधिसूचना के माध्यम से, इस अधिनियम अनुरूप लाया जाना आवश्यक है। अध्यादेश ने इन 13 कानूनों के अंतर्गत आने वाले मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन को 2013 के अधिनियम के अनुरूप ला दिया।
- 2013 के अधिनियम अनुसार, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण से पहले कम से कम 70 फी सदी जमीन मालिकों और निजी कंपनियों के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए से पहले 80 फी सदी जमीन मालिकों की सहमती अनिवार्य थी। अध्यादेश ने भूमि के उपयोग की पांच विशेष श्रेणियां बनायीं जिन्हें उपरोक्त अनिवार्यता से बाहर रखा गया (i) रक्षा (ii) ग्रामीण बुनियादी ढांचे (iii) किफायती आवास, (iv) औद्योगिक गलियारे (v) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) सहित बुनियादी ढाँचे जिनमे भूमि मालिक केंद्र सरकार है।
- इसके अलावा, अध्यादेश के अनुसार, सरकार उपरोक्त पांच श्रेणियों की परियोजनाओं को एक अधिसूचना के माध्यम से, निम्नलिखित प्रावधानों में भी छूट दे सकती है:
  - i. 2013 के अधिनियम अनुसार प्रभावित परिवारों की पहचान करने के लिए एक सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाना आवश्यक है।जब भूमि का अधिग्रहण किया जाना हो तब सामाजिक प्रभाव की गणना करना आवश्यक है।
  - ii. 2013 के अधिनियम ने सिंचित बहु-फसली भूमि और अन्य कृषि भूमि के अधिग्रहण पर कुछ प्रतिबंध लगाये थे। जैसे सिंचित बहु-फसली जमीन का सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा से ज्यादा का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता।
- 2013 के अधिनियम के अनुसार, अगर अधिग्रहीत भूमि पांच साल तक उपयोग में नहीं लायी जाती है तो उसे उसके मूल मालिकों को या भूमि-बैंक को लौटना जरुरी है। अध्यादेश के अनुसार, यह अवधि या तो पांच साल रहेगी या अगर परियोजना की स्थापना के समय पांच साल से ज्यादा समय सीमा निर्दिष्ट की जाती है तो वह मान्य होगी।
- निजी अस्पतालों और निजी शिक्षण संस्थानों के लिए भूमि का अधिग्रहण को 2013 के अधिनियम से बाहर रखा गया था। अध्यादेश ने इस प्रतिबंध को हटा दिया।

भूमि अधिग्रहण और आदिवासी

भारत के छह दशक पुराने लोकतंत्र में उठाये गए अनुचित कदमों में से सबसे बड़ा अनुचित कदम , राष्ट्र निर्माण के नाम पर ग्रामीण भारतीयों का जबरन विस्थापन है। इसका सार्वाधिक प्रभाव भारत के आदिवासी समूहों पर पड़ा है । 2011 में बारहवीं पंचवर्षीय योजना ने उल्लेख किया है कि आजादी के बाद से विकास परियोजनाओं में करीब 6 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ है, जिनमे से 40 फी सदी आदिवासी थे जबकि उनका जनसँख्या में प्रतिशत केवल 8 फी सदी के करीब ही योगदान है। भारतीय समाज में विकास और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए, इस तरह के समुदायों के खिलाफ हिंसा को लेकर जिस तरह की मात्रात्मक या गुणात्मक अंतर्दृष्टि की कमी है, उससे पता चलता है कि नागरिक और नीति निर्माता, आदिवासियों के विचार और अनुभूतियों की घनघोर उपेक्षा करते है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (LARR कानून), ने 1894 के द्वारा औपनिवेशिक भूमि अधिग्रहण कानून को समाप्त करने के लिए एक लंबे समय से अपेक्षित कदम उठाया है। 1894 का औपनिवेशिक भूमि अधिग्रहण कानून राज्य को नागरिकों को जबरन बेदखल करने की शक्ति देता था। नया कानून आदिवासी समुदायों के लिए न्याय की दिशा में एक संभावित कदम है।

LARR कानून में कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो, अनुसूचित क्षेत्रो से भूमि अधिग्रहीत न की जाए। परन्तु 50-70 फी सदी आदिवासी जनसख्या ऐसी है जो संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आती और उन्हें इस कानून से बाहर रखा गया है। यह एक बड़ी चूक है जिसे जल्द ही सुधारने कि आवश्यकता है। अधिनियम में कहा गया है कि अगर भूमि अधिग्रहण किया जाता है तो यह केवल तभी किया जाए जब दूसरा अन्य कोई विकल्प ना बचा हो। । नए कानून की सार्थकता "अंतिम उपाय "शब्द को परिभाषित करने पर निर्भर है। । यह देखते हुए कि भारत का 90 फी सदी कोयला भंडार, अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का 50 फी सदी भण्डार और भावी बांध आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं। निश्चय ही राष्ट्रीय हित के आधार पर आदिवासियों के हितो की उपेक्षा को उपयुक्त ठहराया जायेगा । आदिवासी समुदायों के लिए कहीं अधिक सार्थक प्रावधान ये है कि अनुसूचित क्षेत्रों में अब अधिग्रहण मुक्त, पूर्व और सूचित

VISION IAS

सहमति के सिद्धांत के अधीन किया जाएगा। प्रासंगिक अनुच्छेद इस बारे में ये कहते हैं:

"संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पहले संबंधित ग्राम सभा या पंचायत या स्वायत्त जिला परिषद की पूर्व सहमति लेना जरुरी है। इसमें भूमि अधिग्रहण का 'तात्कालिता खंड' भी शामिल शामिल हैI इस अधिनियम या किसी भी अन्य केंद्रीय अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी कानून के तहत इस अधिसूचना के जारी होने से पहले ,अनिवार्य परिस्थितियों में किये गए अधिग्रहण सहित , भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों में ऐसा किया जाएगा .. "

यह उन परियोजनाओं पर निर्णय लेने के संवैधानिक अधिकार के कानून की स्पष्ट मान्यता है जो परियोजनाएं उन्हें प्रभावित करती हैं और वे उन परियोजनाओ को नकार भी सकते हैं। यह राज्य और पुलिस के द्वारा इन विरोधों का दमन करने के प्रयासों के बावजूद, आदिवासी क्षेत्रो में जबरन विस्थापन के खिलाफ होने वाले तीव्र विरोध प्रदर्शन की अनिवार्य स्वीकृति है। हालांकि अधिकारियों और निगमों के ग्राम सभा की शक्तियों को हड़पने के कई सारे उदाहरण है। इसलिए सहमति खंड के जानबूझ कर उल्लंघन के लिए जुर्माना या कारावास का दंड होना चाहिये जैसा कि मुआवजा और पुनर्वास खंड के उल्लंघन के लिए है।

अगर LARR कानून को सार्थकता से लागू करना है तो मुख्य रूप से तीन तरह के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। एक तो अफसरशाहों के लिए, विशेष रूप से प्रशासनिक और पुलिस कर्मियों के लिए। जिन्हें अपनी विशिष्ट श्रेणी से बाहर आकर, निरंकुश शक्ति और भ्रष्टाचार के मौकों को परे रख कर,कानून को हृदय से स्वीकार करना चाहिये और नए कानून के तहत भागीदारी की भावना लानी चाहिए। राजस्व की दृष्टि से लघु इकाई होने के बावजूद वन अधिकारी, पुलिस और कलेक्टर, ग्राम सभा के निर्णय लेने के अधिकार का सम्मान करे, यह बड़ा मुश्किल है। और अगर हमे कानून को ज़मीनी तौर पर सार्थक बनाना है तो सरकारी नजरिए में इस बदलाव के महत्व को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

दूसरा जागरूकता अभियान, उन व्यापारियों के लिए चलाया जाना चाहिए जिनके व्यापार आदिवासी क्षेत्रों में संचालित हैं या उनके व्यापार का कच्चा माल आदिवासी क्षेत्रों से आता है। इनमे निजी और राज्य के स्वामित्व वाली खनन, इस्पात और बिजली निगम भी शामिल हैं। इन संस्थाओं में काम कर रहे लोग, नए अधिनियम की खुलेआम अवहेलना करते हैं और आर्थिक गतिविधि और लाभ के लिए एक बाधा के रूप में देखते हैं। जबकि यह कानून एक प्रस्तावित परियोजना के लाभ और हानि के विषय में विमर्श का एक सार्थक तंत्र है । इसके माध्यम से विभिन्न परियोजनाओ के खिलाफ होने वाले विरोध और प्रदर्शनों को इनके प्रारंभ होने से पुर्व ही समाप्त किया जा सकता है ।

आदिवासी समुदायों को भी जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। इसके माध्यम से उन्हें न केवल कानून के द्वारा प्रदान किये गए संरक्षणों के बारे में में बताया जाना चाहिए अपितु उन्हें कानून के उदेश्यों और लक्ष्यों के बारे में भी बताया जाना चाहिए । जनसमुदाय की सुनवाई के कड़वे अनुभव की वजह से आदिवासियों में अब इसके लिए विश्वास कम होता जा रहा है। जनसमुदाय की सुनवाई अब सिर्फ एक औपचारिकता शेष बची है, इसलिए कानून के इरादे की गंभीरता के बारे में बताना और भी ज्यादा जरुरी हो गया है। जागरूकता अभियान का एक तरीका ये हो सकता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ,कुछ समूहों जैसे भाषा अनुसंधान संस्थान , केंद्रीय भारतीय नागरिक मीडिया पहल-स्वरा, आदिवासी छात्र आंदोलन, वकील, आदिवासी समुदाय के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विभिन्न आदिवासी भाषाओँ में संक्षिप्त अधिकार पुस्तिका का प्रकाशन और प्रसार करे। इस तरह के लिखित या मौखिक वर्णनों में ये स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि समुदायों के भागीदारी और विस्थापन विरोधी अधिकार क्या हैं, उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और किस तरह से इनके उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगें ।

परिशिष्ट: पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर राष्ट्रीय नीति 2007

नीति का उद्देश्य दो पहलुओं के बीच संतुलन कायम करना है –

i. विकासात्मक गतिविधियों के लिए भूमि अर्जन
ii. 'भूमि मालिक, किरायेदार, भूमिहीन, कृषि एवं गैर-कृषि मजदूर, कारीगर, और जिनकी आजीविका इस पर निर्भर है, के हितों की रक्षा

नीति ने सिफारिश की है कि परियोजना के लिए न्यूनतम भूमि का ही अर्जन करना चाहिए और कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनों के लिए के न्यूनतम उपयोग होना चाहिए। इसके अलावा इस तरह के उद्देश्यों के लिए, बहु-फसल भूमि के अर्जन से बचा जाना चाहिए और सिंचित भूमि का अर्जन भी न्यूनतम होना चाहिए। परियोजनाओं को बंजर भूमि या गैर-सिंचित भूमि पर स्थापित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति के ये उद्देश्य हैं: -

- विस्थापन को कम से कम करने के लिए और जहाँ तक संभव हो, गैर विस्थापन या कम से कम-विस्थापित विकल्प को बढ़ावा देना;
- पर्याप्त पुनर्वास पैकेज और प्रभावित परिवारों की सक्रिय भागीदारी के साथ पुनर्वास की प्रक्रिया का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

- समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा की विशेष देख-रेख और राज्य पर संवेदनशीलता के साथ उनके प्रबंध का दायित्व;
- प्रभावित परिवारों के लिए स्थायी आय प्रदान करने और जीने का एक बेहतर मानक प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास;
- विकास योजना और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में पुनर्वास की चिंताओं को एकीकृत करना
- जहाँ विस्थापन भूमि अधिग्रहण के कारण है, वहां आपसी सहयोग के माध्यम से अपेक्षित निकाय और प्रभावित परिवारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध की सुविधा प्रदान करना।

राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2007 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- नीति में अनैच्छिक विस्थापन के सभी मामलों को शामिल किया गया है;
- मैदानी भागों में 400 की जनसँख्या व आदिवासी, पहाड़ी, अनुसूचित क्षेत्रों में 200 की जनसँख्या वाले परिवारों के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) की शुरुवात;
- 200 से अधिक अनुसूचित जनजाति के परिवारों के विस्थापन के मामले में जनजातीय विकास योजना;
- ग्राम सभा के साथ परामर्श या सार्वजनिक सुनवाई को अनिवार्य कर दिया;
- विस्थापन से पहले पुनर्वास का सिद्धांत;
- शिकायत निवारण के लिए लोकपाल; और
- एक राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग

नीति के अंतर्गत, प्रभावित परिवारों को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:

- "भूमि के बदले में भूमि", जिस सीमा तक सरकारी जमीन, पुनर्वास क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकती है;
- रिक्त पदों की उपलब्धता और प्रभावित व्यक्ति की उपयुक्तता के अधीन, 'प्रभावित परिवार' की परिभाषा के भीतर आने वाले, प्रत्येक छोटे परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को परियोजना में रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता;
- उपयुक्त रोजगार और स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण;
- प्रभावित परिवारों के पात्र व्यक्तियों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति;
- प्रभावित व्यक्तियों की सहकारी समितियों के समूहों को, परि-योजना स्थल के आसपास के ठेके और अन्य आर्थिक अवसरों के आवंटन में वरीयता;
- परियोजना में निर्माण कार्य में प्रभावित व्यक्तियों को वेतन रोजगार;
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमिहीन प्रभावित परिवारों को घरों सहित आवास लाभ; और अन्य लाभ।

सामाजिक सुरक्षा क्या है ?

सामाजिक सुरक्षा को कानून द्वारा स्थापित सामाजिक संरक्षण के किसी कार्यक्रम के रूप में या अन्य कोई अनिवार्य व्यवस्था, जो व्यक्तियों को वृद्धावस्था, उत्तरजीविता, अक्षमता, विकलांगता, बेरोजगारी या बच्चों के पालन से सम्बंधित आकस्मिक संकट के उत्पन्न होने पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, के रूप मे परिभाषित किया जा सकता है। उपचारात्मक या निवारक चिकित्सा देखभाल तक पहुँच की पेशकश भी कर सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एसोसिएशन द्वारा परिभाषित रूप में, सामाजिक सुरक्षा में सामाजिक बीमा कार्यक्रम, सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सार्वभौमिक कार्यक्रमों, पारस्परिक लाभ योजनाओं, राष्ट्रीय भविष्य निधि और बाजार उन्मुख दृष्टिकोण सहित अन्य व्यवस्थाओं को शामिल कर सकते है, जो राष्ट्रीय कानून या प्रथा के अनुसार एक देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के एक हिस्से का निर्माण करते हैं।

सामाजिक सुरक्षा लोगों और समाज की भलाई के लिए आवश्यक है। यह एक बुनियादी मानव अधिकार है (हालांकि संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं है) और इसकी उपलब्धि देश के विभिन्न विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देगी। सामाजिक सुरक्षा उपायों से शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने, उत्पादकता में सुधार लाने और नागरिकों के बीच गर्व और आत्म सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के इत्यादि रूप में दूरगामी लाभ होगा।

इस तरह के उपाय से कुछ हद तक गरीबी उन्मूलन में भी मदद मिलेगी। कार्य स्थितियों में स्वास्थ्य और जीवन के खतरों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के न्यूनतम स्तर से शुरू करके यह उत्तरोत्तर बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, प्रसूति देखभाल, वृद्धावस्था प्रावधान आदि जैसे प्रावधानों को शामिल करते हुए सामाजिक सुरक्षा कल्याण के उपाय करने के लिए बढ़ाया जा सकता है । ऐसी सामाजिक सुरक्षा को सभी के लिए बढ़ाया जा सकता है।

अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और ज्यां द्रेज ने सामाजिक सुरक्षा के दो पहलू - 'प्रोटेक्शन' अर्थात संरक्षण और 'प्रमोशन' अर्थात प्रोत्साहन – में भेद किया है। संरक्षण का अर्थ है बीमारी, दुर्घटनाओं के कारण जीवन स्तर और रहन-सहन की स्थिति में गिरावट को रोकने के उपाय। जबकि प्रमोशन अथवा प्रोत्साहन बेहतर जीवन स्थितियों पर केंद्रित है, यह हर किसी व्यक्ति को लगातार क्षमताओं के अभाव को दूर करने में मदद किये जाने से संबंधित है।

एक सार्वभौमिक अधिकार

अनिवार्य बीमा के आधार पर पहले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यूरोप में प्रारंभ किए गए थे। तथापि,

VISION IAS

20 वीं सदी के दौरान विश्व भर में और अधिक व्यापक रूप से राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विकसित हुए। सामाजिक सुरक्षा के विकास को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और अन्य साधनों के द्वारा समर्थन दिया गया। सामाजिक सुरक्षा को 1948 के मानवाधिकार पर सार्वभौम घोषणापत्र में एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया था।

कुछ देशों जैसे जर्मनी और ब्राजील में, सामाजिक सुरक्षा अधिकार की संवैधानिक गारंटी दी गई है। आज अधिकांश देशों में सामाजिक सुरक्षा की कुछ न कुछ प्रणाली विद्यमान है। दुनिया भर में इस कार्यक्रम का सबसे सरल रूप वृद्धावस्था, विकलांगता और उत्तरजीवी पेंशन के रूप में है, जिसका विस्तार कार्य के दौरान दुर्घटना में लगी चोटों औरकार्यस्थल की परिस्थितियों से संबद्ध रोगों, बीमारी और मातृत्व, परिवार भत्ते और बेरोजगारी के लिए लाभ के कार्यक्रमों तक किया गया है।

उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, लगभग 50 फीसदी वैश्विक आबादी की किसी न किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच है, जबकि केवल 20 फीसदी आबादी पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में है।

इसलिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे को सभी क्षेत्रों तक बढ़ाना ,सामाजिक सुरक्षा संगठनों के लिए एक प्रमुख चुनौती है। हालांकि, यह केवल आबादी की जनसांख्यिकीय उम्र बढ़ने, परिवार के ढांचे के विकास, आर्थिक वैश्वीकरण के प्रभावों, अनौपचारिक श्रम बाजार, और महामारी और पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर यह कार्य किया जा सकता है ।

सामाजिक सुरक्षा का महत्व

सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के सामाजिक महत्व को अब व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। हालांकि सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के आर्थिक महत्व के बारे में मतैक्य नहीं है। अब यह एक मत के रूप में उभरकर आ रहा है कि सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को आर्थिक विकास में एक उत्पादक कारक के रूप में समझा जाना चाहिए ।

जब सामाजिक सुरक्षा प्रावधान के आर्थिक महत्व के मामले में दलीलें पेश की जाती हैं, तब यूरोपीय सामाजिक सुरक्षा का इतिहास विशेष रूप से शिक्षाप्रद है। कई यूरोपीय देशों ने उनके विकास क्रम के प्रारंभ में अमीर समाज बनने से पहले ही सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत की। यूरोपीय इतिहास यह दर्शाता है कि कुशल अर्थव्यवस्था और कुशल सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था साथ-साथ विकसित हो सकती हैं और सामाजिक सुरक्षा से आर्थिक विकास में बाधा नहीं आती है। जाहिर है सभी देशों को अपनी स्वयं की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार अपनी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का विकास करना होगा। बहरहाल यूरोपीय अनुभव के आधार पर, विकासशील देशों के लिए एक संदेश स्पष्ट है: प्रभावी और कुशल सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सामाजिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण (एच.डी.आर. रिपोर्ट 2014)

बेरोजगारी, बीमा, पेंशन कार्यक्रम और श्रम बाजार विनियम सहित सामाजिक संरक्षण लोगों के सम्पूर्ण जीवन काल में और विशेष रूप से संवेदनशील चरणों के दौरान जोखिम और प्रतिकूल परिस्थितियों में कवरेज की पेशकश कर सकते हैं। एक अतिरिक्त तथा प्रभावी मदद के रूप में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, परिवारों को परिसंपत्तियों को बेचने, बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने या आवश्यक चिकित्सा देखभाल स्थगित करने से बचने में सहायता करते हैं।

इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के प्रशासन व कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध वितरण (डिलीवरी) नेटवर्क और तंत्र को, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं में तात्कालिक रूप से कदम उठाने और सहायता प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कई सामाजिक सुरक्षाओं का सकारात्मक उपोत्पाद (spinoff) प्रभाव है। बेरोजगारों के लिए चलायी गयी बीमा योजनाओं ने बेरोजगारों को जल्दबाजी में पहली नौकरी लेने के लिए मजबूर करने के बजाय उन्हें अपने कौशल और अनुभव से मेल खाने वाली नौकरियों का चयन करने की आजादी दी है। इससे श्रम बाजार की कार्यप्रणाली में सुधार हुआ है। परिवारों को आय समर्थन ने श्रम बाजार भागीदारी को प्रोत्साहित किया है, इसने अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराकर बेहतर अवसरों की खोज करने के लिए लोगों को सक्षम बनाया है तथा नौकरी की तलाश में घर के सदस्यों के विस्थापित होने को भी कुछ सहज बनाया है। कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह की सहायता लोगो को कार्य करने के लिए हतोत्साहित करेगी । यद्यपि किसी कार्य में भागीदारी इसकी रूपरेखा पर निर्भर करता है । फिर भी, इस बात के काफी सबूत हैं कि श्रम बाजार विनियमन से कुल मिलाकर लाभ हुआ है और असमानता को कम करने में मदद मिली है।

सामाजिक सुरक्षा विकासशील देशो में, लोगों की क्रयशक्ति क्षमता में वृद्धि कर सकती है और गरीबी को कम करने में सहायक हो सकती है। सामाजिक सुरक्षा लोगों की आयप्राप्ति में स्थिरता ला कर समग्र उत्पादन को स्थिरता प्रदान करती है उतार चढ़ाव को कम करके उत्पादन अस्थिरता को प्रतिसंतुलित कर सकती है। सशक्त सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा नीतियां न केवल व्यक्तिगत रूप से सामर्थ्यवान बनाती हैं अपितु संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती हैं।

VISION IAS

भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता

भारतीय समाज परंपरागत रूप से एक संयुक्त परिवार प्रणाली के उदहारण को प्रस्तुत करता है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा को मुख्य रूप से समुदाय और परिवार के द्वारा प्रदान किया गया। राज्य को एक 'कल्याणकारी राज्य' बनाने की बात संविधान मे की गयी हैं। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद राज्य की सीमित क्षमता की वजह से सामाजिक सुरक्षा दायित्व का एक बड़ा हिस्सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत रखा गया, जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 के अनुसार, भारत में औपचारिक रोजगार मात्र 7% है, इस प्रकार नागरिकों का भारी बहुमत अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य पर ज्यादा निर्भर न होकर सामाजिक संरचना पर अधिक निर्भर था।

वैश्वीकरण की 4मांग की क्योंकि

वैश्वीकरण की प्रक्रिया में रोजगार संबंध कमजोर हुए हैं, जिसने औपचारिक क्षेत्र के नियोक्ताओं को किसी भी प्रकार का सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए बिना कम मजदूरी पर श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रेरित किया है| बड़ी औपचारिक क्षेत्र की इकाईया माल और सेवाओं के उत्पादन को कंपनी के स्थापित तंत्र के बाहर की छोटी इकाइयों के द्वारा करवाने को अधिक सुविधाजनक समझती है| इसके माध्यम से वे कम लगत पर उत्पादन कर पाती है | सामाजिक सुरक्षा की जरूरत विशेष रूप से इसलिए महसूस की गयी क्योंकि सरकार की वैश्वीकरण से प्रभावित नीतियों से अनुबंधीकरण, आउटसोर्सिंग और उद्योगों के अनौपचारीकरण में वृद्धि हुई, जिससे असंगठित क्षेत्र के आकार में वृद्धि को बल मिला। अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिक सुरक्षा सम्बन्धी आयामों को सरकार के द्वारा अनुभव किया गया है। फलस्वरूप भारतीय नीति निर्माताओं के द्वारा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के व्यापक ढाचे के निर्माण का गंभीरता पूर्वक प्रयास किया जा रहा है, इसके अलावा जैसे-जैसे प्रवास, शहरीकरण और जनसांख्यिकीय परिवर्तन मे वृद्धि हो रही है वैसे-वैसे संयुक्त परिवार प्रणाली की संस्था गिरावट पर है, जो सामाजिक सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करती थी। इसके अलावा अधिक जागरूक नागरिकों द्वारा सुशासन की मांग में भी तेजी आयी है, जिसमें उनके लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय भी शामिल है।

अंतत: वर्तमान में सरकार के पास संसाधन, स्वतंत्रता के समय की तुलना में बहुत अधिक हैं। ये स्थितियां अनिवार्य कर देती हैं कि सरकार व्यापक सामाजिक सुरक्षा पहल पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित करे।

संवैधानिक आधार और अधिनियम

सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मामले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध हैं। सामाजिक सुरक्षा के निम्नलिखित मुद्दे समवर्ती सूची (भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में तृतीय सूची) में उल्लिखित हैं:

- मद संख्या 23: सामाजिक सुरक्षा और बीमा, रोजगार और बेरोजगारी।
- मद संख्या 24: काम की स्थितियों, भविष्य निधि, 'नियोक्ता दायित्व, श्रमिक मुआवजा, अपाहिज और वृद्धावस्था पेंशन और मातृत्व लाभ के माध्यम से श्रमिक कल्याण?
- भाग IV: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
- अनुच्छेद 41 के अंतर्गत काम करने, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, काम करने का, शिक्षा और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के और अन्य अवांछित परिस्थितियों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार हासिल करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा
- अनुच्छेद 42 के अंतर्गत काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं और मातृत्व लाभ के लिए प्रावधान। राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को हासिल करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करना होगा।
- अधिनियम
  - a. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
  - b. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
  - c. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972
  - d. कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
  - e. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

सामाजिक सुरक्षा की प्रकृति

सामाजिक सुरक्षा शब्द का विभिन्न संदर्भों में अलग-अलग लोगों के लिये अलग-अलग अर्थ है, इसलिए सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी घटकों को परिभाषित करना आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा के आवश्यक घटक जिन पर विचार की जरूरत है, निम्न हैं:

जीवन और विकलांगता सुरक्षा

'जीवन की सुरक्षा' सभी स्थितियों में सभी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। हर कोई बीमारी या दुर्घटना के कारण असामयिक मौत के खतरे के दायरे में है। निम्न जीवन स्तर तथा देखभाल में कमी के कारण असंगठित क्षेत्र के लोगों में यह खतरा अधिक है। जहाँ एक ओर जीवन स्तर में सुधार जैसी चुनौती का समाधान करना वांछनीय है, वहीँ दूसरी ओर जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती परिवार को किसी न किसी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना भी अति आवश्यक है। जीवन बीमा की अवधारणा इस मुद्दे का समाधान करती है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के श्रमिक निम्न कारणों से व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी को वहन कर पाने

VISION IAS

में सक्षम नहीं हो पाते हैं।

- वित्तीय अपर्याप्तता
- बीमा की अवधारणा को समझने के लिए और सही पॉलिसी का चयन करने के लिये पर्याप्त साक्षर नहीं
- बीमा योजनाओं द्वारा प्राप्त सुरक्षा को लम्बे समय तक कायम न रख पाना ।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विशेष रूप से आर्थिक प्रणाली में जो हाशिये पर हैं, उनके लिए जीवन बीमा सुरक्षा की जरूरत संगठित क्षेत्र के लोगों की तुलना में अधिक है क्योंकि संगठित क्षेत्र के लोगों के लिये किसी न किसी प्रकार का संरक्षण और लाभ नियोक्ताओं और अन्य संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध होता है। अत: असंगठित क्षेत्र के लिए एक सरल बीमा योजना जिसमें श्रमिक अंशदान न्यूनतम हो चलाये जाने की आवश्यकता है ।जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन में जोखिम कम करते हुए उन्हें सामजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

इस तरह का संरक्षण या तो सरकारी धन से , या सह-अंशदान के आधार पर उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। कभी-कभी दुर्घटना का एक परिणाम एक व्यक्ति की आंशिक या पूर्ण विकलांगता के रूप में सामने आता है। यह न केवल उसकी आय अर्जन क्षमता को प्रभावित करती है, बल्कि यह उपचार पर खर्च को भी बढ़ाती है। विस्तृत स्वास्थ्य देखभाल को अलग से संबोधित किया जा सकता है, आंशिक या स्थायी विकलांगता के मामले में विकलांगता से संबंधित संरक्षणात्मक उपायों के रूप में कुछ वित्तीय सुरक्षा को सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक अनिवार्य घटक बनाया जाना चाहिए।

वृद्धावस्था आय सुरक्षा

एक व्यक्ति अपनी क्षमता, पृष्ठभूमि और बाजार में उपलब्ध अवसरों के अनुसार कुशल या अकुशल श्रम से ही अपनी आजीविका प्राप्त करता है। शारीरिक श्रम करने की उनकी क्षमता आयु में वृद्धि के साथ कम होती जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है जब और अधिक शारीरिक श्रम करने की क्षमता नहीं रह जाती अथवा वृद्धावस्था के कारण व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। संयुक्त परिवार प्रणाली में, कुछ परिवारिक समर्थन अंतर्निहित होता था। लेकिन संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन के साथ, यदि वृद्धों की वित्तीय जरूरतों का ख्याल नहीं रखा जाये तो वृद्धावस्था अक्सर अभिशाप बन जाती है।

इस मुद्दे के व्यापक समाधान के लिए, प्रत्येक असंगठित कामगार के लिए वृद्धावस्था पेंशन का एक अनिवार्य प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए सरकार के साथ-साथ सभी नियोक्ता और संस्थायें वित्त पोषण प्रदान कर सकती हैं।

लाभ को अधिक सार्थक बनाने के लिए नाममात्र सह योगदान श्रमिकों से भी लिया जा सकता है। इसके लिए, सरकार द्वारा अपने दम पर या बीमा कंपनियों के सहयोग से पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक व्यापक क्रियाविधि तैयार की जानी चाहिए और इस योजना को देश में असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य देखभाल और मातृत्व लाभ

स्वास्थ्य देखभाल की एक उचित प्रणाली के बिना, देश प्रगति और विकास के मार्ग पर बहुत अधिक दुरी नही तय कर सकता । वर्तमान में, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली असंगठित मजदूरों और गरीब लोगों की पहुंच से बाहर है। इस क्षेत्र में कुछ शुरुआत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से की गयी है, जो मजदूरों और गरीब लोगों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है।

बड़े पैमाने पर लोगों को सम्मिलित करते हुए तथा उसी अनुपात में चिकित्सा सुविधाएं / अस्पतालों के नेटवर्क को बढ़ाकर ताकि ये लोगों की पहुंच के भीतर हों इसके आधार को और अधिक व्यापक बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर, एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना होनी चाहिये जिसके तहत एक आम आदमी किसी भी नकद भुगतान के बिना चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सके और उसे चिकित्सा देखभाल के लिए ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत न पड़े ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

भारत के संविधान में एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज की परिकल्पना की गई है और उसके अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निर्वाह मजदूरी (living wages) की अवधारणा को जगह मिली है। हालांकि भारत में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए कोई समान और व्यापक मजदूरी नीति नहीं है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में मजदूरी के निर्धारण और उनके प्रवर्तन के लिए क्रियाविधि (तंत्र) मौजूद है। संगठित क्षेत्र में मजदूरी नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच वार्ता और समझौते (सेटलमेंट) के माध्यम से निर्धारित होती हैं।

असंगठित क्षेत्र में, जहाँ श्रमिक अशिक्षा के कारण शोषण की चपेट में हैं और उनके पास सौदेबाजी की कोई प्रभावी शक्ति भी नहीं है, मजदूरी की न्यूनतम दर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रमश: उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले अनुसूचित रोजगार में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत तय की जा रही है।

कानून श्रमिकों के लिए समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए नियोक्ताओं को बाध्य करता है। विशाल अनौपचारिक क्षेत्र के लिए मजदूरी का निर्धारण पूरी तरह से बाजार की शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता और इसलिए सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। अभी तक भारत में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों के लिए कोई समान और व्यापक मजदूरी नीति नहीं

है। शोषण से समाज के कमजोर / कम विशेषाधिकार प्राप्त तबके की रक्षा के लिये भारत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 लागू किया। अधिनियम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कठिन श्रम वाले रोजगारों के सन्दर्भ में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण / संशोधन के लिए राज्यों को अधिकार प्रदान करता है।

समस्याएं और चुनौतियां

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का समामिलन(कन्वर्जेंस)

केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न सरकारी इकाइयों द्वारा चलायी जा रही सामाजिक कल्याण योजनाओं की बहुलता के कारण लाभार्थियों के स्तर पर भ्रम की स्थिति निर्मित हो जाती है। कई बार लाभार्थियो को यह पता नहीं होता है की वे किस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। इससे लाभर्थियो से सम्बंधित आंकड़ों के दोहराव की समस्या उत्पन्न होती है। फलस्वरूप दिशाविहीन अव्यवस्थित प्रयासों के सार्थक परिणाम नहीं मिल पाते। कई बार एक ही व्यक्ति को दोहरे लाभ प्राप्त हो जाते हैं तथा अनेक पात्र लोगो तक इनके लाभ पहुच ही नहीं पाते।

प्रत्येक योजना के प्रशासन में भारी प्रशासनिक लागत शामिल होती है। एक ही समस्या के समाधान के लिए अनेक योजनाओं की उपस्थिति, इस बात की ओर संकेत करती है कि पूरी प्रणाली को युक्तिसंगत बनाया जाये। इसलिए सभी योजनाओं और लाभों को एक समन्वित ढाचे के अंतर्गत लाने की आवश्यकता है।

इससे एक ओर भारी लागत खर्च बचेगा और दूसरी तरफ लाभार्थियों की दृष्टि से प्रणाली सरल बनेगी। सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए एक केंद्रीकृत डाटा आधार होना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा के लाभों तक पहुँच, एक ही पहचान संख्या के आधार पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इसके अलावा यह महसूस किया गया है कि हालाँकि तकनीकी रूप से यहाँ ऊपर सूचीबद्ध बहुत किस्म के क्षेत्रों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों के दायरे को बढ़ाने की संभावना है, लेकिन एक सर्व-समावेशी व्यापक प्रावधान के लिये विशाल संसाधनों की आवश्यकता होगी।

इसलिए सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं को दो स्तरों में विभाजित करना एक विवेकपूर्ण कदम होगा। प्रथम न्यूनतम स्तर पर सुरक्षा के बुनियादी घटकों को शामिल करते हुए न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा स्तर और द्वितीय अन्य सुरक्षा आवश्यकतायें जिन्हें बाद में सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार जोड़ा या बढ़ाया जा सकता है । न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा स्तर के एक भाग के रूप में, सामाजिक सुरक्षा की निम्नलिखित जरूरतों को तुरंत संबोधित किया जा सकता है।

- जीवन और विकलांगता संबंधी संरक्षण उपाय प्राकृतिक और आकस्मिक मृत्यु और आंशिक या स्थायी आकस्मिक विकलांगता
- वृद्धावस्था आय सुरक्षा: पेंशन समाधान;
- स्वास्थ्य देखभाल का समर्थन?

यह महसूस किया गया है कि नियामक प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए पूर्व उल्लिखित प्रकृति की सभी राज्य और केंद्रीय योजनाओं को एक ही योजना या कुछ योजनाओं में मिला दिया जाना चाहिए। जिनके अंतर्गत जीवन सुरक्षा और पेंशन लाभ को जीवन बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान किया जा सकता है, और स्वास्थ्य देखभाल गैर-जीवन बीमा जैसे कंपनियों द्वारा प्रदान किया जा सकता है। लेकिन मुख्य विचार सभी योजनाओं के एकीकरण का होना चाहिए, ताकि एक तरफ लाभार्थियों और दूसरी तरफ सेवा प्रदाताओं के बीच एक साझा सम्पर्क बिंदु(सिंगल इंटरफेस)स्थापित किया जा सके। इस समाधान की लागत कम करने के लिए तकनीकी क्षेत्र में प्रगति का लाभ उठाना चाहिए।

कार्यान्वयन से सम्बंधित मुद्दें

सभी के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन के लिए मजबूत प्रशासनिक तंत्र आवश्यक है। योजना की गुणवत्ता बनाए रखना तो दूर की बात है, कभी-कभी मुख्य कार्यान्वयन कर्ताओं की ओर से रूचि न लेने के कारण योजना आगे ही नहीं बढ़ पाती है। कई केंद्रीय सरकारी योजनाओं को जिनमें राज्य सरकार को कुछ संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक था, सभी राज्यों द्वारा समान रूप से लागू नहीं किया गया।

न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा स्तर ,एक केंद्रीय विषय होना चाहिए और देश के प्रत्येक में सभी पात्र लोगों के लिए अनिवार्य होना चाहिए। यदि राज्य इच्छुक हों तो, वे अतिरिक्त कल्याणकारी उपायों या अपने संसाधनों के के अनुसार संरक्षणात्मक उपायों के लिए प्रावधान कर सकते हैं।

सबसे बड़ी समस्या जिसका अतीत में सामना किया गया है वह है, लाभार्थियों की पहचान, उनके नामांकन और योजना में भाग लेने के लिए उन्हें जागरूक बनाने का कार्य। पंजीकरण और श्रमिकों व सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदाताओं के बीच साझा सम्पर्क बिंदु(सिंगल इंटरफेस) प्रदान करने के उद्देश्य से, श्रमिकों के वास्तविक स्थान के पास 'श्रमिक सुविधा केंद्रों' को विशाल संख्या स्थापित करने की आवश्यकता होगी ।

ये श्रमिक सुविधा केन्द्र विधिवत तौर पर प्रौद्योगिकी संचालित होने चाहिए ताकि ये लागत प्रभावी भी हों और विभिन्न जानकारियों की तीव्र गति से नियत समय में उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा सके। प्रत्येक श्रमिक को एक बहु-उद्देशीय स्मार्ट कार्ड जारी किया जाना चाहिए जिस पर विभिन्न किस्म का लेनदेन किया जा सके। लाभ, काम के विवरण, स्वास्थ्य आदि की पूरी जानकारी इस पहचान के लिये उपलब्ध होनी चाहिए।

VISION IAS

'सेंट्रल डाटा एक्सचेंज या वेयरहाउस' का प्रावधान भी होना चाहिए, जहाँ पूरी जानकारी को जमा और विश्लेषित किया जा सकता है। आंकड़ों का आदान-प्रदान स्वास्थ्य, तैनाती और शिक्षा आदि पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है । यह योजना और अनुसंधान के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो सकता है।

वितरण प्रणाली

संगठित तथा असंगठित श्रमिकों दोनों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा के लाभों के वितरण के संबंध में मौजूदा प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। यह महसूस किया गया है कि अनेक प्रशंसनीय योजनायें जटिल क्रियाविधि और वितरण के लिए आवश्यक जटिल तकनीकी प्रावधानों के कारण वांछित परिणाम देने में असफल रही हैं, जिससे पूरी योजना का उद्देश्य ही समाप्त हो गया। भारत के योजना आयोग द्वारा कार्यक्रमों पर मूल्यांकन अध्ययन सहित, इस तरह के विभिन्न कार्यक्रमों पर उपलब्ध साक्ष्य, लगभग सर्वसम्मति से अधिकांश सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के वितरण में कमियों की तरफ इशारा करते हैं। इस तरह की कमियों में शामिल हैं:

- राज्य सरकारों के स्तर पर वितरण की बुनियादी सुविधाओं की कमी
- वितरण एजेंसियों की ओर से संगठनात्मक क्षमता का अभाव
- टाइप 1 (बहिष्कार) और टाइप 2 (सम्मिलन), दोनों त्रुटियों की वजह से कार्यक्रम के लाभार्थियों की गलत पहचान
- भ्रष्ट आचरण की घटनाओं, प्रशासन और वितरण एजेंसियों द्वारा सुविधा शुल्क की मांग और योजनाओं पर संभ्रांत लोगों द्वारा कब्जा
- योजनाओं के विवरण के साथ-साथ अपने अधिकारों के संबंध में अज्ञानता और जागरूकता का अभाव।

इसलिए उपयुक्त वितरण चैनलों की पहचान और सामाजिक सुरक्षा के लिये पर्याप्त वितरण तंत्र की डिजाइन, जिसमें लाभ के लीकेज, पक्षपात, योजनाओं के प्रशासकों की ओर से सुविधा शुल्क की मांग की मांग से परहेज करते हुए लाभार्थियों तक पहुंचने की क्षमता हो, महत्वपूर्ण है। ऐसे चैनलों और तंत्र को लाभार्थियों को उनके अधिकारों और हकों के बारे में जागरूक करने और कार्यक्रमों के प्रशासन में उनकी भागीदारी को बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि वितरण प्लेटफार्मों को प्रासंगिक प्रौद्योगिकी द्वारा पर्याप्त समर्थन व सहयोग प्राप्त हो।

विभिन्न मानदंडों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध करना

- सामाजिक सुरक्षा करार [social security agreement (SSA)]
- एस.एस.ए., विदेशों में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों तथा स्वरोजगार में लगे भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिए एक द्विपक्षीय साधन है।
- एस.एस.ए. सीमापार श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए भारत और अन्य देशों के बीच किए गए द्विपक्षीय समझौते हैं। यह 'नो कवरेज' या 'डबल कवरेज' से बचने की व्यवस्था हैं और दोनों देशों के श्रमिकों को उपचार की समानता प्रदान करता है।
- यह 3 नवंबर 2006 को भारत और बेल्जियम के बीच एक एसएसए (SSA) पर हस्ताक्षर करने से शुरू किया गया था।
- अभी तक भारत ने 15 देशों के साथ एसएसए पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, हंगरी, डेनमार्क, चेक गणराज्य, कोरिया गणराज्य, नार्वे, फिनलैंड, कनाडा, स्वीडन और जापान के साथ एसएसए शामिल हैं।
- एसएसए सामाजिक सुरक्षा योगदान की दोहरे भुगतान से छूट प्रदान करके दोनों देशों के बीच पेशेवरों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाता है।
- यह योजना खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे गरीब भारतीयों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है.

संगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा को संबोधित करना

- **कर्मचारी भविष्य निधि**
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है जो सामाजिक सुरक्षा विनियमों का प्रशासन/प्रबंध करता है ।
- एक कर्मचारी की मौत की घटना में पेंशन और उत्तरजीविता लाभ को ईपीएफओ संरक्षण प्रदान करता है। यह 20 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों द्वारा नियोजित सभी कामगारों के लिए अनिवार्य है। नियोक्ता को अपने कर्मचारियों की ओर से फंड के लिए आवेदन करना होगा।
- अक्टूबर 2008 के बाद से भारत में कार्यरत सभी विदेशियों को "अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक" की श्रेणी के तहत ईपीएफओ की शर्तों के अधीन कर दिया गया है।
- कर्मचारियों द्वारा उनके वेतन का 12 प्रतिशत योगदान ईपी-एफओ (IFFCO) के लिए करना आवश्यक है, जिसकी कटौती स्वचालित रूप से नियोक्ता द्वारा की जाती है। नियोक्ता का योगदान 12 प्रतिशत से मेल खाना चाहिए। नियोक्ता को कानूनी रूप से इन योगदान को काटना और ईपीएफओ को प्रेषित करना आवश्यक हैं।
- निधि के लिए किए गए योगदान पर एक निर्धारित दर पर कर मुक्त ब्याज अर्जित होता है, यह दर सरकार द्वारा नियमित रूप से अद्यतन की जाती है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को संबोधित करना

भारत में 45.9 करोड़ कुल कर्मचारियों की संख्या में से 94 फी सदी असंगठित क्षेत्र में हैं और शेष 6 फी सदी संगठित क्षेत्र में हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिक कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 जैसे सामाजिक सुरक्षा कानून के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का बहुमत किसी भी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा कानून से रहित था। ऐसे श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की जरूरत को संबोधित करने के लिए सरकार ने 'असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008' लागू किया है।

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष:

- कानून एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है।
- यह असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सिफारिश करेगा।
- राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अगस्त 2009 में गठित किया गया था। इसने असंगठित श्रमिकों के कुछ अतिरिक्त वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं।
- बुनकरो, ताड़ी कार्य में लगे लोगों, रिक्शा चालकों, बीड़ी मजदूरों आदि के लिए 1000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष का भी गठन किया गया है।

ग्रामीण गरीबों की सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध करना

- इंदिरा आवास योजना
- इंदिरा आवास योजना भारत निर्माण के छह घटकों में से एक है।
- इंदिरा आवास योजना के तहत एक रिहायशी इकाई के निर्माण के लिए ग्रामीण परिवारों को प्रदान की जाने वाली प्रति इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपये और पहाड़ी / दुर्गम क्षेत्रों/एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) जिलों में 75,000 रुपये है।
- आवासभूमि योजना (homestead scheme) के तहत, जिन ग्रामीण बीपीएल परिवारों के पास न तो जमीन है और न ही एक घर के लिए जगह है, उन्हें घर के लिए जगह की खरीद/अधिग्रहण के लिए राशि सहायता 20,000 रुपये प्रदान की जाती है, जिसे केंद्र और राज्यों द्वारा 50:50 के अनुपात में साझा किया जा रहा है।
- इंदिरा आवास योजना की प्रभावी निगरानी के लिए एमआईएस सॉफ्टवेयर 'Awaasoft' की व्यवस्था की गयी है।
- एनआरएचएम (NRHM)
- जनसंख्या के जीवन स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार भारत में नीति निर्माताओं के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के तत्वाधान में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को प्रारम्भ किया गया था।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण जनता को सुलभ, किफायती, और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं की योजना और प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी बढ़ाकर, बेहतर कार्यक्रम प्रबंधन, लचीला वित्तपोषण और संयुक्त अनुदान का प्रावधान, विकेन्द्रीकृत नियोजन और मानव संसाधनों की वृद्धि जैसे दृष्टिकोण अपनाकर, स्वास्थ्य प्रणालियों में संरचनात्मक सुधार लाना है।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय परिव्यय में 200 प्रतिशत की वृद्धि करके अब इसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के 99,491 करोड़ रुपये की वास्तविक परिव्यय की तुलना में 3,00,018 करोड़ रुपये किया गया है।
- इस परिव्यय को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में की गयी पहलों को आगे बढ़ाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने के लिए, और सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण की एक प्रणाली स्थापित करने के दीर्घकालिक उद्देश्य की दिशा में बढ़ने के लिए निर्देशित किया जाएगा
- बेहतर बुनियादी ढांचे, मानव शक्ति, दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता और विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वास्थ्य मानव संसाधन की वृद्धि ने स्वास्थ्य सेवा वितरण सेवाओं में सुधार के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध करना

- जननी सुरक्षा योजना (JSY) और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)
- कुशल जन्म परिचारिकाओं द्वारा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) नीचे लाने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना 2005 में शुरू की गयी थी।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) एक नई पहल है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं के लिये पूरी तरह से निशुल्क प्रसव की व्यवस्था की गयी है। इसमें सीजेरियन सहित नि:शुल्क प्रसव, नि:शुल्क दवाओं, निदान, रक्त और आहार, और घर से संस्था तक पहुंचाने के लिये (रेफरल के दौरान भी) मुक्त परिवहन व्यवस्था सम्मिलित है।

वृद्धावस्था नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध करना

- वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम
- योजना का मुख्य उद्देश्य आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर तथा सरकारी / गैर सरकारी संगठनों / पंचायती राज

VISION IAS

संस्थाओं / स्थानीय निकायों और बड़े पैमाने पर समुदायों को क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करके ,क्रियाशील और सक्रिय वृद्धावस्था को बढ़ावा देना और वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

- यह वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों और गैर-संस्थागत सेवाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करती है।
- वृद्धों को स्वस्थ सामर्थ्यवान बनाकर और वृद्धों के प्रति परिवारों को उनके उत्तरदायित्व का ज्ञान कराकर वृद्धों के लिए सुखद जीवन सुनिश्चित करना।

जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा का प्रबंध करना

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून
- ग्रामीण भारत में आज 23 करोड़ लोग अल्प-पोषित हैं और बच्चों में से 50% कुपोषण के शिकार हो जाते हैं।
- 15-49 वर्षों के आयु वर्ग में हर तीसरा भारतीय कमजोर/दुर्बल शरीर का है ।
- स्थिति इतनी गंभीर है कि आज हर चौथा कुपोषित वैश्विक नागरिक एक भारतीय है।
- इसी संदर्भ में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है और अब यह एक अत्यधिक रियायती दर पर अनाज पाने के लिए 2/ 3 भारतीय नागरिकों के लिये एक सांविधिक अधिकार है ।
- तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से ही एक सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा प्रणाली विद्यमान है।

वर्तमान स्थिति

भारत में काम करने वाले गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा में भारी अंतर है। यूपीए सरकार ने असंगठित श्रमिकों (असंगठित क्षेत्र और बिना किसी भी सामाजिक सुरक्षा के औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत) की आजीविका की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा पर गौर करने के लिए 2004 में असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूएस) का गठन किया। यह पाया गया कि केवल उन्हें जो औपचारिक क्षेत्र में हैं, अर्थात् भारत के कुल कार्यबल का 8 फीसदी लोगो को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है। 39.5 करोड़ से अधिक श्रमिक जो कुल श्रमिकों के 91 प्रतिशत से अधिक हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में हैं।

आयोग ने प्रकाश डाला कि 1990 के दशक के प्रारंभ से औपचारिक रोजगार में लगभग कोई वृद्धि नहीं हुई है ।और रोजगार से सम्बद्ध वृद्धि पूर्णत: असंगठित क्षेत्र में हुई है एनसीईयूएस ने पाया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में से 79 फीसदी 20 रुपए प्रतिदिन से कम की आय पर गुजारा करते हैं, जिसने यह स्पष्ट कर दिया है कि वृद्धि के लाभ बहुसंख्यक कामकाजी आबादी तक नहीं पहुच पा रहे है ।एनसीईयूएस ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये एक राष्ट्रीय न्यूनतम सुरक्षा पैकेज, सामाजिक बीमा, जीवन और स्वास्थ्य कवर के लिए सामाजिक सहायता, सभी श्रमिकों को वृद्धावस्था लाभ के लिये पांच साल की अवधि के भीतर एक कानून का प्रस्ताव किया है।

यूपीए ने सामाजिक सुरक्षा के लिए वैधानिक समर्थन प्रदान करने की आयोग की सिफारिशों को खारिज कर दिया। "एनसीईयूएस ने इसके लिए एक राष्ट्रीय कोष का सुझाव दिया था और 1,500 करोड़ रुपये के साथ एक कोष का गठन किया गया था। इसने प्रस्तावित किया था कि राष्ट्रीय और राज्य सामाजिक सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाये, लेकिन केवल 14 राज्यों ने इनकी स्थापना की।"

भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1.4 फीसदी सामाजिक सुरक्षा पर खर्च करता है, जो चीन, श्रीलंका, थाईलैंड, और यहां तक कि नेपाल की तुलना में भी बहुत कम है। राजग सरकार ने अभी तक किसी भी ऐसे विचार के समर्थन का संकेत नहीं दिया है जिससे सभी श्रमिकों को कानूनी रूप से सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि सामाजिक योजनाओं तक पहुँच के लिए एक अद्वितीय पहचान संख्या के साथ असंगठित क्षेत्र के हर कार्यकर्ता के लिए एक स्मार्ट कार्ड, "यू-विन (U-WIN अर्थात् अनऑर्गनाईज्ड सेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर)" जारी करने का सरकार का प्रस्ताव है।

VISION IAS

 ©Vision IAS

राजव्यवस्था एवं प्रशासन

विचाराधीन कैदियों के लिए मतदान का अधिकार

मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार नहीं बल्कि केवल एक सांविधिक अधिकार है। एक सांविधिक अधिकार होने के कारण, विधायिका संविधान के अनु. 325 और 326 के तहत लोगों द्वारा मत देने की शर्तें निर्धारित कर सकती है।

- जनप्रतिनिधितव अधिनियम 1951 'मत देने के अधिकार' को निर्धारित करता है | इसकी धारा 62 (5) यह निर्धारित करती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो जेल की सजा काट रहा है या पुलिस की 'वैध हिरासत' में है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा।
- आम चुनाव पर संदर्भ पुस्तिका 2014 के अध्याय 43, में भी यह स्पष्ट किया गया है कि "विचाराधीन कैदियों" को वोट देने के योग्य नहीं माना जायेगा, भले ही उसका नाम मतदाता सूची में हो।
- भारत में न केवल अपराध में दोषी और सजा काट रहे व्यक्तियों को मत देने का अधिकार नहीं है बल्कि विचाराधीन कैदियों और यहां तक कि पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को भी मत देने का अधिकार नहीं है।

उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62 (5) की संवैधानिकता को अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ मामले (जुलाई 1997) में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी। यह दलील दी गयी कि यह संविधान के अनु. 14 के तहत समानता और अनु. 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पाये गए कैदियों, विचाराधीन कैदियों और पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करना तार्किक माना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय के पीछे निम्न तर्क दिए-

धारा 62(5) के लिए सुप्रीम कोर्ट का तर्क निर्णय के खिलाफ विरोधी तर्क

राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिए।

राजनीति का अपराधीकरण एक व्यापक मुद्दा है जिसे केवल विचाराधीन कैदियों को मत देने से रोककर नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

व्यावहारिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है और इसके लिए अतिरिक्त संशोधनो की आवश्यकता होगी। नागरिक अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए व्यावहारिकता और "संशाधनो की कमी" तर्कसंगत कारण नहीं हैं।

एक कैदी अपने कृत्य की वजह से जेल में होता है और इसलिए जेल में रहने के दौरान उसे उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है इसलिए वह अन्य लोगों के समान विचरण करने, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बराबर अधिकारों का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह अवलोकन "दोषी साबित होने तक निर्दोष समझा जाना" के सिद्धांत के खिलाफ है क्योंकि विचाराधीन कैदियों को मतदान से वंचित करना उनको दोषी मान लेने के समान है।

विचाराधीन कैदी

- विचाराधीन कैदी वे लोग होते हैं जिनको जिन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया होता है,उसके लिए उन्हें अभी तक दोषी नहीं पाया गया है और ऐसे में कानूनन उन्हें निर्दोष माना जाता है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में 2,78,503 विचाराधीन कैदी हैं जो जेल में बंद कुल कैदियों की संख्या के दो तिहाई से अधिक (67.6 फीसदी) हैं ।

निष्कर्ष

सरकार को विचाराधीन कैदियों के मताधिकार पर विचार करना चाहिए क्योंकि भारतीय नागरिकों के इस तरह के एक बड़े वर्ग को एक महत्वपूर्ण नागरिक और राजनीतिक अधिकार से वंचित करना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, राजनीति के अपराधीकरण को समाप्त करने के लिए व्यापक चुनाव सुधार लाने की तत्काल आवश्यकता है।

न्यायालयों की अवमानना

न्यायालयों की अवमानना अधिनियम, 1971 न्यायालयों की अवमानना को परिभाषित करता है | यह अवमानना हेतु दंड देने के लिए न्यायालयों की शक्तियों तथा इससे सम्बंधित प्रक्रिया के विनियमन को भी निर्धारित करता है। न्यायालय की अवमानना से तात्पर्य सिविल अवमानना या आपराधिक अवमानना से है।

सिविल अवमानना

सिविल अवमानना से तात्पर्य किसी भी निर्णय, डिक्री,निर्देश आदेश, रिट या अदालत की कार्यवाही का जानबूझकर अवमानना है या न्यायालय के समक्ष की गयी किसी घोषणा की जानबूझकर उल्लंघन है।

आपराधिक अवमानना

आपराधिक अवमानना से तात्पर्य किसी भी मुद्दे का प्रकाशन (चाहे अभिव्यक्ति द्वारा या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेत द्वारा, या अन्यथा) है या कोई ऐसा कार्य करना जिसमें निम्न शामिल हो-

VISION IAS

- निंदा करना या निंदा का प्रयास करना, किसी भी अदालत के अधिकार को चुनौती देना या चुनौती देने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करना ; या
- पूर्वाग्रह से प्रभावित होकर , किसी भी न्यायिक कार्यवाही के बीच हस्तक्षेप करना या करने का प्रयास करना; या
- किसी भी अन्य रूप में न्याय प्रशासन में व्यवधान उत्पन्न करना अथवा व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करना।

न्यायालयों की अवमानना के लिए दंड की शक्तियां

- अनु. 129: उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना- उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।
- अनु. 215: उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना- प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा तथा उसको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।
- अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना हेतु उच्च न्यायालय की दण्डित करने की शक्ति (न्यायालयों की अवमानना अधिनियम 1971 में धारा 10) .- प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधीन-स्थ न्यायालय के सन्दर्भ न्यायालय की अवमानना के संबंध में वे सब अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और अधिकार होंगे जिनका प्रयोग वह स्वंय की अवमानना हेतु दंडित करने के लिए करता है।

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971-मुख्य विशेषतायें:

- अहानिकर प्रकाशन और ऐसे मामले का वितरण - अवमानना नहीं (धारा .3)।
- न्यायिक कार्यवाही की स्पष्ट और सटीक रिपोर्ट - अवमानना नहीं (धारा 4)।
- न्यायिक कार्यों की निष्पक्ष आलोचना - अवमानना नहीं (धारा .5)।
- अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत तब अवमानना नहीं होगी जब उनके द्वारा दिया गया बयान सदभावनापूर्ण हो (धारा .6)।
- न्यायिक कक्षों में या कैमरे में की गयी कार्यवाही से संबंधित जानकारी का प्रकाशन - कुछ मामलों को छोड़कर अवमानना नहीं (धारा 7)।
- अवमानना के लिए कार्रवाई की सीमा:- कोई अदालत उस तारीख से ,जिससे तथाकथित रूप से अवमानना की गयी है, एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद,अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या अन्यथा किसी अन्य के द्वारा की गयी प्रार्थना पर , कोई भी कार्यवाही आरंभ नहीं करेगी।

आलोचना

- अदालत की अवमानना कानून ब्रिटिश शासन के अवशेष है।
- संविधान अनुच्छेद 19 (1) (क) के अंतर्गत सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन अनुच्छेद 129 और 215 के तहत उच्चतर न्यायपालिका को अदालत की अवमानना के लिए दंड दिए जाने की शक्ति देता है । यह शक्ति अनुच्छेद 19 (1) द्वारा दी गई स्वतंत्रता को सीमित करती है।
- किसी भी लोकतंत्र में लोग अक्सर विधायिका तथा कार्यपालिका की आलोचना करते हैं । अत: लोगों को न्यायपालिका की भी आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए।
- इस क़ानून में अदालत की न्याय के दौरान निंदा, पूर्वाग्रहों, व्यवधानों आदि शब्दों की कोई परिभाषा नहीं दी गयी है।

निष्कर्ष

स्वस्थ आलोचना लोकतंत्र के लिए अच्छी होती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को गतिशील बनाये रखता है । साथ ही हमें अनुचित आलोचना से न्यायिक प्रणाली की अखंडता और पवित्रता को बचाए भी रखना है।

GIPC सूचकांक

वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र (GIPC) बौद्धिक संपदा से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के चैंबर ऑफ़ कॉमर्स का प्रमुख संस्थान है। GIPC, नौकरियों के सृजन, जीवन को बचाने और वैश्विक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए बौद्धिक संपदा (आईपी) की महत्ता का हिमायती है।

इसके उद्देश्य हैं:

- संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन को मजबूत बनाना ।
- बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की प्रणाली और मानदंडों का संयुक्त राज्य अमेरिका, अन्य प्रमुख देशों और बहुपक्षीय मंचों पर बढ़ावा देना और बचाव करना।
- नवाचार और रचनात्मकता के निर्देशक के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए समर्थन बढ़ाना।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र (GIPC) ने अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया जिसका शीर्षक था 'असीमित क्षमता'। इसमे बौद्धिक संपदा संबंधी चिंताओं के विषय में जानकारी दी गयी है।
- GIPC सूचकांक बौद्धिक संपदा के संरक्षण संबंधित सशक्त वातावरण का संकेत करने वाले कारकों के आधार पर 30 देशों के बौद्धिक संपदा माहौल का चित्रण करती है। भारत 2015 के GIPC सूचकांक में 30 देशों में से 29वें स्थान पर रहा।
- रिपोर्ट के मुताबित भारत ने 7.23 स्कोर के साथ पिछले संस्करणों से सुधार दर्शाया है, जबकि अमेरिका 28.53 स्कोर के साथ सूची में सबसे ऊपर है।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (WPFI)

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, फ्रांस स्थित अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर '(RWB- Reporters without borders) द्वारा निर्मित है।

- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का लक्ष्य सूचना की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना एवं बचाव करना है।
- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक विभिन्न मापदंडों के आधार पर सूचकांक की गणना कर देशों के प्रदर्शन की रैंक निर्धारित करता है। कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर नीचे दिए गए हैं:
- मीडिया बहुलवाद और स्वतंत्रता
- पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए सम्मान
- वह विधायी, संस्थागत और ढांचागत वातावरण जिसमें प्रेस कार्य करता है।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2015 में भारत

- भारत, 2015 में प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया भर के 180 देशों में से 136 वें स्थान पर है। 2014 की 140 वीं रैंक की तुलना में इसमें सुधार हुआ है। यद्यपि भारत का पूर्ण स्कोर 40.34 से 40.49 गिर गया है।
- भारत की "अतिक्रमण उपलब्धि " (abuse score) 59.58 है, जो पत्रकारों के समक्ष आ रही हिंसक उत्पीड़न की तीव्रता को दर्शाता है। यह स्कोर श्रीलंका के 40.6 की तुलना में बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान के 64.91 और चीन के 89.64 से नीचे है।

जिलों में निहित आतंरिक असमानता;

भारत में ब्लॉक विकास स्तर के पहले आकलन ने एक ही जिले के भीतर व्यापक भिन्नताओं को दर्शाया है।

अध्ययन के निष्कर्ष

- 27 जिले ऐसे थे जिन्हें इनके विकसित ब्लॉक के आधार पर शीर्ष 10 प्रतिशत जिलों में तथा अविकसित ब्लॉक के आधार पर नीचे से दस प्रतिशत स्थानों में शामिल किया जा सकता है ।
- 92 जिले ऐसे थे जिन्हें इनके विकसित ब्लॉक के आधार पर शीर्ष 20 प्रतिशत जिलों में तथा अविकसित उप-जिलों के आधार पर नीचे से 20 प्रतिशत स्थानों में शामिल किया जा सकता है
- 166 जिलों ऐसे थे जिन्हें इनके विकसित उप-जिलो के आधार पर शीर्ष 30 प्रतिशत जिलो में शामिल किया जा सकता है तथा अविकसित ब्लॉक के आधार पर नीचे से 30 प्रतिशत जिलो में शामिल किया जा सकता है

देश भर के न्यूनतम विकसित उप जिलों के बीच एक सामान्य विशेषता यह पायी गयी है कि वहां अनुसूचित जनजातियों की उपस्थिति थी। शोधकर्ताओं ने इनको भारत के 'ध्रुवीकृत जिले' कहा है। शोधकर्ताओं ने पिछड़ेपन की सीमा को मापने के लिए पांच संकेतक पर ध्यान दिया है:

- सभी कर्मचारियों के अनुपात के रूप में कृषि श्रमिक
- महिला साक्षरता दर
- बिजली तक पहुंच
- पानी और साफ-सफाई तक पहुंच और
- बैंकिंग तक पहुंच

विश्लेषण

- ब्लॉक स्तर के विकास के ये आंकड़े भारत के पिछड़ेपन के बारे में और अधिक सटीक जानकारी प्रदान करेंगे।
- हमें अपनी विकास की नीतियों को फिर से संगठित करने की जरूरत है जो न केवल पिछड़े जिलों पर ध्यान केंद्रित करेंगी बल्कि जिलों के भीतर पिछड़े क्षेत्रों पर भी ध्यान केन्द्रित करेंगी।
- ब्लॉक स्तर के विकास की योजना निश्चित रूप से अध्ययन में दर्ज की गयी कुछ समस्याओं को कम करेगी।
- विशेष ध्यान उन क्षेत्रों पर दिया जाना चाहिए जहां जनजातीय आबादी का घनत्व अधिक है।

रेजिलिएन्ट सिटी (RESILIENT CITY)

परिभाषा: "एक लचकदार शहर वे शहर हैं जिन्होंने भविष्य के सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी प्रणालियों और ढांचे के परिवर्तनों के झटकों को सहन करने की क्षमता विकसित की है और अभी भी अनिवार्य रूप से वही कार्य, संरचनाएं, तंत्र, और पहचान बनाए रखने के लिए सक्षम है।"

"100 रेजिलिएन्टशहरों का (100RC) नेटवर्क"

100RC का संचालन रॉकफेलर फाउंडेशन ने किया है। यह दुनिया भर के शहरों की मदद करने हेतु समर्पित है। इसके अनुसार

ये शहर 21 वीं सदी में बढ़ रही भौतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक सक्षम हो गये हैं।

- 100 रेजिलिएन्ट शहरों का यह दृष्टिकोण ऐसे शहरों में निम्नलिखित सुविधाओ के उपलब्ध कराने से सम्बंधित है :-
- विषम परिस्थितियों और अवसादपूर्ण स्थितियों का कुशलतापूर्वक सामना करने की सामर्थ्य का मूल्यांकन करने हेतु।
- उन चुनौतियों से निपटने के लिए एक सक्रिय और एकीकृत योजना विकसित करने हेतु,
- अधिक प्रभावी ढंग से उन पर प्रतिक्रिया करने के लिए।

किसी भी सामान्य या आपात परिस्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया कर पाने की क्षमता , किसी भी । नगर के निवासियों के लिए नगर में निवास करने की अनिवार्य शर्त है । दीर्घकालिक अवसादपूर्ण स्थितियाँ- ऐसे तनाव दिन ब दिन या चक्रीय आधार पर एक शहर के ताने-बाने को कमजोर करता है। इन तनावों के उदाहरण में शामिल हैं- उच्च बेरोजगारी; एक अतिभारित या असक्षम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली; स्थानिक हिंसा; भोजन और पानी की कमी।

- तीव्र झटके – ये तीव्र घटनाएं हैं यथा भूकंप, बाढ़, बीमारी फैलना और आतंकवादी हमला इत्यादि।
- तीन भारतीय शहरों, बेंगलुरु, चेन्नई और सूरत के द्वारा न्यूयॉर्क स्थित गैर-लाभकारी संगठन रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे 100 लचकदार शहर (100RC) परियोजना में स्थान बनाया गया है।
- इस परियोजना के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता 100 मिलियन डॉलर है। शहरों को यह धनराशि मुख्य त्वरित प्रतिक्रिया अधिकारी भर्ती करने के लिए मिलेगी। इसके अतिरिक्त उपकरणों, विशेषज्ञों और नेटवर्क के रूप में सहायता मिलेगी।

महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व

सांख्यिकी

- देश की सभी राज्य विधानसभाओं के 4120 विधायकों में से केवल 360 (नौ प्रतिशत) महिलाएं हैं।
- राज्य सरकारों में 568 मंत्रियों में से केवल 39 (सात फीसदी से भी कम) महिलाएं हैं।
- दो राज्यों नागालैंड, मिजोरम और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कोई भी महिला विधायक नहीं है।

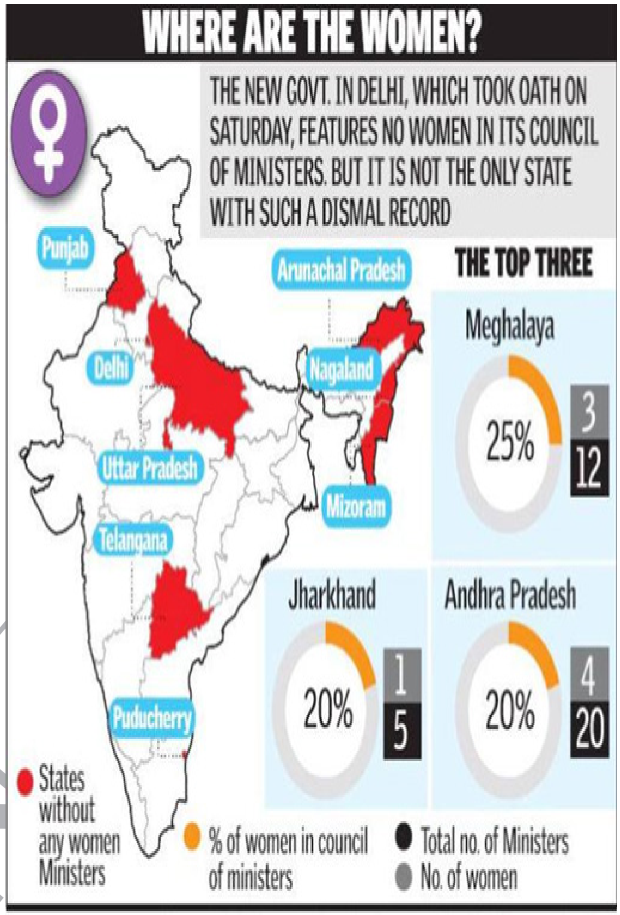

Source: Data from govt. websites, compiled by Bhanupriya Rao

- चार अन्य राज्यों- दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब में महिला विधायक तो हैं, लेकिन कोई महिला मंत्री नहीं है।
- 16 वीं लोकसभा में 61 महिला प्रतिनिधियों ने संसद में अपनी जगह बनाई है। यह संख्या लोकसभा सीटों में महिलाओं की अब तक की सर्वाधिक संख्या है। यह कुल 543 संसदीय सीटों का 11.23 प्रतिशत है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली लीकेज

भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पुनर्गठन के लिए शांता कुमार की अध्यक्षता में नियुक्त उच्च स्तरीय समिति ने प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी जिसमें नकद हस्तांतरण के लिए धीरे-धीरे कदम उठाये जाने की सिफारिश की गयी है।

- समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लीकेज के अनुमानों हेतु अपने सदस्यों में से एक,एग्रीकल्चर लागत आयोग के भूत पुर्व अध्यक्ष अशोक गुलाटी तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धोंकी परिषद् परिषद से संबद्ध श्वेता सैनी द्वारा की गयी गणना का इस्तेमाल किया।
- अध्ययन के मुताबित 2011-12 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी 25.9 मिलियन मीट्रिक टन (MMTs) खाद्यान्न (चावल और गेहूं) में से 46.7 फीसदी लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाया।
- छत्तीसगढ़ शुन्य फीसदी कमी के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य था।

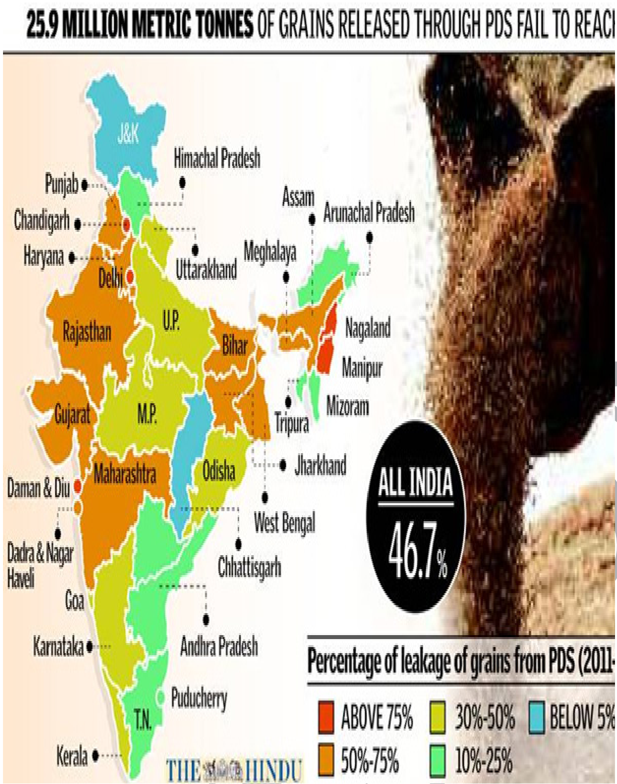

- आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने क्रमश 11.1 और 12.2 प्रतिशत कमी के साथ बेहतर प्रदर्शन किया।
- सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य मणिपुर था जहाँ अनाज का 98% हिस्सा लाभार्थियों तक पहुंचने में असफल रहा।
- अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज और रीतिका खरे ने इन आंकड़ों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उन्होंने इस ओर इशारा किया है कि इनके सर्वेक्षण और अन्य कई सर्वेक्षण यह दर्शाते हैं कि लीकेज में निरंतर गिरावट आई है।
- भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर मौजूदा अध्ययन तीन महत्वपूर्ण पैटर्न पर प्रकाश डालता है।
- पहला, पिछले एक दशक में कमी में निरंतर गिरावट आई है।
- दूसरा, राज्यों में कमी की मात्रा में एक बड़ा बदलाव आया है। साथ हीं आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में लगातार कम लीकेज दर्ज की गयी है।

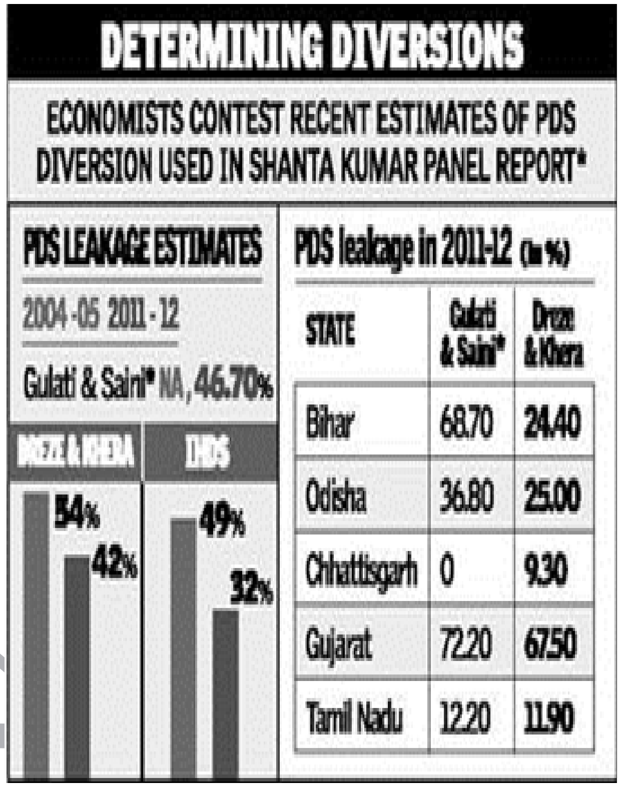

- तीसरा, जो अधिक दिलचस्प है कि बिहार, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लीकेज में समय के साथ उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीए-ईआर) के राष्ट्रव्यापी भारत मानव विकास सर्वेक्षण (IHDS) ने यह दर्शाया है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लीकेज में गिरावट हुई है। यह गिरावट वर्ष 2004-05 में 49 प्रतिशत से वर्ष 2011-12 में 32 प्रतिशत हुई है।
- जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर हिमांशु द्वारा एक अन्य अध्ययन में, वर्ष 2011-12 के लिए सुश्री खेड़ा द्वारा अनुमानित लीकेज से कम लीकेज को अनुमानित किया है।
- सर्वाधिक लीकेज गरीबी रेखा से उपर (APL) वाले कोटा में होता है जिसमें से अधिकतर खाद्यान्न अब फेंक दिया जा रहा है। इस सुधार के लिए सबसे अच्छा तरीका खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवरेज को व्यापक बनाने की बजाय अलग से निर्धारित एपीएल कोटे को समाप्त कर देना है।

राजनीतिक वित्त पोषण

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी (NIPFP) ने काले धन पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में राजनीतिक वित्तपोषण का मुद्दा उठाया गया है।

INVISIBLE PATRONS More than 75% of funds raised by 11 parties between 2009-10 and 2010-11 have come from unknown sources

Political Party	Total Funding (in Rs. lakh)	Donations below Rs. 20,000 (in %)
Congress	77,466.74	88.11
Bharatiya Janata Party	42,601.67	77.24
Bahujan Samaj Party	17,267.84	100
Nationalist Congress Party	6,815.35	95.36
CPI(M)	14,985.15	98.71
AIADMK	2,394.59	89.26
Samajwadi Party*	4,331.65	95.52
Janata Dal (United)	1,475.2	88.04
Lok Jan Shakti Party	260.19	80.79
Rashtriya Lok Dal*	436.6	78.96
Shiromani Akali Dal	637.38	80.4

Source: ADR, NIPFP Black Money Report *(only 2009-10)

राजनीतिक वित्तपोषण के सम्बन्ध में रिपोर्ट के निष्कर्ष

- केवल तीन दलों ने यह घोषणा की है कि उनको वित्तीय वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक धन, 20,000 से अधिक के रूप में प्राप्त हुआ।
- बसपा ने अपनी पूरी आय 20,000 रुपये के नीचे दान के माध्यम से प्राप्त हुई बताया है। ।
- 10 अन्य दलों के मामले में - कांग्रेस, भाजपा, राकांपा, सीपीआई (एम), अन्नाद्रमुक, सपा, जद (यू), लोक जनशक्ति पार्टी, रालोद, शिरोमणि अकाली दल- यह प्रतिशत 75 प्रतिशत (20000 रुपए से नीचे) से अधिक है। यह इनके कुल प्राप्त धन का तीन चौथाई हिस्सा है।
- 20,000 रुपये से नीचे प्रति दाता नकद दान / कूपन बिक्री, दलों के बहीखाते में किसी भी राशि को अपारदर्शी ढंग से प्रस्तुत करने का साधन है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29C के अनुसार सभी राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक के रूप में प्राप्त सभी योगदानों को एक वार्षिक विवरण के साथ भारत के निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना होगा जिसमें दाताओं के नाम और पते भी देने होंगे।

संस्तुतियाँ :

- रिपोर्ट यह संस्तुति करती है कि आयकर नियमों में संशोधन किया जाना चाहिये और केवल उन राजनीतिक दलों को कर से छूट दी जानी चाहिए जो एक वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक के किसी भी दान / अंशदान / शुल्क आदि को किसी भी व्यक्ति या संस्था से अकाउंट पेयी चेक, के माध्यम से लेते हैं।
- यह भी संस्तुति की गयी है कि वित्तपोषण हेतु अपारदर्शी रास्ते के उपयोग को रोकने के लिए नियम बनाये जाने चाहिए। इसका एक विकल्प बैंकों में जमा नकद संग्रह या डिजिटल प्राप्ति हो सकता है।

राजनीति का अपराधीकरण रोकना

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अब चुनाव सुधार और राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए कमान अपने हाथ में ली है। एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक उम्मीदवार यदि अपने नामांकन के समय अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं करता है तो उस उमीदवार के चुनाव को अमान्य और शून्य माना जायेगा।

- सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि किसी एक उम्मीदवार का कदाचार भी चुनाव की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। क्योंकि अप्रकटीकरण निम्न को शामिल करता है-
- यह मतदाता के जानने के अधिकार का उल्लंघन करता है, जिसके आधार पर वह अपनी पसंद चुनता है साथ ही यह एक निष्पक्ष चुनाव में बाधा उत्पन्न करता है।

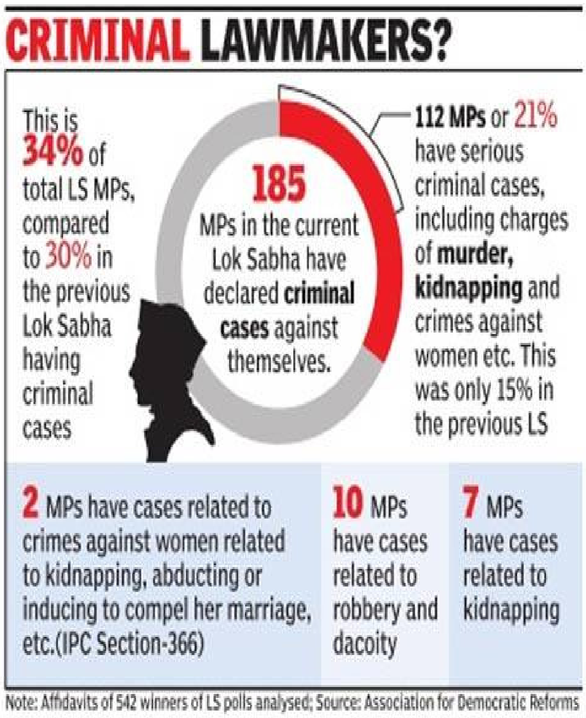

- उम्मीदवार न केवल अनावश्यक रूप से एक गलत मानसिकता से मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता को प्रभावित करता है बल्कि यह मतदाता के "जानने के मौलिक अधिकार" का भी उल्लंघन करता है।
- यह स्पष्ट रूप से सन्देश देता है कि दोषी उम्मीदवार के लिए

VISION IAS

 ©Vision IAS

मात्र अयोग्यता ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनके आचरण को चुनाव ही अमान्य घोषित करके महसूस करवाया जाना चाहिए।

- अप्रकटीकरण अनुचित प्रभाव उत्पन्न करता है और इसलिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा धारा 100(1) (ख) के तहत चुनाव शून्य और अमान्य घोषित किया जाना चाहिए।
- न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि एक उम्मीदवार द्वारा पूर्ववृत्त आपराधिक गतिविधियों का प्रकटीकरण "निश्चित तौर पर अनिवार्य" है।"

विशेष वाणिज्यिक न्यायलय

अपनी 253 वीं रिपोर्ट में विधि आयोग की सिफारिशें:

- इस रिपोर्ट में अधिक राशि के वाणिज्यिक वाद" के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना और सिविल प्रक्रिया संहिता में 'पर्याप्त' परिवर्तन का सुझाव दिया गया है।
- अधिक राशि के वाणिज्यिक मुकदमों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करने हेतु उच्च न्यायालयों में एक वाणिज्यिक प्रभाग की स्थापना की जानी चाहिए।
- वाणिज्यिक न्यायालयों के आदेश और निर्णय पर अपील की सुनवाई एक वाणिज्यिक अपीलीय डिवीजन में होनी चाहिए।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश वाणिज्यिक मामलों में विशेषज्ञता और अनुभव वाले न्यायाधीशों को वाणिज्यिक और अपीली अदालतों हेतु मनोनीत करेंगे।
- निर्धारित राशि से अधिक के सभी लंबित वाणिज्यिक विवादों को वाणिज्यिक प्रभाग को हस्तांतरित किया जाएगा।

सिफारिशों का महत्व

- इन सिफारिशों का लक्ष्य शीघ्र, निष्पक्ष, और उचित कीमत पर मामलों के निपटान की सुनिश्चिता प्रदान करना है।
- वाणिज्यिक विवादों का तेजी से निपटान भारत में निवेश हेतु विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करेगा जो कानूनी प्रक्रिया में लगाने वाली लम्बी अवधि के डर से निरुत्साहित रहते हैं।
- इससे निश्चित रूप से व्यापार प्रक्रिया सुगम होगी।
- नई डिवीजनों से वाणिज्यिक प्रकृति के विवादों के कानूनी निपटारे में लगने वाले समय में कमी होने आने की उम्मीद है।
- अन्य अदालतों पर बोझ को कम करने के अलावा, वाणिज्यिक डिवीजन भी निवेश और ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।

वाणिज्यिक प्रभागों पर बिल / अधिनियम

वाणिज्यिक प्रभाग बिल प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक ऐसा वाणिज्यिक प्रभाग स्थापित करता है जिसके पास मूल अधिकारिता होगी तथा ऐसे जिलों में जहाँ केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श कर निश्चित करे, में वाणिज्यिक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान करता है।

- बिल साधारण व्यापारियों, बैंकरों, वित्त प्रदाताओं, संयुक्त उद्यमियों, भागीदारियों और बीमा कंपनियों के लेन-देन को शामिल करते हुए 'वाणिज्यिक विवादों' को परिभाषित करेगा।
- ये विशेष अदालतें 1 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य के सभी "वाणिज्यिक विवादों" को हल करेंगी।
- विधेयक निश्चित समय सीमा में विवाद निपटान के साथ एक फास्ट ट्रैक तंत्र प्रदान करता है।
- अदालत को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक शक्तियां दी गई है। इसके अलावा, अदालत को भी, 90 दिन की अवधि के भीतर अपना फैसला देना अनिवार्य होगा।
- विधेयक'कास्ट फालो इवेंट व्यवस्था को अनिवार्य बनाता है। यह एक सामान्य नियम है इसके अंतर्गत जिस पार्टी के खिलाफ आदेश/निर्णय पारित किया जाता है, वह मुकदमेबाजी की पूरी लागत को वहन करती है। इसके तहत एक अपवाद है, जहाँ देरी करने वाली पार्टी, चाहे यह वह पार्टी ही क्यों न हो, भी जिसके पक्ष में निर्णय दिया जाता है, लागत का कुछ हिस्सा वहन करती है।

धार्मिक अधिकार बनाम सार्वजनिक नैतिकता

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि धर्म के मौलिक अधिकार में ऐसी परम्पराएं शामिल नहीं हैं जिनका सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- धार्मिक आस्था, विश्वास और धार्मिक प्रथाओं के बीच एक स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए। जिसकी राज्य सुरक्षा करता है वह धार्मिक आस्था और विश्वास है।
- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम 29 (1) की संवैधानिकता को सही ठहराया है।

मामले की पृष्ठभूमि

- यह निर्णय खुर्शीद अहमद खान की ओर से दायर एक याचिका पर दिया गया था जो उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले के खिलाफ थी जिसमें उसे अपनी पहली शादी के अस्तित्व में होते हुए भी दूसरी शादी करने पर सिंचाई पर्यवेक्षक के पद से हटा दिया गया था।
- उसका निष्कासन उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम 29(1) के आधार पर किया गया था।
- श्री खान ने दावा किया कि यह नियमावली स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का अभ्यास करने के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है और उन्होंने 1956 के नियम की संवैधानिकता को चुनौती दी।

पिछला निर्णय

- 2003 में में जावेद बनाम हरियाणा राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि " किसी परंपरा को किसी धर्म का अनिवार्य अंग केवल इसलिए नहीं माना जा सकता की लम्बे समय से यह प्रचलित है।।"

VISION IAS

- जिसे अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित किया गया है वह धार्मिक आस्था है और ना कि एक परंपरा है जिससे सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य या नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़े । बहुविवाह धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं था और एकल विवाह एक सुधार था जिसे अनुच्छेद 25 के तहत राज्य की शक्ति के तहत लाया गया ।

विवाह कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव

संप्रग सरकार ने , विवाह कानून (संशोधन) विधेयक पेश किया था जिसके माध्यम से "शादी के अंतिम रूप से टूटने" को तलाक का एक आधार बनाने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था। यह विधेयक 2013 में राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन लोकसभा में चर्चा के लिए नहीं लाया जा सका।

इस संशोधन का मुख्य आधार विधि आयोग की सिफारिशें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलाक कानून तथा प्रशासन के अनुभवों के आधार पर सुझाये गए सुझाव हैं। इससे तलाक की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

संशोधन का विरोध

- विवाह कानून (संशोधन) विधेयक का विरोध करने वाले समूह का मानना है कि यह “नाजायज़ और लिव इन संबंधों में वृद्धि का कारण होगा और इससे विवाह और परिवार जैसी संस्थाओ का पतन हो जायेगा ।"
- विरोध करने का एक आधार यह भी है कि इससे अपराध दर और अनुचित मुकदमेबाजी में वृद्धि होगी।
- आपसी सहमति से तलाक के वर्तमान क़ानून के प्रावधान ऐसी सभी स्थितियों को शामिल करते हैं।
- तर्क दिया जाता है कि औरत एक नकली शादी में प्रवेश कर पति की सम्पति हड़प कर अपनी इच्छा से शादी को रद्द कर सकती है।

वर्तमान कानून

- वर्तमान कानून के तहत एक जोड़े को आपसी सहमति से एक संयुक्त रूप से आवेदन पर तलाक दिया जाता है।
- यदि तलाक में वाद-विवाद है तो पति या पत्नी को कुछ आधार साबित करने होंगे जिससे शादी रद्द की जा सके।
- इसमें व्यभिचार, क्रूरता, पागलपन, परित्याग या संक्रामक रोग के रूप में चिकित्सा कारण शामिल हैं।

संशोधन विधेयक द्वारा इस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है जिसमें शादी के अंतिम रूप से टूटने की स्थिति में पति या पत्नी को वाद दाखिल करने की अनुमति दी गयी है। विभिन्न समूहों द्वारा विरोध के कारण सरकार ने इस पर पुनर्विचार का फैसला लिया है।

किशोरों की वयस्कों के रूप में सुनवाई

संसद की एक स्थायी समिति ने जघन्य अपराधों के मामलों में 16 से 18 साल के बच्चों को वयस्क के रूप में माने जाने सम्बन्धी नागरिक समाज की सिफारिशों पर विचार किया है। साथ ही किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक 2014 के प्रावधानों की समीक्षा का आह्वान किया है, जिसे अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था।

इन सिफारिशों की अनुसंशा करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और किशोर मामलों के अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का हवाला दिया गया है।

जघन्य अपराधों के मामले में किशोरों को वयस्कों के समान ही माना जाना चाहिए	**किशोरों को व्यस्क नहीं माना जाना चाहिए**
यह विचित्र है कि एक ही अपराध के लिए 18 वर्ष के व्यक्ति को व्यस्क माना जाता है जबकि 17 साल 364 दिन वाले व्यक्ति को किशोर माना जाता है। एक व्यक्ति किस उम्र में व्यस्क हो जाता है इससे संबंधित भी कई मुद्दे हैं।	2013 में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि "ऐसे बाल अपराधी हो सकते हैं जिनको समाज की मुख्यधारा में फिर से एकीकृत नहीं किया जा सकता, लेकिन 'बाल अपराधियों के प्रति द्रष्टिकोण में परिवर्तन को अनिवार्य बनाने वाले उदाहरणों का अनुपात बहुत कम है अतएव उन्हें कठोर अपराधियों के रूप में विकसित होने देने की बजाय प्रयास कर मुख्य धारा में शामिल किया जाना चाहिए।
किशोर न्यायालय सज़ा नहीं देते हैं बल्कि उनका लक्ष्य केवल मार्गदर्शन करना है। लेकिन वर्तमान में वहाँ न तो बाल उपचारों के लिए शक्ति के नियंत्रित प्रयोग की गारंटी है और न ही उन्हें पूरी तरह से मार्गदर्शन प्रदान करने का उद्देश्य पूरा हो पा रहा है। किशोर हिरासत केंद्र उन्हें सुधारने की बजाय उन्हें भविष्य के अपराधी बनाने की दिशा में अग्रसर कर रहे हैं।	यूनिसेफ ने इस संशोधन को “सार्थक कदम को वापस लेना” बताया है क्योंकि दुनिया भर के सबूत बताते हैं कि किशोर केसों के वयस्क अदालतों को हस्तांतरण की प्रक्रिया से अपराध या जुर्म में कोई कमी नहीं आई है।

 ©Vision IAS

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के नवीनतम आंकड़े इस आयु वर्ग में जघन्य अपराधों हेतु गिरफ्तार बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण समिति के समक्ष यह स्पष्ट कर देता है कि भारत में किशोर अपराधों का प्रतिशत कुल बच्चों की आबादी का 1.2 प्रतिशत ही है, जो कि काफी कम है।
किशोर और वयस्क के बीच की सीमा स्पष्ट नहीं है। यह इस बात से तय होता है कि बच्चों को किस प्रकार वयस्क विचारों का एक्सपोजर मिलता है, ऐसे बच्चे जल्दी विकसित होते हैं।	16-18 साल के बीच बच्चों को विभेदक उपचार तथा उन्हें एक वयस्क के रूप में न्यायिक प्रणाली में शामिल करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 (3) के खिलाफ है।

मातृभाषा दिवस

यूनेस्को ने हाल ही में 21 फरवरी को 'अंतर्राष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस' के रूप में घोषित किया है। इसी के मद्देनज़र केंद्र ने सभी स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों को 21 फरवरी को "मातृभाषा दिवस" के रूप में मनाने के लिए कहा है। साथ ही भारतीय भाषाओं में समूह गान और निबंध प्रतियोगिताओं सहित दिन भर की गतिविधियों का आयोजन करने के लिए भी कहा गया है।

- मातृभाषा दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य मातृभाषा तथा अन्य भारतीय भाषाओं को अधिक से अधिक उपयोग में लाये जाने के लिए संवेदनशील बनाना है।
- इसका एक और उद्देश्य छात्रों के बीच विशेष रूप से अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के बीच मातृभाषा और अन्य भारतीय भाषाओं में संचार कौशल और प्रवीणता की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है।

मातृभाषा का महत्व

- भाषा संस्कृति की सार और पहचान है और संचार का एक प्रमुख साधन है। यह विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के आदान-प्रदान का एक प्रमुख साधन है। अपनी भाषा जानना अपनी संस्कृति को बनाये रखने और उसकी रक्षा करने का महत्वपूर्ण तरीका है।
- भाषा केवल संचार का एक साधन होने से कहीं अधिक है। यह एक समुदाय के सामूहिक इतिहास और विरासत का भंडार है। यह एक पहचान और केंद्र है जो समुदाय को एक साथ बांधता है तथा व्यक्तिगत उपलब्धियों को आसान बनाता है।
- बहुभाषी समाज के में , जातीय और सांस्कृतिक समूहों की भाषाओं को बनाए रखना सांस्कृतिक विरासत और पहचान के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।
- घर पर मातृभाषा का उपयोग करना बच्चों को अपने सांस्कृतिक पहचान के साथ सहज होने को आसान कर देता है।

संविधान का अनुच्छेद 25

संविधान का अनुच्छेद 25 (1) सभी व्यक्तियों को (चाहे वे भारतीय नागरिक हों या नहीं), समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने आचरण करने तथा स्वतंत्र रूप से धर्म का प्रचार करने अधिकार देता है।

संविधान सभा की मूल भावना के अनुसार और अनुच्छेद 25 की सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार धर्म के प्रचार करने का अधिकार और अन्य लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करने के अधिकार के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। प्रचार करने का अधिकार मूल अधिकार है लेकिन यदि धर्म परिवर्तन जबरन या परिवर्तित व्यक्ति की पसंद के बिना किया जाता है तो यह अवैध होगा।

- अनुच्छेद. 25 इस वास्तविकता को दर्शाता है कि धर्म भारत की आम आदमी के लिए 'जीने के तरीके' का एक हिस्सा है। भारत एक ऐसा देश है जहां लगभग सभी धर्मों को माना जाता है और उसके अनुसार आचरण किया जाता है। भारतीय विचारधारा के स्तंभों में से एक धर्मनिरपेक्षता भी है। इसका तात्पर्य है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान रूप से व्यवहार करेगा और धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, न तो धार्मिक प्रचार द्वारा भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने की अनुमति होगी।
- अनुच्छेद 25 भी अनु. 19 का पूरक है जो धर्म को मानने, आचरण करने और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता की अनुमति देता है। धर्म एक व्यक्ति के विश्वास के सन्दर्भ में है। यदि एक व्यक्ति की इच्छा अन्य धर्म को मानने की है तो उसे अनुमति दी जानी चाहिए।
- अनुच्छेद 25 समाज में सहिष्णुता की भी मिसाल है। यह भारत की एकता और अखण्डता को मजबूत करता है।

धर्मांतरण

धर्मांतरण को एक धार्मिक मुद्दे की बजाय राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। आजादी के पहले और बाद में धर्मांतरण कई सामाजिक और आर्थिक कारकों की वजह से हुआ है। जैसे :

- दलितों का ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म में धर्मांतरण समाज में जाति पदानुक्रम के मामलों के कारण हुआ है। निचले तबके के लोगों को एक मानव के रूप में प्राप्त कई अधिकारों से वंचित किया गया था। बौद्ध, ईसाई या इस्लाम में किसी भी तरह का जाति पदानुक्रम नहीं है।
- जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, उन्हें बेहतर आजीविका अवसर मिले हैं।
- धार्मिक रूढ़िवादी समूहों के ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति।
- वोट बैंक की राजनीति

VISION IAS

आज भी धर्मांतरण धर्म में आस्था परिवर्तन की बजाय सामाजिक और आर्थिक कारकों के कारण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हाल ही की घटना को भी आस्था परिवर्तन से प्रेरित होने की अपेक्षा बजाय आजीविका के साधनों के अभाव के रूप में देखा जा सकता है।

धर्मांतरण विरोधी कानून:

देश के विभिन्न हिस्सों में धर्मांतरण की हाल ही की घटनाओं ने उन लोगों की आवाज को मजबूत किया है जो धर्म परिवर्तन के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न नागरिक समाज संगठनों ने धर्मांतरण विरोधी कानून लाने के लिए किसी भी कदम का विरोध किया है। कानून के खिलाफ उनके तर्क नीचे दिए गए हैं-

- इस तरह के कानून से स्वैच्छिक धार्मिक रूपांतरण भी निषेध होगा क्योंकि विश्वास में परिवर्तन से रूपांतरण को रोकना लोगों की अंतरात्मा को मार देगा।
- ये कदम समाज में असहिष्णुता को बढ़ावा दे सकता है, यह ऐसे विभाजन को उत्पन्न करेगा जो विरोधी भावनाओं को और अधिक बढ़ा सकता है।
- धार्मिक रूपांतरण "कानून की बात नहीं है, यह विकल्प की बात है।"
- अतीत में कई सामाजिक समूहों के द्वारा अस्पृश्यता की वजह से तथा सामाजिक बहिष्कार से बचने के लिए धर्म परिवर्तन किया गया।
- गरीबी और बहिष्कार इस मुद्दे के केंद्र में हैं, यदि हम धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो गरीब अपनी सौदेबाजी की शक्ति खो देंगे।

निष्कर्ष

इस प्रकार जबरन धर्मांतरण और धर्मांतरण विरोधी, दोनों तरह के कानूनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन इसके लिए केवल कानून अकेले मदद नहीं करेगा। इसके लिए छुआछूत, जाति पदानुक्रम और गरीबी उन्मूलन भी आवश्यक है। इसके अलावा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए बेहतर अवसर भी होने चाहिए।

धर्मांतरण विरोधी विधायन:

वर्तमान में पांच राज्यों - उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश – में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून है। कानून स्वैच्छिक रूप से होने वाले धर्मांतरण पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं।

- कानून लगभग समान हैं। ये बल या धोखाधड़ी साधन के द्वारा धर्म परिवर्तन को रोकते हैं। प्रलोभन को एक उपहार या सामग्री लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है और बल को क्षति पहुचने की सम्भावना के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें "ईश्वरीय नाराजगी या सामाजिक बहिष्कार की धमकी भी शामिल है।"
- ये कानून जबरन धर्मांतरण को भारतीय दंड संहिता की धारा 298 तथा 295A के तहत एक संज्ञेय अपराध बनाते हैं।
- मध्य प्रदेश के धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2006 के तहत यदि एक व्यक्ति धर्म परिवर्तित करना चाहता है तो उसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष इसकी घोषणा करनी होगी।
- गुजरात और छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन के क़ानून में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि एक व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसे धर्मांतरण की तारीख से कम से कम 30 दिनों पहले जिला मजिस्ट्रेट से अवश्य ही अनुमति लेनी होती है। हिमाचल प्रदेश में ऐसा करने का इरादा रखने वाले एक व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष 30 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है।

धर्मांतरण विरोधी कानून पर उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण

उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की पीठ ने सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा कानूनों के माध्यम से धर्म की स्वतंत्रता अधिनियमित करने की वैधता को बरकरार रखा है।

- 1977 के स्टेनविलास बनाम मध्य प्रदेश केस में पांच सदस्यीय एक पीठ ने भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों में से दो कानूनों मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 और उड़ीसा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1967, की संवैधानिक वैधता पर एक फैसला दिया।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या धर्म को मानने और धर्म का प्रचार करने के मौलिक अधिकार में धर्मांतरण करने का अधिकार भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रचार करने के अधिकार में धर्मांतरण करने का अधिकार शामिल नहीं है और इसलिए उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश और उड़ीसा विधानसभाओं द्वारा बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन से धर्मांतरण किये जाने पर रोक लगाने सम्बन्धी कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
- प्रचार करने के अधिकार और धर्मांतरण के अधिकार के बीच एक भेद किया गया है। पहले वाले को अनुमति दी जाएगी जबकि दूसरे वाले को मूल अधिकार का भाग नहीं माना जायेगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है

VISION IAS

अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत एवं विश्व

भारत-श्रीलंका संबंध

श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भारत और श्रीलंका ने चार महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

PM Modi with Sri Lankan President Maithripala Sirisena in New Delhi on Monday. — Photo: V. Sudershan

परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग

- भारत और श्रीलंका ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह श्रीलंका सरकार का किसी भी देश के साथ किया गया, इस तरह का पहला समझौता है | यह नई श्रीलंका सरकार का भारत समर्थित दृष्टिकोण दर्शाता है।
- परमाणु समझौते के मुताबिक भारत असैन्य परमाणु ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में, संसाधनों का साझा करने में, कर्मियों के प्रशिक्षण और दक्षता विस्तार में श्रीलंका की सहायता करेगा।
- यह रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन और परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपदा न्यूनीकरण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दोनों देशो के बीच सहयोग को सुगम बनाएगा।

भारत और श्रीलंका के बीच वर्ष 2015-18 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम

- 2015-18 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य कई विविध क्षेत्रों जैसे प्रस्तुति कला, दृश्य कला, पुस्तकालय, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं सांस्कृतिक प्रलेखन, पुरातत्व, हस्तशिल्प, प्रकाशन और पेशेवर आदान-प्रदान में सहयोग के स्तर को बढ़ाना है।

नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता

- यह समझौता श्रीलंका को नालंदा विश्वविद्यालय परियोजना में भाग लेने का अधिकार देगा।

कृषि क्षेत्र में सहयोग पर समझौते के तहत कार्य योजना 2014-2015

- यह कार्य योजना दोनों देशों के सम्बंधित संस्थानों और संगठनों के बीच कृषि प्रसंस्करण, कृषि विस्तार, बागवानी, कृषि मशीनरी, कृषि यंत्रीकरण में प्रशिक्षण, पशुओं की बीमारियों, आदि में द्विपक्षीय सहयोग को सुगम बनाएगी।

विश्लेषण

श्रीलंका के सबसे करीबी पड़ोसी के रूप में और उसके सबसे महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय के साथ नृजातीय संबंधों के कारण भारत का श्रीलंका के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना तथा उसके वैश्विक दृष्टिकोण पर काफी प्रभाव है। श्रीलंका पर चीनी प्रभाव को कम करने के लिए, भारत को कोलंबो में नई सरकार के साथ मजबूत संबंध विकसित करने की जरूरत है।

यमन में राजनीतिक संकट

हाउती विद्रोहियों द्वारा जबरन सत्ता अधिग्रहण से यमन में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। उन्होंने संसद को भंग करने की एकतरफा घोषणा की और उन्होंने कहा कि एक नई अंतरिम विधानसभा और सरकार बनायी जाएगी। इसे तख्तापलट बताकर, एक मुख्य राजनीतिक दल द्वारा इसकी निंदा की गई है।

हाउती विद्रोह सितंबर 2014 में शुरू हुआ, जब विद्रोही राजधानी की तरफ बढ़े और यमन के बहुत से क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। जनवरी 2015 में उन्होंने राष्ट्रपति के महल पर धावा बोला और तत्कालीन राष्ट्रपति 'आबेद रब्बो मंसूर हादी' के निवास को घेर लिया।

आशय

- यमन की स्थिरता अमेरिका और खाड़ी देशों के उसके सहयोगी राष्ट्रों के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिकता है क्योंकि यमन एक शीर्ष तेल निर्यातक देश है | इसके साथ ही सऊदी अरब की सीमा के निकट सामरिक स्थिति पर है और अदन की खाड़ी में नौवहन पथ की सुरक्षा की दृष्टि से भी संवेदनशील है।
- हाउती विद्रोहियों को मिली इस सफलता से क्षेत्र में सांप्रदायिक और राजनीतिक तनाव भी बढ़ सकता है।

VISION IAS

- खाड़ी देशों में सऊदी अरब सुन्नी बहुल एक ताकतवर राष्ट्र है और उसे लगता है कि उसका क्षेत्रीय कट्टर प्रतिद्वंद्वी ईरान जो कि शिया बहुल राष्ट्र है, विद्रोहियों को आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य समर्थन देता है।
- यह अशांति, यमन की अल-कायदा शाखा को मजबूत कर सकती है जिसे आतंकवादी गतिविधियों में दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन माना जाता है। यह सऊदी अरब के दक्षिणी पड़ोसी देश में अमेरिका के आतंकवाद-निरोधी अभियान के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है।

हाउती विद्रोही

- अंसार अल्लाह (अल्लाह के समर्थक), जिन्हें सामान्यत: हाउती नाम से जाना जाता है, यमन में सक्रिय एक जैदी शिया समूह है। समूह ने ये नाम हुसैन बदरेद्दीन अल हाउती के नाम से लिया है, जिसने 2004 में विद्रोह की शुरूआत की थी।
- 2011 में, तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हाउती भी शामिल हो गए और सत्ता-शून्यता का फायदा उठाकर 'सादा' और पड़ोस के 'अमरान' प्रांत में अपने क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार कर लिया।
- बाद में उन्होंने एक राष्ट्रीय संवाद सम्मेलन में भाग लिया, जिसने फरवरी 2014 में यमन को- 'छह क्षेत्रों का एक महासंघ' बनाने की घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति हादी को बाध्य किया।

<u>रूस-भारत-चीन (आर.आई.सी.) समूह</u>

रूस भारत चीन (आर.आई.सी.) का 2015 शिखर सम्मेलन बीजिंग में आयोजित किया गया।

- रूस-भारत-चीन (RIC) समूह के विदेश मंत्रियों ने एक व्यापक संयुक्त विज्ञप्ति जारी किया | इसमें उस अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में एक महत्वाकांक्षी सुधार के लिए कहा गया है, जो कि विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था की विविधता का सम्मान करे |
- विज्ञप्ति में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) समूह का विस्तार करके उसमें भारत को शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है, जो कि प्रशांत महासागर को घेरे हुए 21 देशों का समूह है।
- विज्ञप्ति में एशिया के लिए एक "खुली, समावेशी, अविभाज्य और पारदर्शी" सुरक्षा संरचना की मांग की गयी है।
- विज्ञप्ति में उम्मीद जताई गयी है कि 2015 में, "समान, साझा परंतु विभेदीकृत उत्तरदायित्व तथा संबंधित क्षमताओं" के आधार पर एक कानूनी रूप से प्रवर्तित की जाने वाली व्यवस्था निर्मित की जाएगी |संयुक्त वक्तव्य से इस बात की पुष्टि की गई है कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) को "सुप्रसिद्ध वैश्विक व्यापर मंच" ही रहना चाहिए।
- तीनो देश, संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव को समर्थन देने पर सहमत हो गए हैं जिसमे बाहरी ताकतों द्वारा हस्तक्षेप और "जबरन सत्ता परिवर्तन" पर रोक लगाने की बात की गयी है। यह "रक्षा की जिम्मेदारी" के तथाकथित विचार के खिलाफ है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के माध्यम से पश्चिमी शक्तियों द्वारा शुरू किया गया था और हस्तक्षेप के लिए एक मानदंड बना दिया गया था।
- मंत्रियों ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समूह का विस्तार करके भारत की आसन्न सदस्यता का समर्थन किया। शंघाई सहयोग संगठन को रूस, चीन और अधिकांश मध्य एशियाई देशों द्वारा "क्षेत्र में बहुपक्षीय राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और मानवीय बातचीत को बढ़ावा देने के एक प्रमुख जरिये" के रूप स्थापित किया था।

इस्लामिक स्टेट (आई.एस.) की उत्तरी अफ्रीका तक पहुँच

लीबिया में आतंकवादियों द्वारा मिस्र के ईसाइयों के नरसंहार को इस्लामिक स्टेट (आई.एस.) से जोड़कर देखा गया है। इसने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया है कि चरमपंथी अब सीरिया और इराक में उनके गढ़ से बाहर भी खतरा बन रहे हैं।

लीबिया, मिस्र, अल्जीरिया, यमन और सऊदी अरब सहित कई देशों के आतंकवादियों ने आई.एस. के नेता अबू बकर अल बगदादी के प्रति निष्ठा की घोषणा की है।

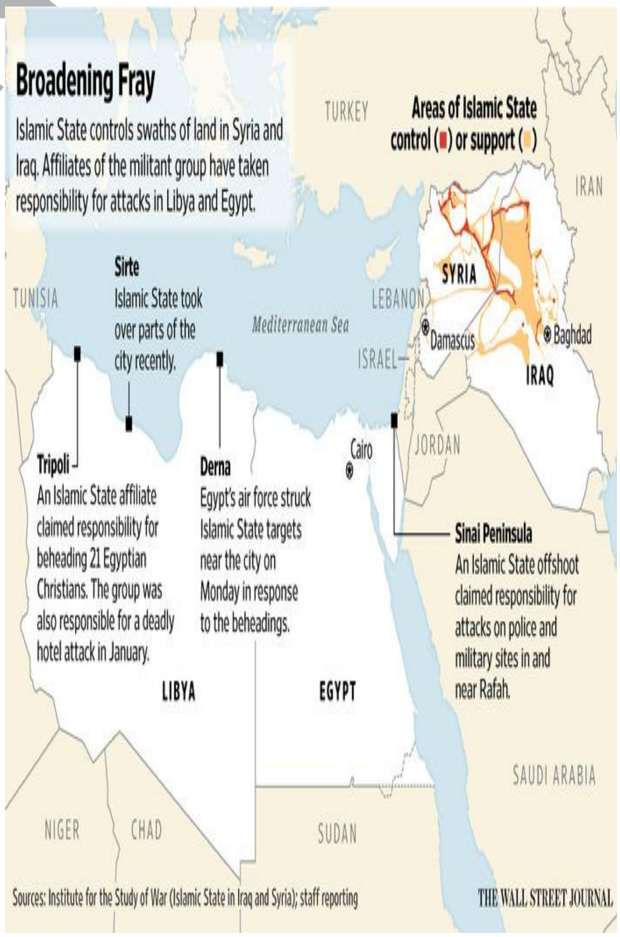

VISION IAS

लीबिया

- 2011 में लीबिया में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को अपदस्थ कर दिया गया था। उसके बाद से लीबिया बुरे दौर से गुजर रहा है।
- सरकारी बलों और इस्लामी लड़ाकों के बीच लड़ाई ने 'आइ. एस.' को अपनी पकड़ बढाने के लिए अच्छा मौका उपलब्ध कराया है।
- 'I-S.' से सम्बंधित समूहों ने 60 लाख लोगों के विशाल तेल समृद्ध देश को तीन हिस्सों में विभाजित कर दिया है- त्रिपोली, पूर्व में बारका या साईरैनैका और दक्षिण में फज्जान।
- 'IS.' से निष्ठा का दावा करने वाले समूह, सिरते और डरना के तटीय शहरों पर नियंत्रण स्थापित किये हुए हैं। त्रिपोली और बेंघाज़ी सहित कम से कम तीन अन्य स्थानों पर भी उनकी उपस्थिति है, जहाँ से लीबिया के 2011 के विद्रोह की शुरुवात हुई थी।
- लीबिया में इस्लामिक स्टेट कि उपस्थिति महज एक लीबियाई समस्या ही नहीं बल्कि एक क्षेत्रीय समस्या है। देश में अराजकता ने संपूर्ण उत्तरी अफ्रीका से कट्टरपंथी इस्लामवादियों को यहां शरण लेने की अनुमति देने का कार्य किया है।

मिस्त्र

- सिनाई प्रायद्वीप में सक्रिय कुछ आतंकवादी समूहों ने 'IS.' के लिए अपने निष्ठा की घोषणा की है और ऐसा ही एक समूह खुद को सिनाई प्रांत में इस्लामिक स्टेट बुलाता है।

RICH CLABAUGH/STAFF

अल्जीरिया और ट्यूनीशिया

- सीरिया में 'IS.' समूह की सफलताओं ने बहुत से कट्टरपंथी इस्लामी समूहों को अल-कायदा की एक प्रमुख उत्तर अफ्रीकी शाखा जिसे ए.क्यू.आई.एम्.(AQIM) के नाम से जाना जाता है, से अलग होकर अल बगदादी के प्रति निष्ठा की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया है। इनमें सबसे प्रमुख समूह 'खलीफा के अल्जीरियाई सैनिक' (जुंद-अल-खलीफा) है।

कोकांग विद्रोही:

- कोकांग मंदारिन भाषा बोलने वाले हान-चीनी लोग हैं तथा म्यांमार के 'कोकांग विशेष क्षेत्र' के नाम से अधिसूचित क्षेत्र में रहते हैं।
- म्यांमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सेना या म्यांमार राष्ट्रीयता जनतांत्रिक गठबंधन सेना (MNDAA) म्यांमार के उत्तर-पूर्व में अवस्थित कोकांग क्षेत्र में एक विद्रोही सेना है। यह सेना 1989 से ही अस्तित्व में है और यह पहली विद्रोही सेना थी जिसने म्यांमार की सरकार के साथ युद्धविराम पर हस्ताक्षर किये थे। यह युद्धविराम करीब दो दशकों तक चला था।

- कोकांग स्वशासित क्षेत्र, जो 2009 तक म्यांमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सेना के नियंत्रण में था | 9 फ़रवरी 2015 को म्यांमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सेना ने लौककई में म्यांमार के सरकारी बलों के साथ लड़कर, इस पर पुन: नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। लौककई, उत्तरी शान राज्य के कोकांग स्वायत्त क्षेत्र की राजधानी है और इसके कब्ज़े को लेकर म्यांमार सेना और कोकांग विद्रोहियों के बीच भारी लड़ाई ने नागरिकों को सीमा पार पलायन करने को मजबूर किया है।

- चीन ने म्यांमार को आश्वासन दिया है कि वह युन्नान प्रांत में सीमा पार से आने वाले शरणार्थियो की संख्या में भारी बढोत्तरी के बावजूद, वह उसके घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

पाकिस्तान में सांप्रदायिक संघर्ष:

हाल के वर्षों में पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा में कई गुना वृद्धि हुई है। इसने पाकिस्तान के अस्तित्व और दक्षिण एशिया में शान्ति के लिए खतरा पैदा किया है। हालांकि, देश में हमेशा से लोगो के बीच एक सांप्रदायिक दरार थी | परन्तु अब जो हो रहा है वह 1980 और 1990 के दशक के दौरान, मुख्य रूप से पंजाब में देखी गयी हिंसा से बहुत अधिक घातक है।

पाकिस्तान में चल रहा सांप्रदायिक संघर्ष पहले के ऐसे सांप्रदायिक संघर्षों के मुकाबले अलग तथा इस पर नियंत्रण पाने के संदर्भ में पुर्व के पांच कारणों से अलग है:-

भौगोलिक विस्तार

- 1980 और 1990 के दशक की सांप्रदायिक हिंसा पंजाब के कुछ जिलों (झांग में और आसपास), कराची शहर के कुछ इलाकों, और संघ प्रशासित कबायली इलाकों (फाटा) में खुर्रम एजेंसी में केंद्रित थी।
- आज, सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं पूरे देश में फ़ैल गयी हैं। पाकिस्तान में सांप्रदायिक संघर्ष अब किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। बलूचिस्तान में हजरा समुदाय के खिलाफ हिंसा की प्रकृति भी एक नई घटना है। वास्तव में, बलूचिस्तान में हमेशा अलगाववाद पर हिंसा देखी गई है, लेकिन सांप्रदायिक आधार पर कभी नहीं।

हिंसा और उसकी तीव्रता

- अब आतंकवादी शिया और अहमदिया समुदाय की मस्जिदों में आत्मघाती बम विस्फोट का उपयोग करते हैं; अतीत की तुलना में आज मानवीय और आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है।

बाह्य संपर्क

- 1980 और 1990 के दशक के दौरान, देश के भीतर सांप्रदायिक मतभेद मुख्य रूप से पाकिस्तान और ईरान के बीच शीत युद्ध की वजह से थे।
- आज पाकिस्तान की सांप्रदायिक हिंसा सिर्फ तेहरान और इस्लामाबाद के बीच के मतभेदों तक सीमित नहीं है।
- ईरान और सऊदी अरब के बीच शिया-सुन्नी शीत युद्ध और इराक-सीरिया क्षेत्र में इस्लामिक स्टेट के उदय ने एक नया सांप्रदायिक संघर्ष खड़ा कर दिया है।
- पाकिस्तान में सांप्रदायिक समूह अब अपने अस्तित्व के लिए स्थानीय या देश के स्त्रोतों पर निर्भर नहीं हैं।

इसे नियंत्रित करने के लिए राज्य की क्षमता

- यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि 1980 और 1990 के दशक में पंजाब में सांप्रदायिक समूहों को राज्य का समर्थन प्राप्त था। अब बाहरी आर्थिक सहयोग और और टी.टी.पी. (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) से संबंधो के कारण, पाकिस्तान में सांप्रदायिक समूहों को राज्य के समर्थन की जरुरत नहीं है। इसके बिना ही उनका अस्तित्व सुरक्षित है और उनका विस्तार सुनिश्चित है।

रुख में बदलाव

- बलूचिस्तान और सिंध में नृजातीय और राष्ट्रवादी आंदोलनों को अपनी क्षमता के बल पर प्रभावहीन करने के संदर्भ में सांप्रदायिक आतंकवाद एक नई परिघटना है।
- सिंधी या बलूची राष्ट्रवादी आंदोलनों की तुलना में ये सांप्रदायिक समूह खुद को बेहतर तरह से पेश करने में सक्षम हो सकते हैं।
- चूँकि यह सांप्रदायिक संघर्ष बलूचिस्तान में हो रहा है इसलिए तात्कालिक रूप से यह केंद्र सरकार के लिए लाभप्रद हो सकता है | ऐसा इसलिए है क्योंकि जब से सांप्रदायिक संघर्ष प्रारंभ हुआ है, आदिवासी बलूच सरदारों के नेतृत्व में होने वाले विद्रोह की दिशा बहुत हद तक परिवर्तित हुई है। लेकिन लंबे समय में, यह पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा नुकसानदायक होगा।

अरंजकता (ऐल्बिनिज़म) से पीड़ित लोग

अरंजकता एक वंशानुगत आनुवंशिक बीमारी है, जो कि त्वचा, बालों और आंखों में रंजकता की अनुपस्थिति का कारण बनती है। यह आंतरिक प्रजनन के परिणामस्वरुप, हर 1400 में एक तंजानिया वासी को किया है।

- संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त ने तंजानिया में अरंजकता से पीड़ित एक बच्चे की हत्या और अंगभंग की कठोर निंदा की।
- अरंजकता ग्रस्त व्यक्तियों के शरीर के अंगों का देश में जादू टोने के लिए उपयोग किया जाता है।
- इस वजह से शरीर के अंगों के लिए अरंजकता ग्रस्त व्यक्तियों पर अक्सर हमले होते हैं। वर्ष 2000 से इन हमलो में कम से कम 75 लोगों की मौत हुई है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अरंजकता ग्रस्त व्यक्तियों के शरीर के अंग तंजानिया में करीब $ 600 में बिकते हैं, और पूरे मृत शरीर के करीब $ 75,000 मिल जाते हैं।

सीन और डेविड गोल्डमैन अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण रोकथाम और वापसी अधिनियम

यह कानून सरकारी विभाग को किसी भी देश के खिलाफ कदम उठाने के लिए अधिकृत करता है, जो वहां पर उपस्थित अमेरिकी बच्चे की शीघ्र वापसी नहीं करता।

भारत से संबंधित मामले

- सुश्री फिलिप्स का केस जिसने अपने जुड़वां बेटों की निगरानी

का केस अमेरिकी अदालत में जीता, जबकि भारतीय न्याय प्रणाली उन्हें वापस अमेरिका भेजने को तैयार नहीं थी। बच्चों को उनका पिता सुनील याकूब ने 2008 में तलाक के बाद भारत ले आया था।

- पिछले साल जुलाई में अमेरिकी अधिकारियों ने पद्मशिनी देवी ड्रीस को, अमेरिका पहुचते ही गिरफ्तार कर लिया था। वह कथित तौर पर 2006 में अपने पति ड्रियू ड्रीस को तलाक देकर, अपने बच्चे को लेकर अमेरिका से भाग गयी थी।

भारत 1983 के हेग सम्मलेन का भागीदार नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के सिविल पक्ष को लेकर था। भारत इस सम्मलेन के तहत अमेरिका का संधि साझेदार भी नहीं है ।

अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के सिविल पक्ष से संबंधित हेग सम्मेलन या हेग अपहरण सम्मलेन एक बहुपक्षीय संधि है। इसे निजी अंतरराष्ट्रीय कानून पर हेग सम्मेलन (HCCH) द्वारा बनाया गया है। यह माता या पिता द्वारा अपहृत बच्चे को एक सदस्य देश से दुसरे सदस्य देश में वापस लाने के लिए एक त्वरित तरीका प्रदान करता है।

50 वर्षों के बाद अमेरिका और क्यूबा के संबंध बहाल:

पृष्ठभूमि

- 1959 की क्रांति के बाद से ही क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका वैचारिक शत्रु बन गए थे। इस क्रान्ति ने ही राउल कास्त्रो के बड़े भाई, फिदेल कास्त्रो को सत्ता में ला दिया था।
- वाशिंगटन ने 1961 में हवाना के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे, क्योंकि तब क्यूबा में एक वामपंथी रुख आया था और वह सोवियत संघ के एक करीबी सहयोगी में बदल गया था। क्यूबा फ्लोरिडा के दक्षिण में, अमेरिका से सिर्फ 90 मील (140 किमी) दूर स्थित है।
- इसी शत्रुता के साथ जासूस और शरणार्थियों का संकट और अक्टूबर 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट ने दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ला दिया था। 1961 में पिग्स खाड़ी की घटना के दौरान अमेरिका ने फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट करने की कोशिश की थी।

पिग्स खाड़ी 1961

- फिदेल कास्त्रो ने जब जनवरी 1959 की क्रांति के बाद सत्ता हथिया ली थी, तभी से वे अमेरिका के रणनीतिकारों के लिए एक चिंता का विषय बन गए थे । एक राजनीतिक रणनीति के साथ, वह अमेरिकी कंपनियों और क्यूबा में उनके हितों को क्षति पहुचाते रहते थे ।
- अपने भड़काऊ अमेरिका विरोधी बयानबाजी और सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंधो की वजह से अमेरिकी अधिकारियों ने मान लिया था कि फिदेल कास्त्रो पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी हितों के लिए खतरा है।
- मार्च 1960 में, राष्ट्रपति ड्वाइट डी आईजनआवर ने क्यूबा से निर्वासित लोगो को क्यूबा पर एक सशस्त्र हमले के लिए प्रशिक्षण और शस्त्र देने का आदेश दिया। 1961 में राष्ट्रपति बने जॉन एफ कैनेडी ने भी इस कार्यक्रम को चालू रखा था।
- क्यूबा मिसाइल संकट पूरी तरह से विफल रहा था। पिग्स की खाड़ी की विफलता अमेरिका को बहुत महँगी पड़ी थी। कास्त्रो ने अमेरिका के हमले को "साम्राज्यवादी हमला " बताकर क्यूबा में अपनी शक्ति को स्थिर कर लिया था और अतिरिक्त सोवियत सैन्य सहायता का अनुरोध किया था।इस सहायता में मिसाइलें भी शामिल थी । और क्यूबा में इन मिसाइलों की तैनाती ने 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट को जन्म दिया ।

क्यूबा मिसाइल संकट 1962

- क्यूबा में ये परमाणु हथियारों से लैस सोवियत मिसाइलें, अमेरिका से सिर्फ 90 मील की दूरी पर थी। इस दौरान अक्टूबर 1962 में अमेरिका और सोवियत संघ के नेता 13 दिन के एक तनावपूर्ण राजनीतिक और सैन्य गतिरोध में आमने-सामने आ गए थे।
- 22 अक्टूबर 1962 को, राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने अमेरिकियों को मिसाइलों की उपस्थिति के बारे में अधिसूचित किया और क्यूबा के चारों ओर एक नौसैनिक नाकाबंदी निर्मित करने के अपने फैसले के बारे में बताया। और साफ़ कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस खतरे को बेअसर करने के लिए आवश्यक हुआ तो अमेरिका सैन्य बल का उपयोग करने के लिए भी तैयार है।

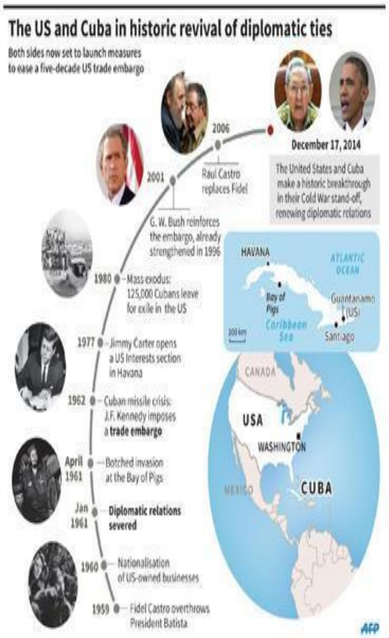

- इस खबर के बाद कई लोगों को डर था कि दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर पहुँच गयी है। परंतु सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव (1894-1971) की पेशकश से अमेरिका के सहमत होने से आपदा टल गयी। पेशकश के अनुसार अगर अमेरिका क्यूबा

पर आक्रमण न करने का वादा करे तो रूस क्यूबा से मिसाइल हटा लेगा। राष्ट्रपति कैनेडी भी तुर्की से अमेरिकी मिसाइलों को हटाने के लिए सहमत हुए।

हाल के घटनाक्रम

- राष्ट्रपति ओबामा ने क्यूबा के साथ पूर्ण राजनयिक संबंधों की बहाली का आदेश दिया है। इसके साथ ही आधी सदी से भी अधिक समय के बाद पहली बार हवाना में एक दूतावास खोलने का फैसला किया है।
- यह आश्चर्यजनक घोषणा 18 महीने की एक गुप्त वार्ता के बाद आई है। जिसमें पोप फ्रांसिस की मदद से एक बंदी प्रत्यर्पण संधि की बातचीत शुरू हुयी। यह वार्ता ओबामा और राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के बीच एक टेलीफोन कॉल द्वारा संपन्न हुई।
- हवाना में दूतावास फिर से खोलने के अलावा, अमेरिकी प्रशासन की व्यापार और वित्तीय प्रतिबंधों को कम करने की भी योजना है। साथ ही अमेरिकियों के क्यूबा यात्रा पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील देने की योजना है। अमेरिकी प्रशासन, संसद द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों से बचने के लिए अपनी विनियामक और प्रवर्तन शक्तियों का उपयोग करके, इस योजना को मूर्त रूप देना चाहता है।
- क्यूबा में अमेरिकी निर्यात को आसान बनाया जाएगा और अतिरिक्त चीजों को प्राधिकृत किया जाएगा। अमेरिकी बैंकों को क्यूबा के बैंकों के साथ औपचारिक पत्राचार स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।
- कम्युनिस्ट शासित क्यूबा अमेरिका की 'आतंकवाद के प्रायोजक राज्यों की सूची' से हटने की दिशा में आगे बढ़ा है।

नेपाल में संवैधानिक गतिरोध:

पृष्ठभूमि

- नेपाल में माओवादी, राजा ज्ञानेंद्र की राजशाही और उसकी शाही नेपाली सेना के साथ एक दशक लंबी लड़ाई में उलझ गए थे।
- राजशाही को हटाकर लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया था। एक नए संविधान को बनाने का निर्णय लिया गया जो 2006 में शुरू हुई शांति प्रक्रिया को पूरी करेगा। यह प्रक्रिया माओवादी छापामारों के एक दशक लंबे विद्रोह को समाप्त कर, राजनीति में प्रवेश करने से शुरू हुयी थी। एक अनुमान के अनुसार विद्रोह में करीब 16,000 लोगों की मृत्यु हुई थी।
- माना गया था कि संविधान के साथ ही समानता और संस्थागत सुधारों के एक नए युग की शुरुआत होगी।
- दो वर्षों के भीतर संविधान बनाने के उद्देश्य से, 2008 में संविधान सभा का गठन हुआ। पर दो साल के अतिरिक्त समय के बाद भी संविधान सभा प्रस्तावित संविधान नहीं बना पाई।

संविधान के गठन को रोकने में जो विवाद के मुद्दे थे :

- राजव्यवस्था का प्रकार - एकात्मक बनाम संघीय
- प्रमुख निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण।
- सहमति बनाम दो-तिहाई बहुमत जो संविधान पारित करने के लिए आवश्यक है, पर यह बहुमत किसी भी राजनितिक दल द्वारा समग्रता में कभी हासिल नहीं किया गया।

संविधान सभा को समाप्त करके नवंबर 2013 में नए चुनाव की घोषणा की गई। अब एक वर्ष के भीतर, यानि 22 जनवरी 2015 तक संविधान बनाने का उद्देश्य था।

नई समय सीमा में भी काम नहीं किया जा सका

- पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता और तकरार राजनीतिक शिथिलता के मुख्य कारण हैं। नेपाली कांग्रेस और एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी (यूएमएल UML) के गठबंधन को संसद में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त है।
- माओवादी पार्टी ने चुनाव के दूसरे दौर में ख़राब प्रदर्शन किया और मधेशी मोर्चा के साथ गठबंधन किया। मधेशी मोर्चा, दक्षिणी मैदानी इलाकों की क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन है।
- संविधान सभा के लिए संघवाद सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक बन गया है। यह बहस सैकड़ों समुदायों, बोलियों और संस्कृतियों के एक देश में पहचान और समानता के मुद्दों से जुड़ी हुई है।
- नृजातीय और क्षेत्रीय दल एक संघीय ढांचे की मांग कर रहे हैं, जो कि उनके दल को पहचान और राजनितिक स्वायत्तता प्रदान करेगा। जबकि इनके विरोधियों के अनुसार इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति, समूहों के बीच जातीय संघर्ष पैदा करके, देश की एकीकृत राष्ट्रीय पहचान के लिए खतरा पैदा करेगी।
- इसके जवाब में नेपाली कांग्रेस और सीपीएन (मार्क्सवादी और लेनिनवादी) के गठबंधन ने "संघवाद की सात राज्य प्रणाली" का प्रस्ताव दिया जबकि UCPN (माओवादी) और मधेशी अब "संघवाद की दस राज्य प्रणाली" की मांग कर रहे हैं।

 ©Vision IAS

संघवाद की सात राज्य प्रणाली	संघवाद की दस राज्य प्रणाली
यह संघवाद की अधिक राष्ट्रवादी प्रणाली होने का दावा करती है, जो राजनीति की संकीर्ण पहचान को हतोत्साहित करेगी। इसे मधेशी जैसी मैदानी क्षेत्र की विभिन्न गैर प्रभावशाली जातियों के खिलाफ भेदभाव करने के लिए जाना जाता है। यह पहाड़ों पर रहने वाली, पहले से ही लाभप्रद, आबादी के पक्ष में है।	जातीय संघवाद का मुद्दा इसके मूल में है। माओवादियो की ये प्रणाली कुछ बड़ी आबादी वाले समुदायों के खिलाफ भेदभाव करती है। उदाहरण के लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार, मुसलमानों (1,164,255) की संख्या गुरुंग (522,641) और लिम्बस (387,300) की संख्या के दोगुने से भी अधिक है, लेकिन माओवादियों ने उनके लिए तमुवान (गुरुंग के लिए) और लिम्बुवान राज्य का प्रस्ताव दिया है।

संविधान निर्माण में बधाएं और भारत की भूमिका:

- भारत इस क्षेत्र में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण नेपाल के इस लोकतांत्रिक प्रयास को सफल बनाने में, संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर नेपाल की सहायता करने की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है।
- दोनों देशों के बीच खुली सीमा होने की वजह से नेपाल की राजनीतिक स्थिरता भारत की आवश्यकता है। एक स्थिर सरकार की उपस्थिति में, भारत के खिलाफ विद्रोहियों की मदद करने वाले माओवादी शिविरों को भी बंद किया जा सकता है।
- इसके अलावा लोकतांत्रिक सरकार और तय संवैधानिक दिशा-निर्देशों के साथ एक स्थिर नेपाल, चीन को नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए कम मौके प्रदान करेगा।

शंघाई सहयोग संगठन : रूस भारत की पूर्ण सदस्यता का समर्थन करेगा

रूस शंघाई सहयोग संगठन की अगली बैठक की मेजबानी कर रहा है, इस बैठक में वह समूह में भारत की पूर्ण सदस्यता के लिए प्रयत्न करेगा। भारत को इस समय समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

रूस, बश्कोर्तोस्तान में समूह के शिखर सम्मेलन के दौरान, पूर्ण सदस्यता के लिए भारत के आवेदन को स्वीकार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.):

- शंघाई सहयोग संगठन या शंघाई संधि, कुछ यूरेशियाई देशों का एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। इसे चीन, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजीकिस्तान और उजबेकिस्तान के नेताओं द्वारा, शंघाई में, 2001 में स्थापित किया गया था।

- उजबेकिस्तान को छोड़कर बाकी देश 1996 में स्थापित शंघाई-पांच नामक समूह के सदस्य थे। 2001 में उजबेकिस्तान के शामिल किए जाने के बाद संगठन का नाम 'शंघाई सहयोग संगठन' रखा गया।

सदस्य देश	पर्यवेक्षक देश	वार्ता भागीदार
1. चीन	1. अफ़ग़ानिस्तान	1. बेलारूस
2. कजाखस्तान	2. भारत	2. श्रीलंका
3. किर्गीस्तान	3. ईरान	3. तुर्की
4. रूस	4. मंगोलिया	
5. ताजीकिस्तान	5. पाकिस्तान	
6. उजबेकिस्तान		

नोट: तुर्कमेनिस्तान एस.सी.ओ. का सदस्य नहीं है

समूह की सदस्यता भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- ऊर्जा सुरक्षा: समूह के कुछ सदस्य देश हाइड्रोकार्बन और यूरेनियम ऊर्जा संसाधनों में समृद्ध हैं। और वे भारत जैसे बड़े ऊर्जा बाजार के साथ जुड़ना चाहते हैं।
- सुरक्षा: यह एशियाई-यूरेशियाई समूह, 2014 के बाद अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ और नशीले पदार्थों की तस्करी के खतरे को कम करने के लिए एक संयुक्त मंच बना सकता है। साथ ही सभी हितधारकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।
- आर्थिक एकीकरण: मध्य एशियाई देशो के साथ भारत के आर्थिक एकीकरण को आगे बढाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कि भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति' के समान ही है। भारत के मध्य एशिया क्षेत्र के देशो से ऐतिहासिक और

सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, लेकिन आर्थिक संबंधों में कमी है। इस कमी को शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता से पूरा किया जा सकता है, क्योंकि यह सदस्यता इस क्षेत्र में भारत के लिए व्यापार के रास्ते खोल देगी।

त्रिपक्षीय भागीदारी: चीन, भारत और श्रीलंका

- चीन ने समुद्री सिल्क मार्ग की स्थापना और यूरेशिया के उत्थान की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत और श्रीलंका के साथ एक त्रिपक्षीय भागीदारी का औपचारिक समर्थन किया है।
- चीन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत चीन संबंधों के परिप्रेक्ष्य में भारत के साथ त्रिकोणीय संबंधों के आधार पर श्रीलंका को सम्मिलित करते हुए भारत के साथ बातचीत करना चाहेगा।
- चीन, दक्षिण एशिया में स्थिरता के लिए, भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों में प्रगति देखना चाहेगा।

प्रभावोत्पादक निवेश (Impact investment) :

परिभाषा - ग्लोबल इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग नेटवर्क (GIIN) की परिभाषा के अनुसार "प्रभावोत्पादक निवेश वे निवेश हैं जो किसी कम्पनी, संगठन तथा फंड में इस उद्देश्य के साथ निवेश किये जाते हैं कि वे वित्तीय लाभ के साथ ही महत्त्वपूर्ण लाभदायी सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभाव को पैदा करें। अर्थात् आर्थिक लाभ के साथ ही सामाजिक व पर्यावरण के क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव हो।

- प्रभावोत्पादक निवेश सामाजिक रुप से उत्तरदायी निवेश का एक भाग है, परन्तु जहाँ सामाजिक रूप से उत्तरदायी निवेश हानिप्रद चीजों से दूर रहता है वहीँ प्रभावोत्पादक निवेश कही अधिक सकारात्मक प्रभाव दिखाता है।
- प्रभावोत्पादक निवेश एक वैश्विक अवधारणा है तथा इसे नीतिगत रुप से अपनाने का निर्णय G-8 देशों के शीर्ष-स्तरीय बैठक में लिया गया जिसमें सामाजिक प्रभाव टास्कफोर्स व राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का निर्माण किया गया।
- सामाजिक प्रभावोत्पादक निवेश भारत में गति पकड़ रहे हैं, सूक्ष्म वित्त व वित्तीय समावेशन से आगे बढ़कर प्रभावोत्पादक निवेश अन्य क्षेत्रों जैसे-नवीकरणीय ऊर्जा, वहनीय स्वास्थ्य सेवायें तथा शिक्षा, जल व स्वच्छता, कम-लागत के घर, कृषि व गैर-कृषि तथा तकनीकी प्रशिक्षण आदि में भी हो रहे हैं।
- समुचित प्रभाव निवेश से यह संभव है कि निजी पूँजी के एक बड़े हिस्से को लाभ उठाने तथा अधिक लोगों को सामाजिक पहलकदमी हेतू प्रोत्साहित करने में प्रयोग किया जा सकता है।

जीडीपी (GDP) गणना की विधि में किए गये परिवर्तन:

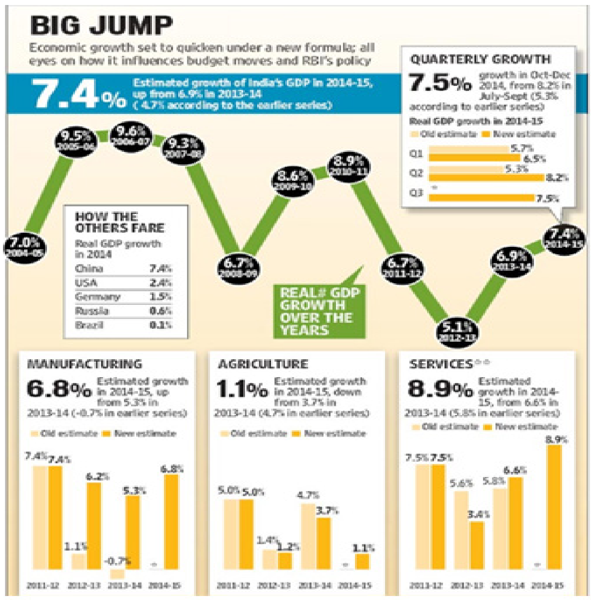

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की गणना, सकल मूल्य संवर्धन (GVA) विधि से करेगा। इस विधि में उत्पादन लागत की अपेक्षा आधार मूल्य पर जीडीपी (GDP) की गणना होगी।

जीडीपी (GDP) की परिभाषा:– एक निश्चित समय में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य हीं सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है ।

जीडीपी (GDP) गणना में हुए परिवर्तन

- आधार वर्ष को 2004-05 से बदलकर 2011-12 किया गया।
- जीडीपी (GDP) गणना में उत्पादन लागत की जगह बाजार मूल्य का प्रयोग किया जायेगा।
- नई जीडीपी (GDP) श्रंखला के आंकड़े 5 लाख कम्पनियों से एकत्रित किये जाएंगे (MCA21 data base)

विश्लेषण

आधार वर्ष

आधार वर्ष मुख्यत: मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त करने व आंकडों की अर्थपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करने हेतुप्रयोग किया जाता है। मौद्रिक मूल्य की गणना सर्वप्रथम वर्तमान मूल्य पर की जाती है। फिर इसे मुद्रास्फीति में बदलाव के साथ समायोजित किया जाता है तथा जब संदर्भ वर्ष के आधार पर सामान्य कीमत स्तर को बताया जाता है तो इसे आधार वर्ष कहते हैं।

बाजार मूल्य पर जीडीपी (GDP)

साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय का एक पैमाना हैं जो उत्पादन के साधनों की लागत पर आधारित होता है। इसका आंकलन उत्पादक के द्रष्टिकोण से किया जाता है । बाजार मूल्य पर जीडीपी का आंकलन उपभोक्ता के दृष्टिकोण से किया जाता है । इसमें जीडीपी (GDP) को लेनदेन के अंतिम चरण पर मापा जाता है जो कि उपभोक्ता द्वारा चुकाया गया बाजार मूल्य होता है।

जीडीपीMP = जीडीपीFC + अप्रत्यक्षकर - सब्सिडी:

- आधार मूल्य पर नई सकल मूल्य संवर्धन (GVA) तक पहुँचने के लिए उत्पादन कर सम्पतिकर आदि जोड़े जाते है तथा साधन लागत पर जीडीपी में से सब्सिडी को घटाया जाता है।
- अंत में, स्थिर मूल्यों पर जीडीपी प्राप्त करने के लिए मुद्रास्फीति को समायोजित करने की आवश्यकता होती है।

आंकडों के आधार में परिवर्तन -

- अर्थव्यवस्था की अधिक वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए कई आर्थिक क्रियाओं को जोड़ा गया है।
- जीडीपी के गणना की नई विधि में पिछली वाली की तुलना

 ©Vision IAS

में व्यवसायिक क्रियाओं से संबधित व्यापक आंकडों को सम्मिलित किया गया है। पहले, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के आंकड़े जिसमें दो लाख फैक्ट्रियों की तुलना की जाती थी, को विनिर्माण क्षेत्र के क्रियाओं को मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता था।

- वर्तमान में, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय कम्पनियों के खाते - MCA21 को प्रयोग में लाया जाता है। असंगठित क्षेत्र की अब तक अधिसूचित न होने वाली कंपनियों को शामिल करते हुए लगभग पाँच लाख कंपनियों को शामिल किया जायेगा।
- अभी तक, विनिर्माण के आंकड़े कारखाना स्तर पर हुए उत्पादन को आधार बना कर लिए जाते थे । किन्तु अब इन आंकड़ो को अंतिम रूप से उद्दयम समूह के द्वारा उत्पादों के बाजार प्रवेशीकरण कराये जाने पर संगृहीत किया जायेगा ।इसका तात्पर्य है कि केवल उत्पादन लागत के स्थान पर बिक्री व विपणन पर हुए व्यय को भी शामिल किया जाएगा।

परिवर्तन का प्रभाव:-

- इससे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा जो जीडीपी (GDP) में राजकोषीय घाटे के अनुपात को कम करने में सहायक होगा।
- गणना की विधि में परिवर्तन ने भारतीय जीडीपी गणना को वैश्विक मानकों के और समीप ला दिया है।
- यह नवीनतम परिवर्तन इस वर्ष के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार की सहायता करेगें।
- सरकार के लिए अप्रत्यक्ष कर बढ़ाने व सब्सिडी को घटाने की संभावनाएं बढ़ी है। इससे कृषि जैसे उन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ सकता है जो अधिक सब्सिडी प्राप्त करते हैं।
- जीडीपी के बढ़ने से विदेशी एवं घरेलू निवेशक भारत की ओर आकर्षित हो सकते है।

आशंकाएँ :-

- वास्तविकता के सामने होने पर कई प्रकार की आंशकाऐं उत्पन्न होती हैं क्योंकि जीडीपी की उच्च वृद्धि दर अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाओं से मेल नहीं खाती है। उदाहरण के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़े अत्यधिक कम हैं, जो कि सकल स्थिर पूंजी निर्माण (निवेश) को दर्शाते हैं।
- औद्योगिक संगठन एसोचैम ने कहा कि उक्त परिवर्तन संशयपूर्ण है क्योंकि "निवेश अभी तक नहीं बढ़े हैं। ग्राहक मांग की पर्याप्त स्तर पर वृद्धि नहीं हुई है जबकि तेल की कीमतों में अत्यंत गिरावट आई है।
- अन्य संकेतक जैसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तथा व्यापार आदि यह दर्शाते हैं कि अर्थव्यवस्था अभी भी मंदी से जूझ रही है।
- जीडीपी (GDP) के नये आंकड़े अर्थव्यवस्था की उज्ज्वल तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जो न तो घरेलू और न ही अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से मेल खाते हैं।
- परिवर्तित आंकड़े बताते हैं कि इस वृद्धि के दौरान ही आयातों में बढ़ोतरी देखी गयी हैI यह आश्चर्यजनक है क्योंकि आयात का बढ़ना सामान्यत: निम्न आर्थिक क्रिया को दर्शाता है।

<u>सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी अन्त: प्रवाह के नये नियम</u>

केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी अन्त: प्रवाह के नये नियम अपनाएं हैं। इस आधार पर सरकार ने 6,990 करोड़ रु. की पूंजी सम्मिलित करने के लिए 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चुना हैI इस नये नियम से केवल अच्छे प्रदर्शन करने वाले बैंकों को ही फायदा हुआ है।

तरीका –

बैंक का प्रदर्शन दो पैमानों से निर्धारित किया जाता है-

- सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पिछले तीन सालों के परिसं-पत्ति/अस्ति पर रिटर्न (ROA) का भारित औसत। औसत से ऊपर वाले बैंकों को पूंजी सम्मिलन हेतु चुना गया।
- दूसरा मानक है, पिछले वित्तीय वर्ष में इक्विटी पर आने वाले रिटर्न (RoE)I औसत से अधिक RoE वाले बैंकों को पूंजी प्रदान की गई।

परिसंपत्ति पर रिटर्न (R O A) :– करोपरांत

परिसंपत्ति पर रिटर्न (R O E), एक लाभप्रदता अनुपात है जो कुल अस्तियों के द्वारा प्राप्त होने वाले शुद्ध लाभ (आय) को दर्शाता है इसे कुल औसत अस्ति से शुद्ध आय में भाग देकर प्राप्त किया जाता है।

- R o A = करोपरांत शुद्ध आय/कुल आस्ति (अथवा कुल औसत आस्ति)×100

इक्विटी पर रिटर्न (R o E) :- करोपरांत

इक्विटी पर रिटर्न (R o E) एक अनुपात है जो शेयरधारकों का शेयरों के द्वारा प्राप्त कुल लाभ (शुद्ध आय) को दर्शाता है। यहाँ इक्विटी का मतलब शेयर कैपिटल रिजर्व और बैंक के आधिक्य से है।

R o A = करोपंरात लाभ/(कुल इक्विटी+पिछले वर्ष के अंत में कुल इक्विटी)/}×100

विश्लेषण :–

गत वर्षो तक बैंकों को अपने विस्तार और विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक धन गंभीर परिस्थितियों में उपलब्ध हो जाता था ।

- केन्द्र द्वारा आस्ति पर रिटर्न (R o A) तथा इक्विटी पर रिटर्न (R o E) जैसे क़दमों को लागू करने का मकसद बैंकों के प्रदर्शन को आंकना है। यह दोनों अनुपात मानक यह मापते हैं कि कोई बैंक कैसे अपने आस्ति आधार अथवा इक्विटी को संभाल रहा है।
- नये मानक PSBs (सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों) द्वारा इक्विटी

की आवश्यकताओं के कारण सरकार पर पड़ने वाले बोझ को कम करेगें।

- अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले बैंकों को भविष्य में सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु अपनी लाभप्रदता में सुधार करना होगा व अपने परिचालन को और अधिक प्रभावी बनाना होगा।
- ICRA के अनुसार पूंजी अन्त: प्रवाह के नये मानक घरेलू बैंकिंग क्षेत्र को और मजबूत करेगें।
- रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने कहा है कि सरकार से पर्याप्त वित्तीय समर्थन न मिलने पर अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं को नियमानुसार पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूँजी बाजार से धन जुटाना पड़ेगा।
- मूडीज़ ने कहा कि नये मानकों के अन्तर्गत कम पूंजी स्तर व आन्तरिक रुप से पूंजी जुटाने में असमर्थ, कमजोर PSBs को बाह्य पूंजी अन्त: प्रवाह पर निर्भर रहना होगा।
- R o A पर निजी क्षेत्र के बैंकों का औसत सार्वजनिक क्षेत्रों के बैकों की तुलना में तिगुना है।
- भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी पर्याप्तता हेतु BASAL III मानकों के अनुपालन हेतु 2018 तक 2.4 लाख करोड़ की इक्विटी कैपिटल की आवश्यकता है।
- विदेशों में परिचालन वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पूँजी अन्त: प्रवाह के नये नियमों को लचीला बनाने हेतु केन्द्र से निवेदन किया है।

निष्कर्ष -

- खराब प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंको को धन न देना पूर्णत: उचित है। लेकिन केन्द्र सरकार को खराब प्रदर्शन की जड़ में जाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की बैलेंस शीट व उनके प्रदर्शन को सुधारने के लिए व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। ये सुधार निम्नलिखित हो सकते है-
- बाह्य निगरानी, जैसे-दोहरा नियंत्रण, वित्त मंत्रालय व आर-बीआई द्वारा।
- बोर्ड का गठन
- निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ मुआवजा अन्तर को और बढ़ाना।
- PSU बैंक के अध्यक्षों के चुनाव में पारदर्शिता अपनाना।
- क्रियान्वयन में बैंक प्रबंधन को और अधिक स्वायत्त्ता प्रदान करना।
- इन बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु सरकारी दखल कम करना एक सकारात्मक माहौल बनाने के पथ पर पहला कदम हो सकता है।

चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट - अनुशंसाएँ व विश्लेषण:

पृष्ठभूमि:

वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया। संविधान के अनुसार हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है, जिसमें एक अध्यक्ष व चार सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक पाँच वर्ष पर अथवा उससे पूर्व वित्त आयोग का गठन अनिवार्य है।

कार्य:

वित्त आयोग के कार्य नि4खित रुप से समझाये जा सकते हैं :–

- उन करों के संबंध में केन्द्र व राज्यों के बीच बँटवारे के संबंध में सुझाव देना जिनकी निवल प्राप्तियां विभाज्य हैं या विभाजित हो सकती हैं।
- उन सिद्धांतों के संबंध में सुझाव देना जो राज्यों को अनुच्छेद 275 के तहत दिए जाने वाले राजस्व अनुदान को प्रशासित करेंगे।
- राज्यों के वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्यों के संचित निधि को बढ़ने के उपायों के संबंध में सुझाव देना जिससे राज्य पंचायतों व नगरपालिकाओं को संसाधन उपलब्ध हो सके।

1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2015 की अवधि के लिए 2 जनवरी, 2013 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा चौदहवें वित्त आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर वाय.वी.रेड्डी थे इस आयोग ने 15 दिसम्बर 2014 को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

चौदहवें वे वित्त आयोग की मुख्य अनुशंसाएँ:

क्षैतिज हस्तांतरण फ़ॉर्मूला

- क्षैतिज हस्तांतरण का अर्थ राज्यों के मध्य वित्त का स्थानांतरण है।
- केन्द्रीय करों के हस्तांतरण हेतु अपनाये जाने वाले फ़ॉर्मूले में आयोग ने वन आच्छादन को एक नवीन मानक के रूप में जोड़ा है। इस मानक के आधार पर 9 राज्यों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है।
- समिति ने करों का हिस्सा राज्यों को देने हेतु वनाच्छादन का भार 7.5% रखा है, जबकि जनसंख्या का भारांश 17.5% है, जनांकिकीय परिवर्तन हेतु 10%, आय अन्तराल के लिए 50% भारांश तथा क्षेत्रफल का भारांश 15% रखा गया है।
- नये मानक के अनुसार उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक हानि हुई है, जिसके बाद बिहार का स्थान है।
- इससे नये बँटवारे से 19 राज्यों को लाभ हुआ है। सर्वाधिक लाभ अरुणाचल प्रदेश को हुआ है तथा उसके बाद छत्तीसगढ़ को।

13वें व 14वें वित्त आयोग में क्षैतिज हस्तांतरण का फार्मूला:

VISION IAS

HORIZONTAL DEVOLUTION FORMULA IN THE 13TH AND 14TH FINANCE COMMISSIONS

Variable	Weights accorded 13th	14th
Population (1971)	25.0	17.5
Population (2011)	0.0	10.0
Fiscal capacity/Income distance	47.5	50.0
Area	10.0	15.0
Forest cover	0.0	7.5
Fiscal discipline	17.5	0.0
Total	100	100

Source: Reports of 13th and 14th Finance Commission

- राज्यों को हस्तांतरण शुद्ध कर आय में से राज्यों का हिस्सा 42% रहेगा। इसमें 13वें वित्त आयोग द्वारा 32% की सिफारिश की गई थी। इसमें अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है और अभी तक की यह सर्वाधिक वृद्धि है।
- संसाधन स्थानांतरण कर आय का बंटवारा राज्यों को संसाधन उपलब्ध करवाने की पहली सीढी है।
- अनुदान यह सिफारिश की गई है कि राज्यों को स्थानीय निकायों के लिए दिये जाने वाले अनुदान 2011 के जनसंख्या के आंकडों के अनुसार दिये जायेगें, जिसका भार 90% होगा तथा क्षेत्रफल का भार 10%होगा।

1. राज्यों को दिया जाने वाला ऐसा अनुदान दो अनुदानों में विभक्त होता है, पहला ग्राम पंचायतों को दिया गया अनुदान व दूसरा नगर पालिकाओं को दिया जाने वाला अनुदान।
2. अनुदान के दो प्रकार हैं- आधारभूत अनुदान व प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रदर्शन आधारित अनुदान से आधारभूत अनुदान का अनुपात पंचायतों के संदर्भ में 90:10 होता है जबकि नगरपालिका के संदर्भ में 80:20 होता है।

- हस्तांतरण उपरांत राजस्व घाटा अनुदान –आयोग ने 2015-20 की अवधि के लिए राज्यों की आय व व्यय का अनुमान किया है तथा केन्द्रीय करों में हिस्सा लेने के बाद राज्य के संभावित घाटे का अनुमान लगाया है। इसमें 11 राज्यों के घाटे को कम करने के लिए 1.94 लाख करोड़ रु. के अनुदान की सिफारिश की गई है।
- योजनाओं का अलग होना - केन्द्र प्रायोजित आठ योजनाओं को केन्द्र का समर्थन नहीं मिलेगाI इसके अतिरिक्त कई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्र-राज्य के हिस्से में परिवर्तन होगा, जिससे राज्यों को अधिक राजकोषीय जिम्मेदारी उठानी होगी।
- सहयोगात्मक संघवाद- सहयोगात्मक संघवाद के साथ-साथ जीएसटी, राजकोषीय समेकन रोड मैप, सार्वजनिक उपयोगिताओं के मूल्य निर्धारण आदि की भी अनुशंसा की गई है।
- बजट प्रस्तावों को लागू करने में होने वाले राजकोषीय व्यय का अनुमान लगाने हेतु एक स्वतंत्र परिषद की स्थापना करना।
- वर्तमान FRBM एक्ट के स्थान पर ऋण सीमा व राजकोषीय उत्तरदायित्व नियम (debt ceiling and fiscal responsibility law) लागू करने की सिफारिश की गयी है।
- राष्ट्रीय निवेश कोष को समाप्त करना तथा विनिवेश से प्राप्त समस्त आय को संचित निधि में डालना।
- राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी के भुगतान में देरी पर जुर्माना लगाने के लिए लिए विद्युत अधिनियम में परिवर्तन करना।
- स्वतंत्र व स्वायत्त जीएसटी मुआवजा कोष स्थापित करना।

विश्लेषण -

- चौदहवें वित्त आयोग ने राजस्व व्यय के वित्तीयन के तरीके में मूलभूत बदलाव किये है। इसमें केन्द्र द्वारा योजना व अनुदान आधारित सहायता के स्थान पर आय हस्तांतरण आधार को अपनाया गया है।
- अधिक कर हस्तांतरण से राज्यों को वित्तीयन में तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार योजना बनाने में मदद मिलेगी।
- आयोग की अनुशंसाओं का उद्देश्य राज्यों के संसाधनों व उनके उत्तरदायित्व की लागत के मध्य के अंतर फासले को कम करना है।
- यह प्रक्रिया विशेष दर्जे वाले राज्य व अन्य राज्यों के भेद को खत्म करेगी।
- योजनाओं में समरुपता लाना - केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की बहुलता का अभिप्राय सामान्यत: यह लगाया जाता है कि राज्यों के पास कथित समन्वित संसाधनों की बहुत सीमित मात्रा है। करों से प्राप्त आय का अधिक हिस्सा राज्यों को देने के बाद केन्द्र राज्यों के लिए प्रायोजित की जा रही कई योजनाओं को पुर्नमूल्यांकन कर सकता है। एक वक्तव्य में वित्त मंत्रालय ने कहा कि वह केन्द्र द्वारा प्रायोजित 8 योजनाओं को समाप्त करेगा।
- एक नया आयाम - "सहयोगत्मक संघवाद" - राज्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्धता से केन्द्र के साथ उनके संबंध ज्यादा बराबरी के स्तर पर होगें। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि केन्द्र का हस्तक्षेप कम हो जायेगा।

तथापि, आलोचक तर्क देते है कि अधिकतर राज्यों के पास ऐसे अतिरिक्त कोष के प्रभावी उपयोग की क्षमता विद्यमान नहीं है। पुन: राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त आवंटन के व्यय को जाँचने हेतु कोई व्यवस्थिति ढाँचा भी नहीं है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास व वित्तीयन निगम (NMDFC):

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास व वित्त निगम की

VISION IAS

अधिकृत पूंजी 1500 करोड़ से बढ़ाकर 3000 करोड़ रु. करने की मंजूरी दे दी है। इसमें केन्द्र, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा व्यक्ति/संस्था का हिस्सेदारी को क्रमश: 65:26:9 के स्थान पर 73:26:1 करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त NMDFC के व्यवसायिक मॉडल में सुधार को भी अनुमोदित कर दिया गया है।

प्रभाव - इस निर्णय से आर्थिक क्रियाओं, बेहतर पहुँच तथा विस्तार के लिए मिलने वाले कोष में वृद्धि होगी। अधिकृत पूंजी में बढ़ोतरी इसके पहुँच के दायरे को बढ़ायेगी तथा आर्थिक रुप से कमजोर अल्पसंख्यक जनसंख्या के एक बड़े भाग के लिए धन उपलब्ध करवाएगी। 2014-15 में NMDFC का लक्ष्य 97000 लाभार्थियों तक पहुँच बनाना है।

NMDFC क्या है?

NMDFC – अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय क्षेत्र का सार्वजनिक उद्यम है। इसे कम्पनी अधिनियम 1956 के खंड 25 के तहत 1994 में एक गैर-लाभकारी कम्पनी के रुप में स्थापित किया गया था।

कार्यप्रणाली

NMDFC, शहरी क्षेत्रों में 1,03,000 रु. तक व ग्रामीण क्षेत्रों में 80,000 रु. तक के वार्षिक आय वाले अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़े वर्ग को आर्थिक गतिविधियों व स्व-रोजगार के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान करता है। इस संदर्भ में अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध व पारसी शामिल है। इसमें जैनों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें हाल ही में 2014 में अल्पसंख्यक के रुप में अधिसूचित किया गया है।

धारणीय आजीविका तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजना (Sustainable Livelihoods and Adaptation to Climate Change Project) {SLACC}:

- SLACC परियोजना के वित्तीयन के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया हैI
- उक्त राशि का उपयोग SLACC के अन्तर्गत विशेष परि-योजना को क्रियान्वित करने के लिए किया जायेगा, जिसमें बिहार व मध्यप्रदेश में रहने वाले कृषि पर निर्भर आजीविका वाले ग्रामीण निर्धनों की जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन की क्षमता में सुधार किया जायेगा।
- यह अनुदान राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (NAF) के अतिरिक्त है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा 2014 में कृषि अनुकूलन मानकों के लिए 100 करोड़ रु. की राशि अलग से रखी गई थी।

SLACC परियोजना

- SLACC परियोजना का लक्ष्य ग्रामीण निर्धनों की जलवायु परिवर्तन व कृषि आधारित आजीविका को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन की क्षमता में, समुदाय आधारित क्रियाओं द्वारा सुधार लाना है।
- SLACC के अन्तर्गत मुख्य लाभ प्राप्तकर्ता राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अंतर्गत शामिल ग्रामीण निर्धन होंगेI इसमें महिलाओं के स्वयं सहायता समूह व उनके फेडरेशन, समान हितों वाले उत्पादक समूह जैसे किसानों का समूह व उनसे खरीदने वाले उत्पादक कम्पनियां भी शामिल है।

भारतीय रिजर्व-बैंक का द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा:

अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने ब्याजदरों को यह कहते हुए अपरिवर्तित रखा कि अभी मुद्रास्फीति अथवा राजकोषीय मोर्चे पर सारभूत विकास नहीं हुआ है, अत: ब्याज दरों में कटौती नहीं की जाएगी।

प्रमुख तथ्य - वर्तमान व समष्टि अर्थशास्त्रीय स्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय हुआ है कि -

- तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के अन्तर्गत रेपो दर को 7.75% पर अपरिवर्तित रखा जाएगा।
- अनुसूचित बैंकों के नकद रिजर्व अनुपात (CRR) को 4% पर ही अपरिवर्तित रखा जाएगा।
- अनुसूचित व्यापारिक बैंको के सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) को 50 आधार अंक घटाकर 7 फरवरी, 2015 से निवल मांग व अवधि दायित्वों (NDTL) के 22.0% से घटाकर 21.5% कर दिया गया।
- तरलता समायोजन सुविधा रेपों रेट पर बैंक वार 0.25% ओवर नाइट रेंपों के अन्तर्गत व नीलामी के द्वारा बैंकिंग तंत्र को 7 दिन व 14 दिन के टर्म रेंपो पर 0.75% तक तरलता उपलब्ध करवाना।
- विश्लेषण - इससे बैंकिंग क्षेत्र को अधिक तरलता प्राप्त होगी। इससे बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 45,000 करोड़ रु. का प्रवाह होगा जिससे बैंक अपनी ऋण दरों में कटौती करने को तैयार होगें। बैंक उत्पादक क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण देना शुरू करेगें। जिससे निवेश व वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

सांविधिक तरलता अनुपात (SLR): यह एक मानक है जिसमें (बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के अनुसार) भारत में स्थित सभी व्यापारिक बैंको को अपनी कुल मांग समय दायित्व (DTL) / निवल मांग व अवधि दायित्वों (NDTL) के प्रतिशत के रुप में एक निश्चित राशि निम्न रुपों में रखी जाती है-

1. नकद
2. स्वर्ण

VISION IAS

3. सुरक्षित स्थानों पर निवेश, जिसमें निम्नलिखित शामिल है-

- भारत सरकार के ट्रेजरी बिल
- दिनांकित प्रतिभूतियां
- राज्यों द्वारा जारी राज्य विकास ऋण (SDLs)
- आर.बी.आई. द्वारा अधिसूचित अन्य उपकरण

परम्परागत रुप से जो राशि सांविधिक तरलता अनुपात के रुप में राखी जाती थी वह बैंक के कुल DTL के कम से कम 25% व अधिकतम 40% तक होता थाI परंतु जनवरी 2007 से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 से संशोधन कर न्यूनतम 25% की सीमा को हटा दिया गया है।

एक तरीका है जिससे बैंक ऋणों को प्रभावित करके घरेलू बाजार में तरलता को नियंत्रित किया जाता है। इसमें वृद्धि उपर्युक्त तीन श्रेणियों में बैंक की आस्तियों को सुरक्षित करती है।

नकद आरक्षित अनुपात (CRR) - CRR का तात्पर्य उस राशि से है, जो भारत में स्थित व्यापारिक बैंकों द्वारा अपने कुल निवल मांग एवं अवधि दायित्वों (NDTL) के निर्धारित प्रतिशत के रुप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा की जाती है। यह सभी बैंकों पर समान रुप से लागू होता है। बैंक के आकार व स्थिति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार सभी अनुसूचित व्यापारिक बैंकों (इसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंक शामिल हैं) को प्रत्येक दो सप्ताह के औसत आधार पर कुछ निश्चित राशि भारतीय रिजर्व बैंक पास जमा की जाती है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संगठनों को इससे अलग रखा गया है।

वर्तमान में आरबीआई द्वारा इस रखी गई नकदी पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। यदि बैंक आवश्यक राशि जमा करवाने में असफल होता है तो आरबीआई को बैंकों पर जुर्माना स्वरूप ब्याज वसूलने का अधिकार है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक:

सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2010=100 से बदलकर 2012=100 कर दिया है। इस संशोधित श्रृंखला में सूचकांक को और अधिक मजबूत बनाने के क्रम में कई विधिगत परिवर्तन किये गये है।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) द्वारा जारी किये गये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं -

- आधार वर्ष को बदलकर 2010=100 के स्थान पर 2012=100 किया गया।
- मद व उनका भार, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 68वें दौर के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (CES) 2011-12 के माडीफाइड मिक्स्ड रेफरेंस परिचय (MMRP), के द्वारा निर्धारित किया जाता हैI ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, अधिकांश खाद्य उत्पादों को कम संदर्भ अवधि के लिए व कम उपभोग किये जाने वाले उत्पादों को दीर्घ संदर्भ अवधि के आधार पर नियमित किया जाए।
- CPI का पुराना भार प्रदर्शक संकेतक ,यूनीफार्म रेफरेंस पीरियड़ (URP), CSE, 2004–05 के 61वें दौर पर आधरित है।
- इस परिवर्तन के बाद भारांश संकेतकों (weighing diagrams) जिसमें भार संदर्भ वर्ष व मूल्य वर्ष (आधार वर्ष) के बीच पिछली श्रृंखला के अनुसार 6 वर्ष का अंतर था, को अब घटाकर 6 माह कर दिया गया है।
- समूहों की संख्या, जो पुरानी श्रृंखला में थी, अब बढ़कर 6 हो गई है।पान, तम्बाकू व मादक पदार्थ, जो कि "खाद्य व तम्बाकू" के अन्तर्गत एक समूह था, इसे अब अलग से एक समूह माना गया है।
- वस्तुओं की संख्या भी बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्र में 437 में 448 तथा शहरी क्षेत्र में 450 से 460 कर दी गई है।
- कोर ग्रुप (CPI-खाद्य व ईंधन) का भारांश बढ़ाकर 42.9% से बढ़ाकर 47.3% कर दिया गया है।

पुरानी व नई श्रेणी में भार संकेतकों की तुलना निम्नवत् है-

समूह वर्गीकरण	CPI की पुरानी श्रेणी (भार CES 2004–05 के आधार पर)			CPI की संशोधित श्रेणी (भार CES 2004–05 के आधार पर)		
	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
खाद्य व पेय पदार्थ	56.59	35.81	47.58	54.18	36.29	45.86
पान, तम्बाकू व मादक पदार्थ	2.72	1.34	2.13	3.26	1.36	2.38
वस्त्र व जूते-चप्पल	5.36	3.91	4.73	7.36	5.57	6.53
आवास	-	22.54	9.77	-	21.67	10.07
ईंधन व बिजली	10.42	8.40	9.49	7.49	5.58	6.84

VISION IAS

 ©Vision IAS

विविध	24.91	28.00	26.31	27.26	29.53	28.32
कुल	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

थोक मूल्य सूचकांक (WPI)

थोक मूल्य सूचकांक क्या है?

थोक कूल्य सूचकांक वस्तुओं के मूल्य को थोक स्तर पर दर्शाता है, अर्थात वे वस्तुऐं जो वृहद् मात्रा में बेची जाती है तथा जिनका उपभोक्ता के बजाय संगठनों के बीच जिनकी बिक्री होती है। थोक मूल्य सूचकांक को भारत में मुद्रास्फीति के एक महत्वपूर्ण मापक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है।

थोक मूल्य सूचकांक के घटक

- प्राथमिक सामग्री (भारांश – 20.12%)
- खाद्य वस्तु (भारांश – 14.34%)
- गैर खाद्य वस्तु (भारांश – 4.26%)
- खनिज (भारांश 1.52%)
- ईंधन व ऊर्जा (भारांश 14.91%)
- विनिर्मित उत्पाद (भारांश 64.97%)

आधार वर्ष 2004-05=100

ईंधन तेल की कीमतों में कमी के कारण थोक मूल्य सूचकांक जनवरी में -0.39% तक गिर गया। पिछली आठ महीनों में महंगाई में कमी आई है।

- ऋणात्मक थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में उत्पादन लागत में कमी दर्शाती है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक में 65% भारांश तो विनिर्मित वस्तुओं का होता हैI

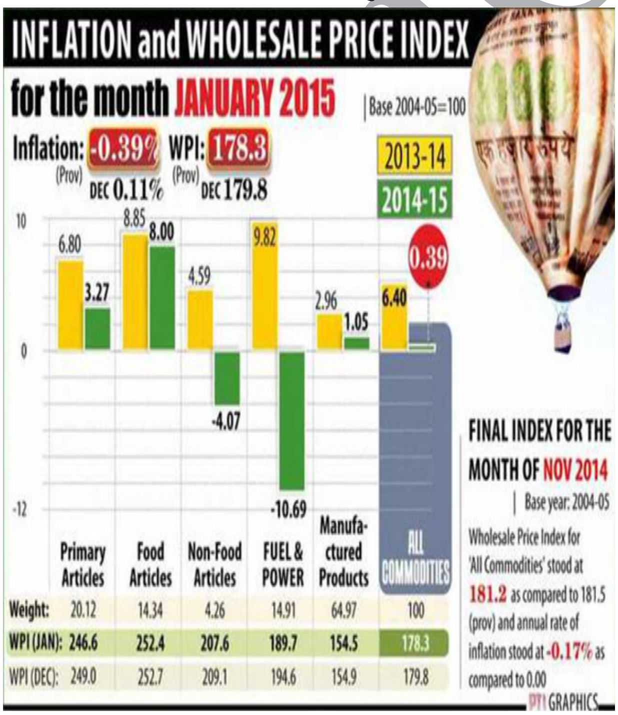

- इसमे उत्पादक की तरफ से महंगाई को निकटता से दर्शाया जाता है तथा विनिर्मित वस्तुओं को अधिक कवरेज दिया जाता है।
- इसमें सेवाओं में महंगाई को नहीं मापा जाता है।
- भारत में मुख्यत: महंगाई को थोक मूल्य संचकांक के आधार पर मापा जाता है - जिसमें 676 वस्तुऐं होती हैं भारत में थोक मूल्य सूचकांक में सेवाऐं शामिल नहीं हैं।

पाँचवा भारत-अमरीका आर्थिक व वित्तीय साझेदारी संवाद:

पाँचवे वार्षिक भारत-अमरीका आर्थिक व वित्तीय साझेदारी संवाद हेतु भारत के वित्त मंत्री व अमरीका के वित्त सचिव के मध्य हाल हीं में वार्ता संपन्न हुआ।

प्रमुख बिंदु:

- 21 वीं सदी के लिए भारत-अमेरिका साझेदारी हेतु साझा प्रयास के माध्यम से व सभी के लिए प्रगति पर आधारित एक नई पहल के लिए दोनों देशों ने प्रतिबद्धता जताई।
- हाल के महीनों में दोनों पक्षों की ओर से द्विपक्षीय और रणनीतिक साझेदारी को फिर से उर्जा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास गए हैं, जिसने दोनों देशों के बीच संबंधों को एक अभूतपूर्व स्तर और नई ऊँचाई पर उठाया है।
- भारत-अमेरिका ने सहमति व्यक्त की है कि वे अपने विविध साझेदारी को व्यापक परामर्श और आर्थिक सहयोग के माध्यम से विकसित करने के लिए प्रयास जारी रखेंगे।
- दोनों देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का उल्लेख किया और इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि स्वस्थ व्यापक आर्थिक नीतियों, संरचनात्मक सुधार, और मजबूत प्रुडेंशियल फ्रेमवर्क से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और वित्तीय बाजार में स्थिरता आएगी।
- भारत-अमेरिका ने अपने बीच बढ़ते व्यापार व निवेश की समीक्षा की। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि द्विपक्षीय व्यापार और निवेश प्रवाह को बढ़ाने हेतु निरन्तर सहयोग से भारतीय व अमेरिकी नागरिकों को बेहतर अवसर प्रदान होंगे ।
- उन्होंने विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित अंतर-राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को मजबूत बनाने के महत्व पर बल दिया।
- भारत-अमेरिका ने विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम की शीघ्र आवश्यकता का उल्लेख किया तथा पारस्परिक आधार पर विदेशी राज्यों के क्षेत्राधिकार तथा टैक्स हैवन्स में जमा धन की जानकारी के स्वत: आदान-प्रदानके नए, वैश्विक मानकों को अपनाने हेतु कार्य किये जाने पर सहमति व्यक्त की।
- सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के क्षेत्र में दोनों देशों ने तकनीकी सहायता पर सहयोग करने के लिए प्रतिबद्धता जताई।

कृषि उत्पादों के निर्यात में गिरावट:

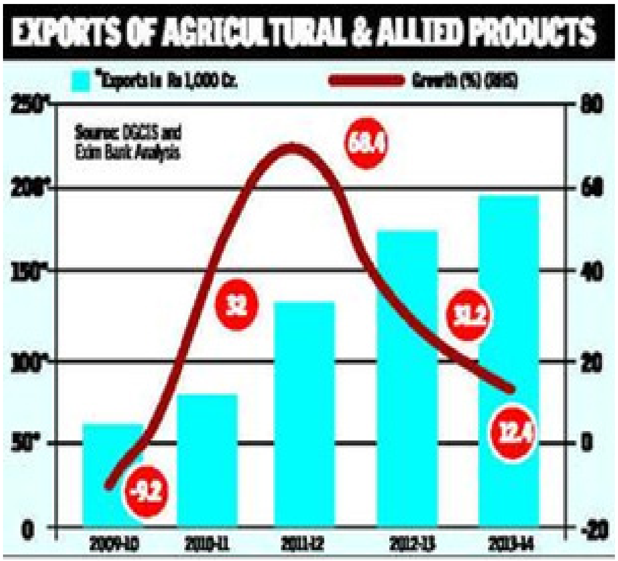

- कृषि निर्यात में प्रति वर्ष होने वाली वृद्धि में 2012-13 और 2013-14 में काफी कमी आई हुई है।
- हालांकि समग्र तौर पर कृषि वस्तुओं का निर्यात 2012-13 के 1.74 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2013-14 में 1.96 लाख करोड़ रुपया हो गया, परंतु यह 2011-12 में 68.4 प्रतिशत के वृद्धि दर की तुलना में काफी कम है (2010-11 के 78,854 लाख करोड़ रुपया की तुलना में 2011-12 में 1.33 लाख करोड़ रूपया)।

कारण:

- जिंसों की कीमतों में गिरावट।
- वैश्विक बाजार में कृषि वस्तुओं की भरमार अधिकता।
- कई देशों द्वारा आयात पर प्रतिबंध। हाल ही में सऊदी अरब और यूरोपीय संघ द्वारा आरोपित प्रतिबंध।
- अन्य देशों में उच्च उत्पादन और घरेलु मुद्दे जैसे गुणवत्ता इत्यादि।

प्रभाव:

- व्यापार में एक गिरावट उत्पादन के स्तर के साथ-साथ किसानों की आय को भी प्रभावित कर सकता है।
- विदेशी मुद्रा प्राप्ति: हमारे कुल निर्यात में कृषि निर्यात का 12-14 प्रतिशत हिस्सा है, इसलिए यह हमारे भुगतान संतुलन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

Your liitle help could make them realise their DREAM

Doctor

Ankush sachan class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Actor

Vandna devi class:3
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Engineer

Sadhana devi class:ukg
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Cartoonist

Rupa Devi class :3
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Astronaut

Shivam maurya class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Writer

Mona sachan class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Scientist

Akanksha devi class: LKG
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Comedian

Gaurav Kumar class:I
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

To Educationally adopt one of these children visit us at www.globalvillagefoundation.in

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य: भारत की उपलब्धि

सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) की समयावधि दिसंबर 2015 में पूरी हो रही है, अत: संयुक्त राष्ट्र ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की प्रगति पर एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी विभिन्न संकेतकों में उपलब्धि मिली जुली रही है।

- भारत की 21.9 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे होने के साथ-साथ, भारत ने गरीबी को आधा कम करने का लक्ष्य पहले से ही हासिल कर लिया है।
- शिक्षा संकेतकों पर, देश ने पहले ही प्राथमिक स्कूल में नामांकन में लिंग समता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और रिपोर्ट के अनुसार 2015 तक माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा के क्षेत्र में लिंग समता के लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना है।
- साथ ही भारत भुखमरी को आधा एवं मातृत्व मृत्यु दर को तीन चौथाई कम करने के लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए तैयार है।
- देश सफलतापूर्वक एचआईवी / एड्स, मलेरिया और तपेदिक जैसे प्राण घातक रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने में सफल रहा है।
- साथ ही वन आवरण क्षेत्र बढ़ गया है और पीने के साफ पानी तक बिना पहुँच वाली जनसंख्या का अनुपात भी आधा रह गया है।

लेकिन अन्य संकेतकों पर प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। भारत निम्नलिखित लक्ष्यों से अभी भी पीछे है :-

- श्रम रोजगार और राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना
- बाल और शिशु मृत्यु दर को कम करना एवं
- खुले में शौच करने की समस्या को समाप्त करने के लिए पर्याप्त सफाई तक पहुँच में सुधार करना।

INDIA'S PROGRESS ON MDGS

MDG (millennium development goals)1 POVERTY AND HUNGER	
Poverty (Below national poverty line, %)	21.90
Underweight children (< 3 years of age, %)	27.00
MDG2 ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION	
Net enrolment ratio (Primary, %)	88.08
Apparent survival rate (Ratio of enrolment grade V to grade I, %)	93.00
Youth literacy ratio (15-24 years, %)	86.00
MDG3 PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN	
Ratio of girls to boys (primary education)	1.01
Ratio of girls to boys (secondary education)	0.93
Ratio of girls to boys (tertiary education)	0.88
Women in wage employment (non-agriculture, %)	19.30
MDG4 REDUCE CHILD MORTALITY	
Child mortality rate (< 5 years, per 1,000 live births)	49.00
Infant mortality rate (< 1 year, per 1,000 live births)	40.00
Measels immunisation (12-23 months, %)	74.00
MDG5 IMPROVE MATERNAL HEALTH	
Maternal mortality ratio (per 100,000 live births)	167.00
Birth attendance by skilled health professional (%)	76.20
MDG6 ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY	
Households with access to water (%)	90.60
Households with access to adequate sanitation (%)	54.60

Source: India and the MDGs, Towards a sustainable future for all, United Nations

ALL INDIA IAS TEST SERIES 2015
General Studies
Geography
Philosophy
Essay
Sociology
Psychology
Public Administration
All India Rank, Performance Analysis, Flexible & Expert Discussion
Starts : 5th Sep

GENERAL STUDIES ADVANCED BATCH 2015
For Civil Services Mains Examination 2015
Starts : 7th Sep

ETHICS MODULE
• By renowned faculty and senior bureaucrats
• 25 Classes
• Regular Batch
Starts : 15th Sep

PHILOSOPHY
Foundation/Advance Course
@ JAIPUR Center
• Includes comprehensive & updated study material
• Classes on Philosophy by Anoop Kumar Singh:
Starts : 7th Sep

आरक्षण और संगठनात्मक दक्षता

पृष्ठभूमि

- सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण के उत्पादकता और कार्यकुशलता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने वाला यह ऐसा पहला अध्ययन है।
- अध्ययन में 1980 और 2002 के बीच भारतीय रेलवे में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण के उत्पादकता और कार्यकुशलता पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

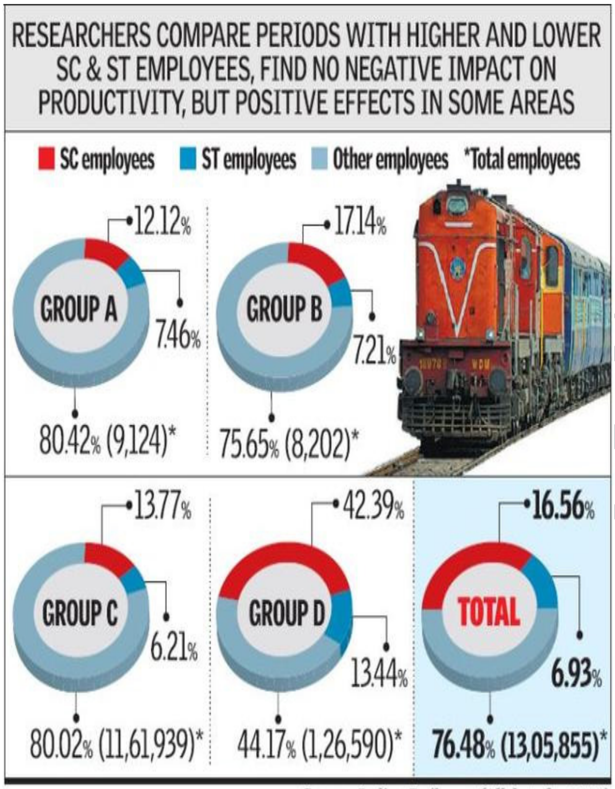

Source: Indian Railways (All data for 2012)

- अध्ययन केवल ग्रुप ए और बी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों पर ही किया गया है।

अध्ययन के निष्कर्ष

- अध्ययन में किसी भी क्षेत्र में उत्पादकता और कार्यकुशलता पर आरक्षण के कारण कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया है जबकि काम के कुछ क्षेत्रों में कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पाया गया है।
- आरक्षण, कोटा प्रणाली के माध्यम से उच्च पदों पर भर्ती कर्मचारियों को और कठिन काम करने एवं इस तरह दक्षता प्रमानित करने के लिए प्रेरित करता है।
- उपेक्षित समूहों से आये व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन करने के लिए विशेष रूप से अत्यधिक प्रेरित हो सकते हैं जब वे निर्णय लेने वाले और प्रबंधकीय पदों पर हों।

रिपोर्ट की आलोचना

- किसी भी संगठन की उत्पादकता मुख्य रूप से अपने कर्मचारियों के रवैया (एट्टीट्यूड), कर्मचारियों के कौशल उन्नयन और कर्मचारी-नियोक्ता के संबंधों पर निर्भर करता है।
- रेलवे में आरक्षण के प्रभाव पर अध्ययन आरक्षण के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसी उपलब्धि संगठन के हितों को ध्यान में रखते हुए अच्छे टीम वर्क (विशेष रूप से निचले स्तर पर) का परिणाम है, जिसमें आरक्षित और गैर-आरक्षित दोनों श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हैं.
- परिणामों की व्याख्या इस तरह भी की जा सकती है कि वंचित वर्ग भी कुशल हैं और इसलिए, अपने मौजूदा रूप में आरक्षण नीति को बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है.
- अध्ययन की अवधि 1980 और 2002 के बीच की थी.
- इस अध्ययन में इस्तेमाल कार्यप्रणाली संदिग्ध है. इन नमूनों (सैंपल) की तुलना अन्य नमूनों के साथ की जानी चाहिए, जहाँ सकारात्मक कार्रवाई मौजूद नहीं है, जोकि व्यावहारिक रूप से असंभव है. इस प्रकार यह केवल एक काल्पनिक विश्लेषण है।

वर्ग-प्रस्थिति की स्व-पहचान (Self-identification of class status)

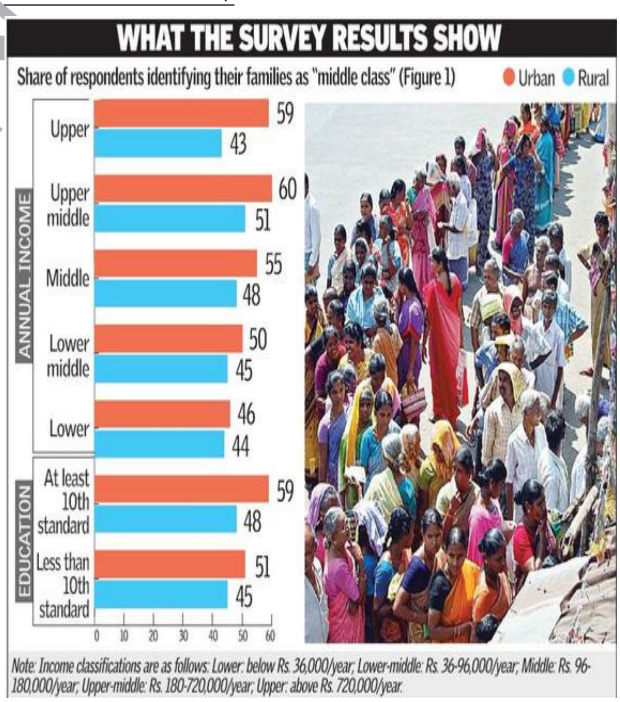

पिछले तीन दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास से भारत के 'मध्यम वर्ग' (मिडिल क्लास) का पर्याप्त विस्तार हुआ है।

इससे भारत में 'माध्यम वर्ग के अंतर्गत वास्तव में कौन आता है', इसके आकार, संरचना, और इसके राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवहार पर एक तेज बहस शुरू हो गई है। यह आर्थिक विकास और प्रशासन के लिए एक गंभीर निहितार्थ वाली बहस है क्योंकि

भिन्न-भिन्न विद्वानों ने विविध आयामों में यह दर्शाया है कि मध्यम वर्ग देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है।

वर्ग-प्रस्तिथि की स्व-पहचान :भारतीय आर्थिक रूप से किस वर्ग का हिस्सा है, इसका निर्धारण वे स्वयं कर लेते है ।इसका परिणाम यह होता है की वे उस जीवन शैली को अपनाते है ,जो उनकी वास्तविक आर्थिक क्षमताओं से मेल नहीं खाती है ।

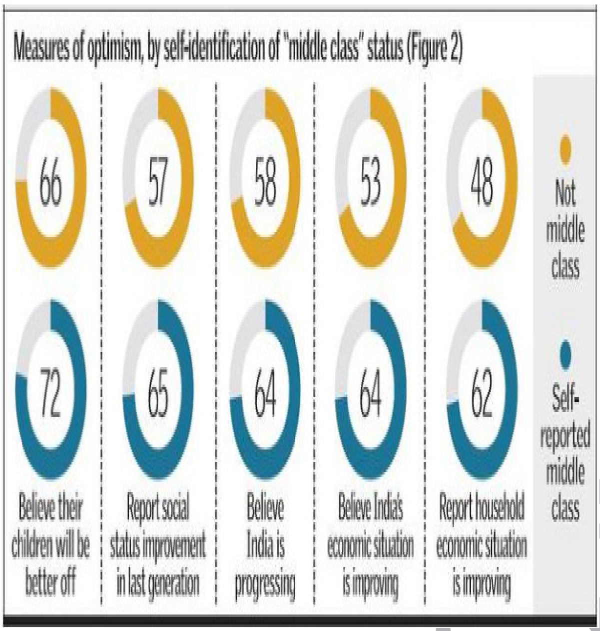

- भारतीय समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों सहित कुल भारतीयों का 49 प्रतिशत स्वयं की पहचान "मिडिल क्लास" के रूप में करता है।
- वे उन लोगों की तुलना में जो स्वयं की पहचान "मिडिल क्लास" के रूप में नहीं करता है, अपने परिवार और एक समग्र रूप से देश की आर्थिक स्थिति के बारे में अधिक आशावादी थे।
- मध्यम वर्ग के रूप में स्वयं की पहचान करने वालों ने यह कहा कि उन्होने अपने परिवार की पिछली पीढ़ी के भीतर सामाजिक गतिशीलता का अनुभव किया है।

भारत में तीन तरह के संरचनात्मक परिवर्तन घटित हो रहे हैं, ये हैं- सेवा क्षेत्रक आधारित आर्थिक विकास, शहरीकरण का तीव्र विस्तार तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुए परिवर्तन। ये मध्यम वर्ग के तीव्र विकास के लिए निश्चयात्मक तौर पर काफी उत्तरदायी करक हैं। इस वर्ग (मध्यम-वर्ग) के विकास का सामाजिक राजनीतिक परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि यह वर्ग खुद को एक सामान्य सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया से जोड़कर देखता है अथवा राजनीतिक तौर पर जागृत वर्ग के रूप में या फिर, प्रगतिशील अथवा प्रतिक्रियावादी वर्ग के रूप में।

सामाजिक दुराभाव

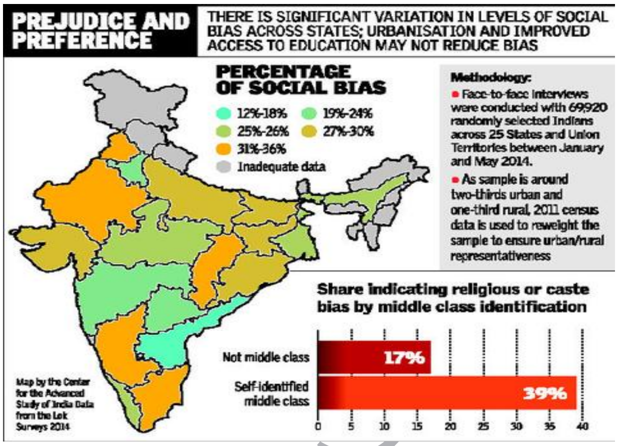

भारत में सामाजिक पूर्वाग्रहों से सम्बंधित लोकप्रिय बहस दो भागों में बटी हुई है

- एक मत यह है कि ऐसे देश में, जहाँ पिछले कुछ दशकों में तेजी से आर्थिक विकास के साथ शहरीकरण बढ़ रहा हो, इस तरह की जातिगत और धार्मिक पहचान का महत्व धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है.
- दूसरी विपरीत मत यह है कि, पर्याप्त आर्थिक विकास और तेजी से बढ़ रहे बहुजातीय शहरों के बावजूद भारत में ये दुराभाव बने हुए हैं.

निष्कर्ष

- ऐतिहासिक रूप से उपेक्षा का शिकार होने के कारण तथा समावेशी समाज की स्थापना की इच्छा के कारण हाशिये पर पड़े हुए लोगो के द्वारा परंपरागत रूप से जाती व्यवस्था में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के प्रति कटुता और अस्वीकृति प्रदर्शित की गयी है ।रिपोर्ट के अनुसार, अब ऊंची जाति के हिंदु, जाति पदानुक्रम में नीचे वाले समूहों के बजाय अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के खिलाफ सबसे अधिक सामाजिक दुराभाव रखते हैं।
- भारतीय सामाजिक आर्थिक संरचना में माध्यम वर्ग सर्वाधिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है ।जबकि निम्न और उच्च वर्ग में यह प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम पाई जाती है ।भारत में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया जहा सामाजिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा के नए रूप पैदा कर रही है,वही इससे सामाजिक पुर्वाग्रहो में भी वृद्धि हो रही है । भले ही आधुनिकीकरण की रह पर चलता भारत कुछ पारंपरिक पदानुक्रमों के क्षय को गति प्रदान कररहा है,किन्तु यह सामाजिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा पर आधारित नए विभाजन के लिए रास्ता खोल रहा है।स्वास्थ्य का प्रबंधन एवं शासन तंत्र
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति - 2015 का मसौदा हमारे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को कमज़ोर करने वाले विविध मुद्दों-निम्न सार्वजनिक स्वास्थ्य व्ययस्वाथ्य सुविधाओ तक सामान पहुच

©Vision IAS

न होना , और देखभाल की खराब गुणवत्ता - पर प्रकाश डालता है।

- इसमें इनके समाधान के उपाय भी बताए गए हैं, जो कि मुख्यत: स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय को बढ़ाने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार पर केन्द्रित हैं।
- हालांकि, स्वास्थ्य नीति भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली की मूलभूत समस्याओं, जैसे इसका प्रबंधन, प्रशासन और समग्र शासन संरचना - से सीधे-सीधे निपटने में विफल रही है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय के उच्चतर स्तर

- यह आवश्यक नहीं है कि अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय के द्वारा बेहतर परिणाम ही प्राप्त होंगे ।
- रूस और दक्षिण अफ्रीका दोनों भारत की तुलना में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर काफी अधिक राशि खर्च करते हैं, फिर भी जीवन प्रत्याशा के मामले में दक्षिण अफ्रीका की बुरी स्थिति है एवं रूस में स्थिति केवल थोड़ी सी बेहतर है।

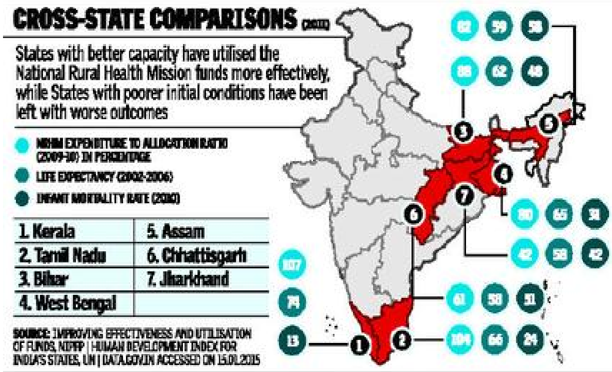

CROSS-COUNTRY COMPARISONS (2011)

Higher levels of public health expenditure may not necessarily lead to better outcomes

	SPEND PER CAPITA (USD)	TOTAL HEALTH EXPENDITURE AS % OF GDP	GOVT. HEALTH EXP. AS % OF TOTAL HEALTH EXP	LIFE EXPECTANCY	INFANT MORTALITY RATE	MATERNAL MORTALITY RATE
INDIA	62	3.9	30.5	66	45	220
SOUTH AFRICA	670	8.7	47.7	59	34	140
BANGLADESH	27	3.8	38.2	70	37	200
SRI LANKA	93	3.3	42.1	74	9	32

SOURCE: WORLD BANK

- इसके विपरीत, श्रीलंका और बांग्लादेश वास्तव में भारत की तुलना में स्वास्थ्य पर कम खर्च करते है (जीडीपी (GDP) के प्रतिशत के रूप में), फिर भी दोनों देशों में परिणाम बेहतर हैं।
- भारत में भी, ड्राफ्ट पॉलिसी बताती है कि बेहतर क्षमता वाले राज्यों ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) फंड का उपयोग अधिक दक्षता के साथ किया है, जबकि प्रारम्भिक गरीब स्थिति वाले राज्यों का परिणाम भी अच्छा नहीं रहा है।
- बुनियादी अंतर, प्रबंधन और प्रशासन के ढांचे में निहित है।

प्रशासन का महत्व

- विश्व स्तर पर, अनुसंधान के निष्कर्षों ने स्वास्थ्य के परिणामों में सुधार करने में प्रशासन के महत्व पर प्रकाश डाला है।
- 2008 के एक अध्ययन में राजकुमार और स्वरूप ने पाया कि बाल मृत्यु दर को कम करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च की प्रभावशीलता कथित भ्रष्टाचार के स्तर पर निर्भर करता हैउच्च नैतिकता और भ्रष्टाचार का निम्न स्तर होने से बालमृत्यु दर में भी कमी होती है। एक अन्य सर्वेक्षण में यहपाया गया की भ्रष्टाचारका उच्च या निम्न स्तर बाल और शिशु की उत्तरजीविता, उचित स्वाथ्य सुविधा केन्द्रों पर जन्म, टीकाकरण कवरेज और जन्म के समय वजन आदि स्वास्थ्य के मानदंडो को निर्धारित करता है ।
- संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों से संबन्धित एक अध्ययन में, 2004 में Wagstaff और Claeson ने एक विश्लेषण किया जो दर्शाता है कि जिन देशो में सुशासन का अभाव है वहा सरकार के द्वारा स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि का कम वजन वाले बच्चों, मातृ मृत्यु दर, या तपेदिक मृत्यु दर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।
- उन्होने गुणवत्ता पूर्ण शासन के अभाव वाले देशों को विश्व बैंक के कंट्री पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशलन असेस्मेंट (CPIA) सूचकांक पर मीन स्कोर से एक मानक विचलन नीचे होने के रूप में परिभाषित किया।

शासन संरचना

- कृत्यों को पूरा करने के क्रम में शासन संरचनाओं को संतुलित जिम्मेदारी, लचीलापन और जवाबदेही से युक्त होने की जरूरत है। यह स्पष्ट है कि आज हमारा सिस्टम, जिम्मेदारी तय करता है, लेकिन लचीलापन और जवाबदेही प्रदान नहीं करता है।

तमिलनाडु में शासन मॉडल

- तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओ को प्रदान करने के लिए प्रयुक्त संरचनात्मक तंत्र भारतीय परिस्थितियों में अनुकरणीय है । यह तमिलनाडु सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र के लिए दवाओं की खरीद हेतु गठित एक पंजीकृत निगम है।
- यह एक स्वतंत्र निदेशक मण्डल (board of directors) के प्रति जवाबदेह है, जिसमें स्वास्थ्य सचिव भी शामिल है।
- यह मॉडल तमिलनाडु में दवा की आपूर्ति में सुधार लाने में इतना सफल साबित हुआ है कि केरल सहित कई अन्य राज्यों ने इसे अपने शासन तंत्र के आधार के रूप में अपनाया लिया है।

निष्कर्ष

- स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए न केवल अधिक व्यय बल्कि एक अच्छे प्रबंधन और प्रशासन मॉडल की भी आवश्यकता होती है।
- शासन मॉडल अलग-अलग राज्यों की आवश्यकता, क्षमता और सामर्थ्य के आधार पर अपनाया जाना चाहिए।
- सर्वोच्च प्राथमिकता प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत, कुशल और प्रभावी बनाने को दी जानी चाहिए।

सफर-एयर (SAFAR-AIR):

- भारत का पहला वायु गुणात्मक मोबाइल एप सफर-एयर, इण्डियन इस्टीट्यूट ऑफ ट्रापिकल मिटीरियोलाजिक (IITM), पुणे द्वारा प्रारंभ किया गया।
- IITM के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इस एप्लीकेशन अनुप्रयोग का उपयोग नागरिक अपने शहर की वायु गुणवत्ता की जाँच हेतु कर सकेगें।
- भारत में यह वायु गुणवत्ता का वर्तमान तथा पूर्वानुमान उपलब्ध कराने वाली पहली मोबाइल एप्लीकेशन सुविधा है।

सेन्टर फार साइंस एण्ड एन्वायरमेन्ट्स (CSE) ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट:

- भारत की पहली पर्यावरणीय रेटिंग है जो कि कोयला आधारित विद्युत संयंत्र (पावर प्लांट) से संबंधित है । यह बताती है कि इस क्षेत्र को निम्नलिखित वैश्विक मानकों का उपयोग करना चाहिये -

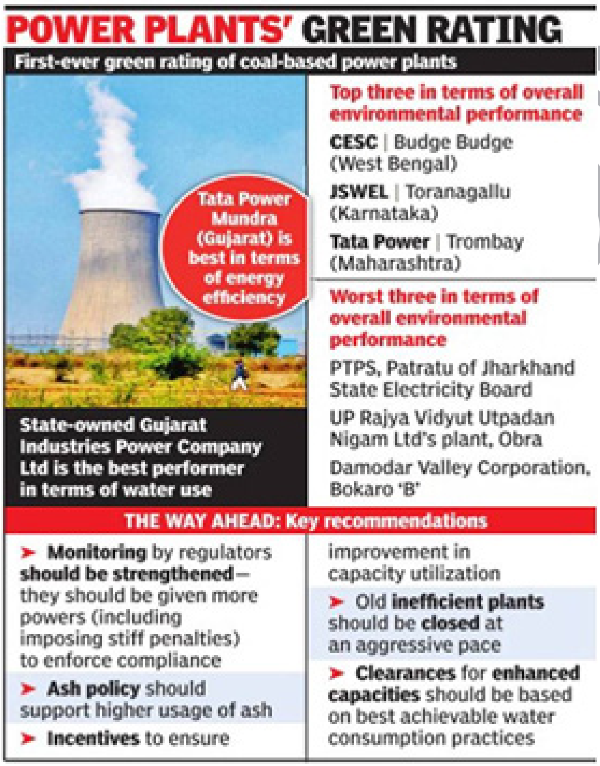

- कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को लगभग 60 मापदंडों के आधार पर मापा गया जिसमें कोयला तथा जल प्रयोग व वायु तथा जल प्रदूषण कम करने हेतु संयत्र की दक्षता एवं राख (एश) प्रबंधन जैसे लगभग सभी मापदंडों को शामिल किया गया है।
- संयत्रों को चलाने हेतु प्रचालनो का अनुपालन तथा पर्यावरणीय नीति के साथ-साथ स्थानीय समुदाय के मतों और उनपर पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखा गया है।
- इस रेटिंग में विभिन्न संयत्रों कीकार्यक्षमता को सर्वोत्तम वैश्विक मनको के आधार पर आका गया है ।

रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

- क्षेत्र विशेष (सेक्टर) का संपूर्ण स्कोर 23 प्रतिशत था, जो काफी कम है। (संपूर्ण उत्तम क्रियाकलापों वाले संयंत्र का स्कोर 80 प्रतिशत तक होता है।)
- अध्ययन में संयंत्रों की औसत क्षमता 32.8 प्रतिशत थी, जो कि कोयले से सार्वाधिक विद्युत उत्पन्न करने वाले देशों में निम्नतम प्रदर्शन करने वालों में शामिल रही।
- औसत CO_2 उत्सर्जन 1.08 kg/kwh था जो चीन से 14 प्रतिशत अधिक है।
- 40 प्रतिशत संयंत्र ने 20 प्रतिशत से कम स्कोर को प्राप्त किये, जो काफी निराशाजनक है एवं इस क्षेत्र की भयावह स्थिति की ओर इशारा करता है।
- भारतीय तापीय ऊर्जा संयत्र 22 बिलियन क्यूबिक मीटर जल का उपयोग करते है जो कि भारत की घरेलू जल आवश्यकता के आधे से कहीं अधिक है।
- 55 प्रतिशत इकाइयों ने वायु प्रदूषण मानकों का उल्लंघन किया। विविक्त पदार्थ (PM) से सम्बद्ध मानक चीन के 30 mg/Nm3V के तुलना में 150-350 mg/Nm3 (मिलिग्राम प्रति नार्मल मीटर क्यूब) दर्ज किया गया है।
- फ्लाय-एश का निस्तारण एक गम्भीर समस्या है। वर्तमान मे क्षेत्रों के द्वारा उत्पादित 170 मिलियन टन फ्लाय-एश का मात्र 50-60 प्रतिशत ही उपयोग में लाई जाती है; शेष बेकार तरीके से बनाये गये व रखरखाब वाले एश तालाब में फेंक दी जाती है।
- एश स्लरी (ash slurry) जिसमें भारी धातुएँ होती है, लगभग 20 संयंत्रों के आस-पास के नदियों व जलाशयों में एक प्रदूषक के रूप मे फैली हैं।
- 47 संयत्रों में से 36 संयत्र पर्यावरण व वन मंत्रालय (MoEF) के द्वारा अनुदेशित उद्देश्य जिसमें उत्पादित ठोस कचरे के 90 प्रतिशत उपयोग का प्रावधान है का अनुपालना नहीं करते हैं। मात्र 54 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट का ही उपयोग किया जाता है संसाधनों के असक्षम उपयोग तथा तकनीकी पिछडेपन के कारण उच्च स्तरीय प्रदुषण होता है। यह रेटिंग रिपोर्ट कार्ड द्वारा बताया गया है। इसमें तीव्र व द्रुत सुधार की आवश्यकता है।
- संयत्र मात्र 60.70 प्रतिशत क्षमता पर ही संचालित हो रहे है।

प्रमुख सुझाव:-

- विनियामकों द्वारा निगरानी तंत्र को मजबूत बनाया जाना चाहिए साथ हीं उन्हें और अधिक शक्ति प्रदान की जानी चाहिये (सख्त सजा भी शामिल हो) ताकि अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

VISION IAS

 ©Vision IAS

- राख नीति, राख के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिये।
- क्षमता उपयोग में सुधार को सुनिश्चित करने हेतु प्रेरणा (incentive) दी जानी चाहिये।
- असक्षम पुराने संयत्रों को बंद करने हेतु तीव्र कदम उठाये जाने चाहिये।
- क्षमता संवर्धन की अनुमति के सन्दर्भ में , जल की खपत के सन्दर्भ में प्राप्त किये जा सकने योग्य लक्ष्य ही निर्धारित किये जाने चाहिये ।

घोलरंध्र (सिंकहोल) निर्माण:-

परिभाषा: सिंकहोल धरातल पर एक गड्ढा या छिद्र को कहा जाता है जो धरातल की परत के किसी कारण से ढहने/धंसने से निर्मित होते हैं। सिंकहोल धीरे-धीरे या अचानक उत्पन्न हो सकते है तथा संपूर्ण विश्व में पाये जाते हैं। सिंकहोल विशेष रुप से जिप्सम या डोलोमाइट या चूना पत्थर (limestone) युक्त चट्टानों की मृदा के द्वारा बनते हैं, जो कि उप-स्तर चैनल में उपलब्ध जल में घुल जाती है तथा जिससे सतह धंसने लगती है।

मानवीय क्रियाएँ जो कि सिंकहोल निर्माण को बढ़ाती है:-

- भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन:- जिन स्थानों पर मौसमी (स्वीट-लाइम) के फलोधान स्थित है , वहाँ से कृषि बोरवेल्स की श्रंखला के द्वारा नदियों के आसपास से भूमिगत जल का अत्यधिक तीव्र दर से दोहन किया गया|
- आवश्यक वर्षा के आभाव में धरातलीय जल पुन:चक्रण का अभाव

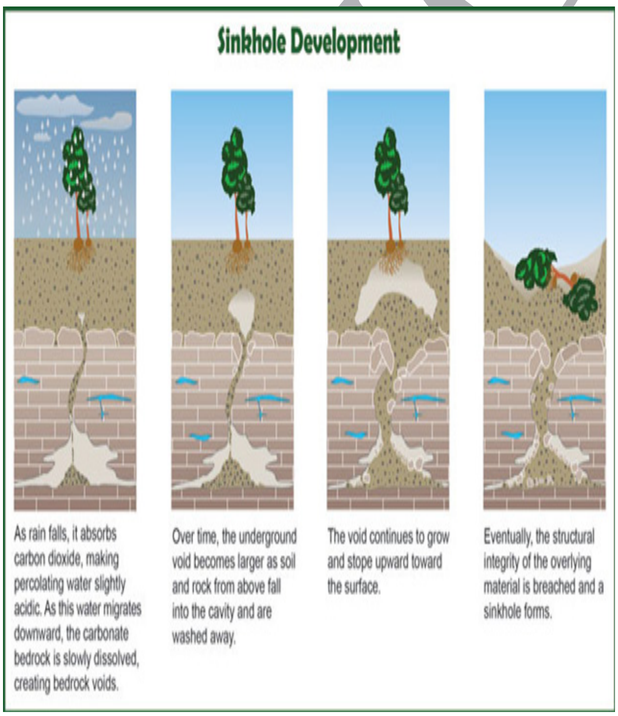

- एक विस्तृत क्षेत्र से धरातलीय जल का किसी एक बिंदु पर जमाव
- कृत्रिम रूप से सतही जल के तालाब का कृत्रिम निर्माण
- नए जल कुओं की खुदाई

प्लास्टिक कचरे से हानि:

प्लास्टिक कचरा नगरीय ठोस अपशिष्ट का एक प्रकार हैI यह भारत तथा ज्यादातर विकासशील देशों में सर्वव्यापी हो गया है। इसमें से ज्यादातर का पुन:चक्रण नहीं हो पाता हैI फलत: अधिकांश प्लास्टिक कचरे निस्तारण भूमि-भराव (लैंडफिल) में, भूमि पर कूड़े के रूप में, नदियों और समुद्र में होता है।

हाल के अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष:

- शोधकर्ताओं ने प्रथम बार यह अनुमान लगाया है कि 2010 में 192 तटीय देशों द्वारा आठ मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में फेंका गया।
- शोधकर्ताओं ने शीर्ष 20 देशों की पहचान की है जिन्होंने महासागरों में सर्वाधिक प्लास्टिक कचरे को फेंका है

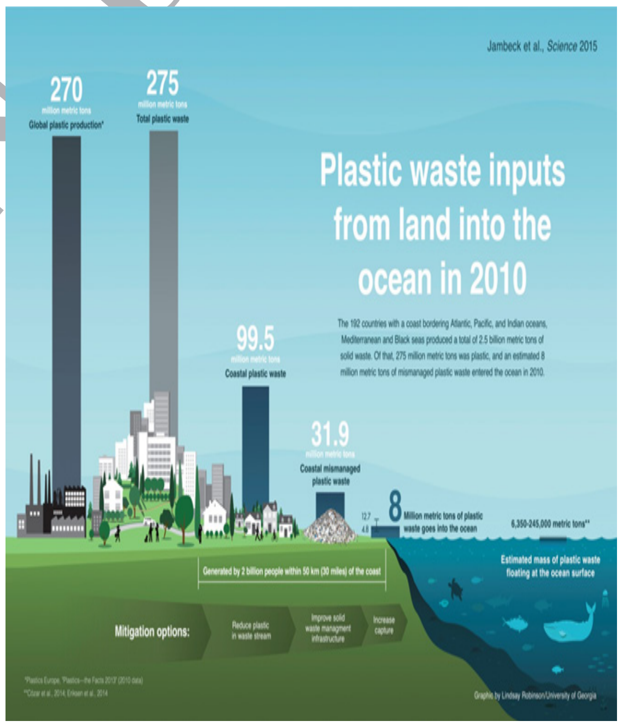

- इसमें भारत 12वें स्थान पर है, जो प्लास्टिक कचरे के निपटान में सर्वाधिक फिसड्डी प्रदर्शन करने वालों देशों में से एक है। इसने समुद्र में प्रत्येक वर्ष 0.24 मिलियन टन तक प्लास्टिक कचरे को फेंका है; जबकि यहां प्रति वर्ष कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे की मात्रा 0.6 मिलियन टन है।
- चीन के मामले में जो नंबर 1 प्रदूषक है, इसकी तटीय आबादी प्रति वर्ष 3.53 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा महासागरों में फेंकती है।

- महासागरों में ऐसे प्लास्टिक कचरे को, 2025 तक दोगुना मात्रा में फेंके जाने की उम्मीद है

निहितार्थ:

- निम्नीकृत प्लास्टिक की एक अज्ञात मात्रा कणों के रूप में खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करती है। समुद्री जीवन को प्रभावित करने के अलावा, खाद्य श्रृंखला में शामिल होने वाले प्लास्टिक का मनुष्यों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
- समुद्र में मलबे जैसे कि प्लास्टिक और कांच, का वैश्विक समुद्री जीवन पर घातक प्रभाव पड़ रहा हैI
- प्लास्टिक कचरे में मछली और पक्षियों का उलझना क्या किया जाना चाहिए?
- प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने के लिए द्विआयामी दृष्टिकोण को अपनाना होगा और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के तरीकों को प्रयोग में लाकर कुप्रबंधित कचरे की मात्रा में कटौती करनी होगी।
- पुन:चक्रण कचरे से निपटने के लिए सबसे बेहतर तरीका उपलब्ध कराता है।
- प्लास्टिक के उपयोग में कमी करना शुरू करना चाहिए, और इस संदर्भ में उठाया जाने वाला पहला कदम है- एकल उपयोग प्लास्टिक थैली पर नियंत्रण।

दवा वितरण में सिरिंज का विकल्प:-

भारतीयों विज्ञानं संस्थान के वैज्ञानिकों ने दवा वितरण में सिरिंज के विकल्प का सफलतापूर्व परीक्षण किया है। उन्होंने एक ऐसे कैप्सूल की रचना की है, जिसमें दवा भरी होती है जो कि माइक्रो शॉक तरंगों के द्वारा संचालित होती है।

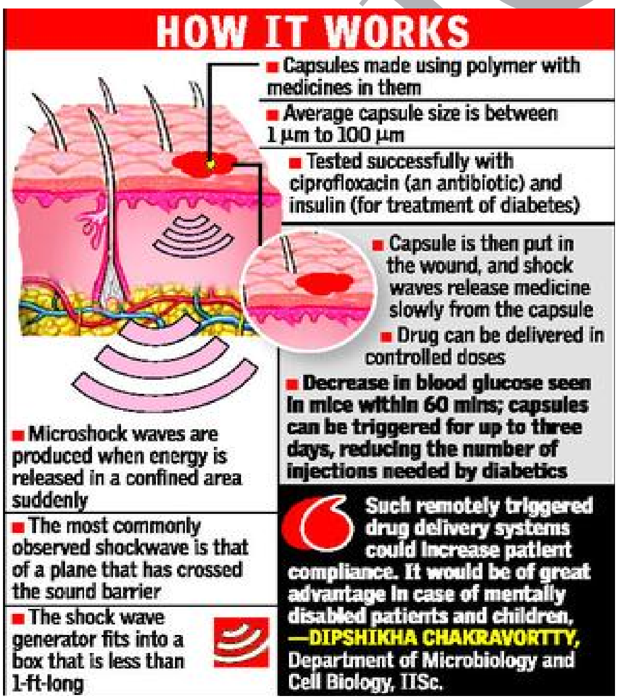

कार्यप्रणाली:

शोधकर्ताओं ने पालिमर (बहुलक) (स्पर्मिडीन-डैक्सट्रान सल्फेट या स्पर-DS) से निर्मित सूक्ष्म बायो-कैप्सूल बनाये।

कैप्सूल इतने छोटे होते है कि एक मिलिमीटर की लम्बाई में लगभग 10 बड़े कैप्सूल आ सकते है।

- कैप्सूल या तो इन्सुलिन या एन्टीबायोटिक सिप्रोफ्लोक्सासिन से भरे होते हैं।
- इन कैप्सूल को संक्रमित स्थल पर रखा जाता है ।उदाहरण के लिए मधुमेह के कारण उतपन्न बाह्य घावो पर इन्हें हाथ से चलायी जाने वाली मशीन से उत्पन्न माइक्रो-शॉक तरंगो के द्वारा जनित दबाव के माध्यम से सक्रिय किया जाता है ।

निष्कर्ष:

- निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक शॉक तरंग के द्वारा दवा का एक नियत भाग ही दिया जाता है। दवा का औसतन 20% भाग प्रत्येक तरंग के द्वारा दिया जाता है।
- इस विधि का परीक्षण चूहों पर किया गया। इसमें माइक्रों-शाक तरंगों के द्वारा, छोटे कैप्सूल की सहायता से दवा दी गयी है।

लाभ:-

- यह संक्रमित व दूषित सिरिंज के द्वारा फैलने वाले संक्रमण को रोकेगा।
- प्रत्येक वर्ष, 1.3 मिलियन लोगों के असमय मृत्यु का कारण असुरक्षित इन्जेक्शन है।
- बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले संक्रमण (जैसे-स्टेफाइलोकस जीवाणु से मधुमेह से पीडित या इसके लिए संवेदनशील व्यक्ति में पैर के संक्रमण का कारण) प्राणघातक हो सकते हैं क्योंकि ये कोशिका में प्रोटीन के चारो ओर एक बायोफिल्म (जैविक झिल्ली) बना लेते हैं। शॉक तरंगें इस बायोफिल्म को नष्ट करती हैं तथा उपचार करती हैं।

नई दिल्ली धारणीय विकास सम्मेलन:-

15वां धारणीय विकास सम्मेलन (15th Sustainable Development Summit) दिल्ली में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टिट्यूट (TERI) द्वारा आयोजित किया गया तथा इसका थीम था- धारणीय विकास का लक्ष्य व जलवायु परिवर्तन।

चर्चा के विषय:

- संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के धारणीय विकास लक्ष्य पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंडा पर चर्चा की गयी तथा सदस्यों के द्वारा वैश्विक धारणीय वृद्धि व समृद्धि को बढ़ाने हेतु विचारों का निगमन किया गया।
- पर्यावरणीय मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण तथा पर्यावरणीय अपघटन को रोकने के तरीकों पर चर्चा की गयी।

- सम्मेलन के दौरान ऊर्जा आपूर्ति के क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों के समाधान, धारणीय तथा समग्र वृद्धि पर केन्द्रित परियोजना हेतु वित्त उपलब्ध कराने तथा धारणीय विकास के संदर्भ में युवाओं को शिक्षित करने जैसे मुद्दे भी उठाये गये।

सबके लिए - धारणीय ऊर्जा (SE4ALL):

- सबके लिए धारणीय ऊर्जा (SE4ALL-Sustainable Energy for All) एक वैश्विक पहल है जिसके अध्यक्ष संयुक्त तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान-की-मून तथा विश्व-बैंक के अध्यक्ष जिम-किम हैं।
- इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक विद्युत की सार्वभौमिक पहुँच तथा खाने पकाने हेतु आधुनिक ईंधन उपलब्ध कराना, उर्जा क्षमता में सुधार की दर को दुगना करना तथा समग्र वैश्विक ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से को दुगुना करना है।
- 2015 के उपरांत के धारणीय विकास लक्ष्य हेतु वर्तमान प्रस्ताव में सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय व धारणीय ऊर्जा की सुनिश्चित पहुँच शामिल है।

ग्लोबल कैल्कुलेटर या वैश्विक गणक व इसके उपयोग

- लगभग 20 राष्ट्र, जिसमें भारत भी शामिल है, एक वैश्विक गणक (Global calculator) अभिनियोजित करेंगे जो कि लन्दन व बीजिंग में प्रारंभ किये गये कैल्कुलेटर के समान अपने भू- क्षेत्र में जलवायु प्रभाव की गणना करेगा।
- यह एक ऐसा मॉडल है, जो धरती पर उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर प्रति व्यक्ति आवश्यकता के आधार पर(फिर चाहे वो प्रति किलोमीटर दूरी तय करने के लिये आवश्यक संसाधन हो या फिर प्रतिदिन की आहार आवश्यकतायें) आवश्यक उर्जा और भूमि संसाधनों को आंकलित करता है।
- यह नवीनतम इन्टरगवर्नमेन्टल पैनल आन क्लाइमेट चेंज (IPCC) के साथ सम्बद्ध होकर जलवायु प्रभाव के विभिन्न आयामों की व्याख्या भी करता है।

ग्लोबल कैल्कुलेटर की रचना के उद्देश्य -

- निम्न कार्बन युक्त विश्व की संकल्पना के विकास मे सहायक।
- उद्यमों की क्षमता बढ़ेगी तथा अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ा सकेंगे तथा अपने उत्सर्जन को घटाएंगे।
- NGOs इसका उपयोग अपनी नीतियों, योजनाओं और अभियान को सूचित करने हेतु कर सकते है।
- सरकार इस साधन के द्वारा मानकों का उपयोग यह देखने में कर सकती हैं कि उसकी योजनाएँ 2°C के मानक के अनुरूप है।

वन आवरण (Forest-cover) में वृद्धि:

भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा संचालित एक अध्ययन के अन्तर्गत भारत में 5,871 वर्ग किमी. वन आवरण में वृद्धि को बताया गया है। यहाँ 31 वर्ग किमी. के "अति सघन" वन आवरण की वृद्धि हुई है। तथा "मध्यम संघन" वन में कमी आयी है जबकि "खुले वन" बढ़े है। इस प्रकार कुल मिलाकर वृद्धि 5,871 वर्ग किमी. है। प. बंगाल में वन आवरण 3,810 वर्ग किमी. बढ़ गया है, तत्पश्चात् ओडिशा में वनावरण 1,444 वर्ग किमी. तथा केरल में यह लगभग 622 वर्ग किमी. तक बढ़ गया है।

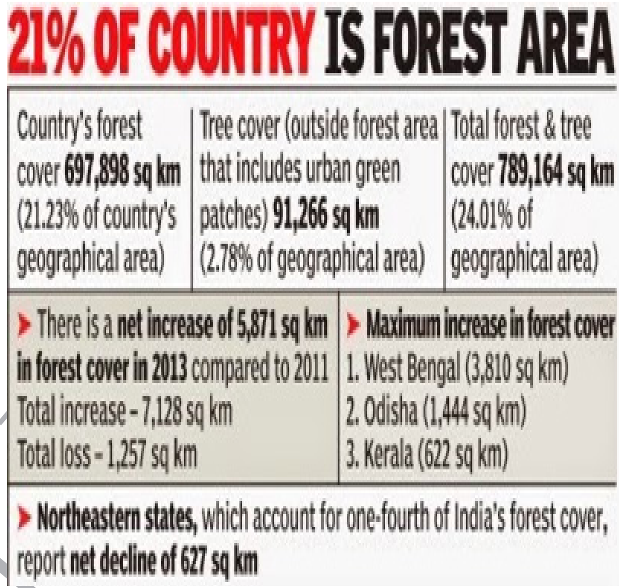

21% OF COUNTRY IS FOREST AREA

Country's forest cover **697,898 sq km** (21.23% of country's geographical area)	Tree cover (outside forest area that includes urban green patches) **91,266 sq km** (2.78% of geographical area)	Total forest & tree cover **789,164 sq km** (24.01% of geographical area)

➤ There is a **net increase of 5,871 sq km in forest cover in 2013** compared to 2011 Total increase - 7,128 sq km Total loss - 1,257 sq km	➤ **Maximum increase in forest cover** 1. West Bengal (3,810 sq km) 2. Odisha (1,444 sq km) 3. Kerala (622 sq km)

➤ **Northeastern states,** which account for one-fourth of India's forest cover, report **net decline of 627 sq km**

वन आवरण में वृद्धि के कारण

- स्थानीय लोगों की भागीदारी
- गुल्म वनों (Coppice) की वृद्धि (छोटे पेड़ों की सघन वृद्धि)
- जंगलों के मध्य वनीकरण (Afforestation)
- चाय के बागानों में वाणिज्यिक वनारोपण व छायादार पेड़ों की वृद्धि।

उत्तर-पूर्व में ह्रास

- उत्तर पूर्व के राज्यों जैसे नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा व मणिपुर जिनके वनावरण राज्य के क्षेत्रफल के 75% से अधिक भाग पर है, उनके वनावरण में गिरावट आयी है।
- इसका मुख्य कारण जैविक दबाव (biotik pressure) व स्थानांतरित कृषि है।

भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) (FSI):

- यह एक प्रधान राष्ट्रीय संगठन है जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अन्तर्गत, वन संसाधन मूल्यांकन का कार्य करता है।
- इसके अतिरिक्त यह वन तथा वृक्ष आवरण का मूल्यांकन भी करता है। यह प्रशिक्षण, शोध तथा विस्तार की संवाएँ भी उपलब्ध कराता है।

भारतीय वन सर्वेक्षण के उद्देश्य

- द्विवार्षिक वन रिपोर्ट तैयार करना, देश में नवीनतम वनावरण

मूल्यांकन उपलब्ध कराना तथा उनमें परिवर्तन की निगरानी रखना।

- थिमेटिक (thematic-maps) मानचित्र तैयार करना।
- संग्रहण, संकलन, तथा वन संसाधनों पर स्थानिक डाटाबेस के प्रसार के लिए एक नोडल एजेंसी (nodal agency) है।
- तकनीकों के अनुप्रयोग में वानिकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण का संचालन करना।
- भारतीय वन सर्वेक्षण में शोध व विकास से सम्बंधित आधारिक संरचना (infrastructure) को दृढ करना।
- वन आवरण मूल्यांकन।
- जंगलों के बाहर (ग्रामीण व शहरी वर्ग में) वन क्षेत्रों व वनों को सूचीबद्ध करना।

त्रि जनकीय संतान (Three Parent Babies):

- ब्रिटेन "त्रि-जनक" IVF तकनीक को अनुमति देने वाला प्रथम देश बन गया है। डाक्टरों के अनुसार यह तकनीक कुछ आनुवांशिक असाध्य रोगों से बचाव करेगी।
- यह उपचार "त्रि-जनक" IVF या "त्रि-जनक" कृत्रिम गर्भा-धान कहलाता है क्योंकि आनुवांशिक रुप से रुपान्तरित भ्रूणों के द्वारा उत्पन्न संतान में डी. एन. ए. माता, पिता तथा एक स्त्री दाता का होता है।

माइट्रोकान्ड्रियल दान कैसे कार्य करता है ?

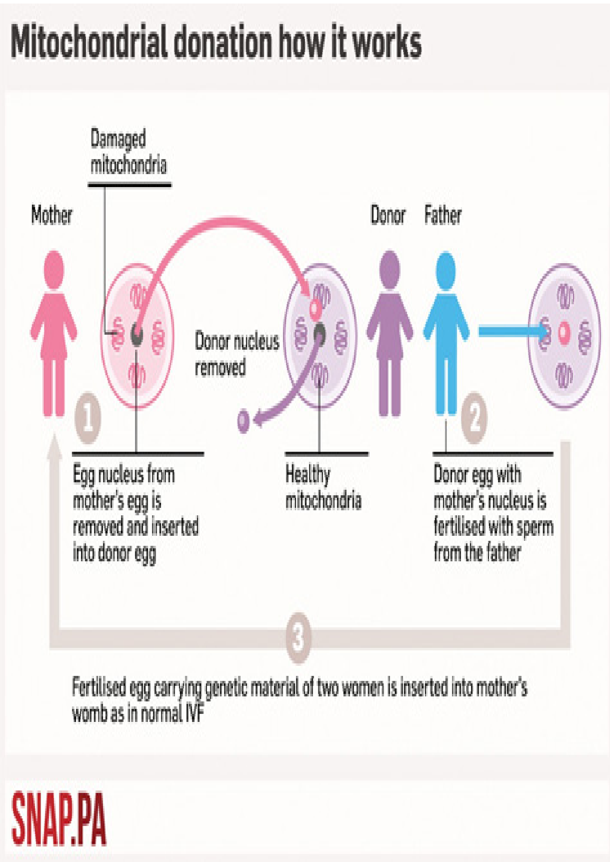

चिंता के विषय:

- चर्च ने इस तकनीक का इस आधार पर विरोध किया है कि यह तकनीक केन्द्रीय डी. एन. ए. के साथ छेड़छाड़ द्वारा दो स्त्रियों तथा एक पुरुष के द्वारा त्रि-जनक संतान की उत्पत्ति होती है, जो कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है।
- यह रचनात्मक संतान के सृजन की ओर कदम है। कुछ ने चिंता व्यक्त की है कि इस तकनीक में निषेचन क्रिया के द्वारा आनुवांशिक कारक जैसे घातक हृदय रोग, लिवर फेलियर (यकृत विधात), मस्तिष्क विकार, अंधापन तथा पेशीय विकार भी उत्पन्न हो सकते है।

माइट्रोकान्ड्रिया क्या है ?

माइट्रोकान्ड्रिया सूक्ष्म कोशिकांग है जो शरीर में लगभग प्रत्येक कोशिका में पायी जाती है।

- इन्हें "कोशिका का उर्जा गृह" कहा जाता है।
- ये 90% कोशिकीय ऊर्जा के लिए उत्तरदायी होते हैं।
- यह शरीर में जीवतंता बनाये रखने व वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं।
- ये एन्जाइमों के सूक्ष्म पैकेज से संगठित होते हैं, जो पोषकों को कोशिकीय उर्जा में बदलते हैं। माइट्रोकान्ड्रिया के विफल होने के कारण कोशिका की मृत्यु हो जाती है। जब अत्यधिक अंग कोशिकाएँ नष्ट होती है, तब अंग नष्ट हो जाता है।

माइट्रोकान्ड्रियल रोग क्या है?

- माइट्रोकान्ड्रियल रोग एक दीर्घकालिक, आनुवांशिक विकार है जो कि कोशिका के माइट्रोकान्ड्रिया के, कोशिका या अंग कार्य के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न न कर सकने के कारण उत्पन्न होता है।
- कभी -कभी (लगभग 15% बार) माइट्रोकाड्रीय डी. एन. ए. कोशिकीय केन्द्र में पाये जाने वाले डी. एन. ए. से अलग होता है तथा यह मानवीय गुणों जैसे बालों और आँखों के रंग बाह्म बनावट या व्यक्तिगत विशेषताओं को प्रभावित नहीं करते है।
- माइट्रोकान्ड्रियल डी. एन. ए.: यह कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले डी. एन. ए. से अलग होता है तथा उसकी तरह मानवीय विशेषताओं जैसे बाल, आँखों के रंग, उपस्थिति, शारीरिक विशेषताएँ आदि को प्रभावित नहीं करता हैI

इन्टरनेट. ओ. आर. जी. /Internet.org

इन्टरनेट. ओ. आर. जी. सामाजिक नेटवर्किंग सेवा कम्पनी फेसबुक तथा सात मोबाइल फोन कम्पनियों (सैमसंग, इरिक्सन, मीडियाटेक, माइक्रोसोफट, ओपेरा सॉफ्टवेर, क्वालकाम तथा रिलायन्स) के बीच एक साझेदारी है जिसका उद्देश्य इंटरनेट के सिद्धांतों के अंतर्गत सभी तक वहनीय इंटरनेट पंहुच को उपलब्ध कराना हैI

- फेसबुक ने भारत में इन्टरनेट. ओ. आर. जी. को प्रारंभ करने

हेतु रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ एक गठबन्धन बनाया है।

- भारत अब इन्टरनेट.ओ. आर. जी. का छठा केंद्र बन गया है।
- यह सेवा जाम्बिया, तन्जानिया, केन्या, कोलम्बिया तथा घाना में पहले से ही प्रारम्भ की जा चुकी है।

आलोचना

- इन्टरनेट. ओ. आर. जी. सेवा, नेट तटस्थता की अधिकांश सीमाओं का उल्लंधन करती है जैसे यह इन्टरनेट पर यह बहुत ही सीमित सेवायें उपलब्ध कराती है।
- उपयोगकर्ता स्वेच्छा से वेबसाइट का चयन नहीं कर सकता।
- इन्टरनेट अब तक मुक्त अवसर प्रदान करने वाला मंच नहीं बन पाया है , जहाँ सबके लिए समान सम्भावनाये होती हैं
- लम्बे समय में इन्टरनेट. ओ. आर. जी. बहुसंख्यक जनसँख्या को लाभ पहुचाने की जगह कुछ को विशाल प्रतिस्पर्धी लाभ पहुंचा सकता है।

नेट न्यूट्रेलिटी/तटस्थता क्या है ? यह वह सिद्धांत है जिसके अनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदाता, इन्टरनेट पर मौजूद सभी प्रकार की सामग्री और इसके (इन्टरनेट) माध्यम से प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की सेवाओं का उपयोग करने का निर्बाध अवसर प्रदान करते हैं। अर्थात सेवा प्रदाता के द्वारा सामग्री और सुविधा किन श्रोतों और माध्यमों के द्वारा प्रदान की जा रही है इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है। फलस्वरूप किसी भी सामग्री या सेवा के लिए अतिरिक्त राशि नहीं वसूली जाती।

सुपीरियर वाटर फिल्टर:

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बैंगलुर द्वारा विकसित एक ऐसी झिल्ली या मैम्ब्रेन जो नैनोस्केल स्तर पर बाहरी वस्तुओं को छानकर तथा सामान्य रूप से पाये जाने वाले जीवाणु ई.कोलाई को नष्ट करके पीने हेतु सुरक्षित पानी उपलब्ध कराती है।

यह झिल्ली दो पालिमर (बहुलकों) के संयोग से बनती है-

पाली बाइलिडीन फलोराइड (PVDF) +

पाली मिथाइल मेथाक्राइलेट (PMMA)

इस झिल्ली के लगभग 1 मिमी. मोटाई के होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म छिद्रों का एक संयोजन बन जाता है PMMA के हटाये जाने के बाद, छिद्र का औसत आकार 50nm होता हैI

- यदि इसे RO के झिल्ली के साथ प्रयोग के लिए लगायी जाये तो उसकी क्षमता बढ़ा सकता है।
- यह नैनो छिद्र झिल्ली, जल को फिल्टर कर अर्द्ध शुद्ध जल को RO झिल्ली तक भेजती हैI इसके फलस्वरूप RO झिल्ली को शुद्ध जल बनाने के लिये कम दाब की आवश्यकता पड़ती है।
- नैनो आकार की छिद्र संरचना होने के कारण यह जीवाणुओं को इन छिद्रों से होकर गुजरने से रोकती है क्योंकि मुख्यत: ये जीवाणु माइक्रोन आकार के होते हैI हालांकि ये जीवाणु एक बायोफिल्म (जैवझिल्ली) का निर्माण कर सकते है जिसके परिणामस्वरूप कुछ समय के उपरान्त फिल्टर की क्षमता घटने लगती है।
- क्षमता बढाने व जीवाणुओं को नष्ट करने के लिये PVDF-PMMA मिश्रण में सिल्वर, टाइटेनियम डाइआक्साइड तथा कार्बन नैनोट्यूब्स मिलाये जाते हैI ये तीन नैनो कण दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते है -

पहला - नैनो कण अधिक तीव्र दर पर PVDF क्रिस्टलीकरण को बढाता है तथा तीव्र क्रिस्टलीकरण के कारण दोषयुक्त क्रिस्टल बनते है।

दूसरा - सिल्वर, टाइटेनियम डाइआक्साइड तथा कार्बन नैनोट्यूब्स जो झिल्ली में अन्त:स्थापित रहते है, ई.कोलाई को नष्ट करने में सक्षम होते हैI सिल्वर जल में अशुद्धिचूषण (लीचिंग)का कार्य करता है।इस प्रक्रिया में निकले आयन कोशिकीय संरचना में इसको चारो तरफ से घेरने वाली प्रोटीन संरचना को तोड़कर प्रवेश कर जाते हैं और डीएनए की प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया को रोकते है ।

टाइटेनियम डाइआक्साइड भी जीवाणु को नष्ट करता हैI हालांकि इसका जीवाणुओं को नष्ट करने का गुण UV प्रकाश में सर्वोत्तम होता है, किन्तु वर्तमान अध्ययन में UV प्रकाश का उपयोग नही किया जाता है।

- कार्बन नैनोट्यूब्स प्रत्यक्ष भौतिक सम्पर्क के द्वारा जीवाणुओं को नष्ट करता है - यहाँ नैनोट्यूब्स का खुरदरापन ही जीवाणुओं को नष्ट करता है।

टी बी उपचार:

- चेन्नई आधारित नेशनल इंस्टीट्यूट फार रिसर्च इन ट्यूबर-क्यूलासिस (NIRT) मल्टीड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्यूलासिस (MTB) के तीव्रता से बढते मामलों के लिये नये नैदानिक उपकरण तथा उपचार विकसित करेगा।
- यह TB बैक्टीरियम के सम्पूर्ण जीनोम अनुक्रमण के द्वारा होगा जो समुदाय में ड्रग रेजिस्टेंट (ड्रग प्रतिरोधकता) के स्वरूप (pattern) को देखने-समझने में सहायक होगा।
- कई रोगी जिन्हें MDR-TB और XDR–TB (Extensively Urug-Resistant Tuberculosis-TB) है वे सैकेन्ड लाइन ड्रग्स के लिये प्रतिरोधी होते है।
- MDR-TB (Multi Drug Resistant) उस TB को कहा गया जब इसके कारक जीवाणु TB की दो सर्वाधिक प्रभावी दवाओं आइसोनाईमाजिद और रिफम्पिसिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाते है।
- यह नवीन तकनीक रोगी में उत्परिवर्तन को पहचानने में सहायक

होगी तथा उसके अनुसार उसके उपचार को निर्धारित किया जा सकेगा।

- XDR–TB (Extensively drug resistant-TB) को कम से कम रिफाम्पिसिन और आइसोनाइआजिड के प्रति स्ट्रेन प्रतिरोधक के रूप में परिभाषित किया जाता हैI इसके साथ यह फलोरोक्यूनालान्स में से एक और सैकण्ड लाइन इन्जेक्टेबल TB ड्रग्स एमिकासिन, कैनामायसिन या कैप्रिओमायसिन में कम से कम एक के प्रति प्रतिरोधक है।
- MDR-TB तथा XDR–TB को निर्धारित मानक, छ: माह के TB उपचार व "फर्स्ट लाइन" एन्टी TB ड्रग्स से सही नहीं किया जा सकता है। इसके उपचार के लिए दो वर्ष या अधिक समय लग सकता है तथा इसके साथ उपचार हेतु दूसरी अन्य दवायें जो कि कम प्रभावी, अधिक घातक व अधिक मंहगी होती हैं, की आवश्यकता भी पड़ती है। विश्वभर में मात्र कुछ हजार MDR-TB और XDR-TB के रोगी प्रत्येक वर्ष उपचारित किये जाते हैं।

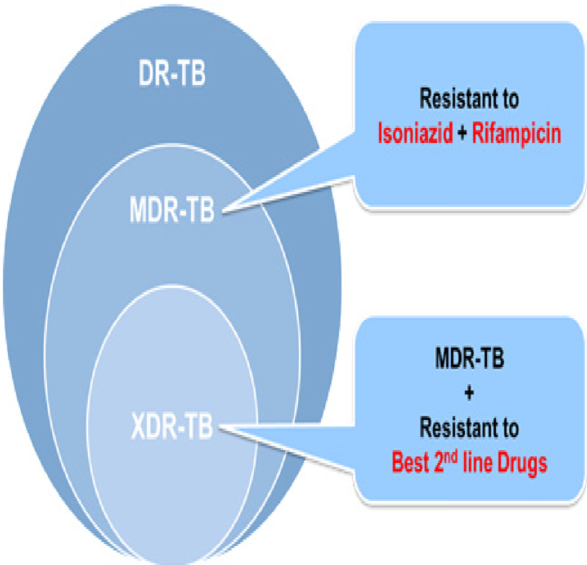

स्पैक्ट्रम आवंटन (Spectrum allocation):

स्पैक्ट्रम का अर्थ विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति के बैण्ड से है जिन्हें रेडियों तरंगें भी कहा जाता हैI विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परास अत्यधिक निम्न आवृत्ति की गामा किरणों तक होती है। इसमें रेडियों तरंगें शामिल होती है जिनका उपयोग सूचना एवं प्रसार हेतु किया जाता है जिसमें उपग्रह सूचना, दृश्य प्रकाश क्षेत्र, अवरक्त (infrared), पराबैगनी किरणे (UV-rays), X- किरणें तथा गामा किरणें भी शामिल है।

- रेडियो तरंगें सूचना व प्रसार के उपयोग में आती हैI उदाहरण के लिये FM प्रसारण में 88 MHz से 108 MHz तक की आवृति का उपयोग, उपग्रह सूचना में 4000 – 6000 MHz तथा 11000 – 14000 MHz तक की आवृति का उपयोग और इसी तरह आगे उपयोग किया जाता हैI सामान्यत: मोबाइल सेवा प्रदाता भी 900 –1800MHz के परिसर (range) की रेडियों तरंगों का उपयोग करते है।
- एक ही क्षेत्र में दो उपयोगकर्ता (operator) एक साथ, एक ही समय में एक ही आवृति उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने से पर दोनों के बीच व्यवधान आयेगा व दोनों सेवायें प्रभावित होंगी।
- समान आवृत्ति एक दूसरे से दूर स्थित दो भिन्न स्थानों पर प्रयुक्त हो सकती हैI यह स्पेस डायवर्सिटी (विविधता) कहलाता है।

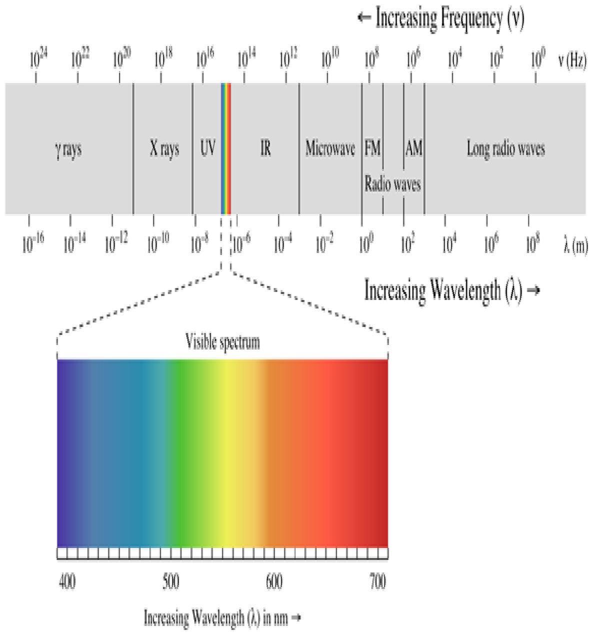

- वाइस–चैनलों की संख्या जिस आवृत्ति के स्पेक्ट्रम को आवंटित किया गया है उसकी बैंडविड्थ पर निर्भर करती है।
- बैडविड्थ जितना अधिक होगा, चैनलों की संख्या उतनी अधिक होगी।
- रेडियो स्पैक्ट्रम एक सीमित संसाधन है तथा विभिन्न सेवाओं के लिये विभिन्न आवृतियाँ आवंटित की गयी है।

राष्ट्रीय विकृमीकरण पहल (National Deworming Initiative):

उद्देश्य :

1-19 वर्षों के 24 करोड़ से अधिक बच्चों को आँत संबधी कृमियों से सुरक्षित करना।

- परजैविक अंत्रीय कृमि संक्रमण (मृदा संक्रामित कृमि)
- मृदा से संचारित कृमि तीन प्रकार के होते है, जो मनुष्य में संक्रमण उत्पन्न करते है - गोल कृमि (round worm) फीताकृमि (whip worm) तथा हुकवर्म।
- परजीवी कृमि जो छोटे बच्चों में होते हैं, पोषण से संबंधी विकार

उत्पन्न करते हैं। ये गंभीर जटिलताएं उत्पन्न करती हैं, जिनके परिणामस्वरूप एनिमियां (रक्ताल्पता) तथा माइक्रोन्यूट्रिएन्ट्स संबंधी कमियाँ आदि हो जाती हैं।

- अत्याधिक तीव्रता वाले संक्रमण शारीरिक वृद्धि व संज्ञानात्मक विकास को हानि पहुचाते हैं।
- यह बच्चों के खराब स्कूली प्रदर्शन, ज्ञानात्मक विकास मे कमी तथा अनुपस्थित रहने इत्यादि का कारण होता है।

भारत मे प्रसार

WHO के अनुमान के अनुसार लगभग 24 करोड़ बच्चे पर आन्त्रीय परजीवी कृमि संक्रमण infection)से प्रभावित होने का संकट मंडरा रहा है।

उपचार : एल्बेण्डाजाल टेबलेट्स

कार्यक्रम क्रियान्वयन:

- प्रथम चरण में ग्यारह राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नागर व दादर हवेली, हरियाणा कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तथा त्रिपुरा के लगभग 14 करोड़ बच्चे शामिल होंगे तथा लगभग 10 करोड़ दूसरे चरण में लक्षित होगें।
- नेशनल डीवर्मिंग दिवस, 10 फरवरी 2015 को एल्बेण्डाजाल टेबलेट्स लक्षित बच्चों को दी गयी।
- सभी सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूल तथा आंगनवाड़ी केन्द्र इस हेतु महत्त्वपूर्ण केंद्र होंगे

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

इस पहल के अंतर्गत कृमियों को नष्ट करने हेतु लोगों को उन्नत स्वास्थ्य शिक्षा, आरोग्य शिक्षा प्रदान किये जाने तथा स्वच्छता व पीने के लिये सुरक्षित जल के प्रयोग के सम्बन्ध में कदम उठाये जाने की आवयश्यकता है |

15,000 MW ग्रिड संयोजित सौर परियोजना (15000MW grid connected solar project):

केन्द्रिय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 15,000 मेगावाट ग्रिड संयोजित सौर फोटो वोल्टिक पावर प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वन की स्वीकृति दे दी है।

कार्यान्वित ऐजेंसियां

यह योजना NTPC तथा NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटिड द्वारा क्रियान्वित होगी।

लाभ :

मिशन के तहत प्रोजेक्ट के पूर्ण होने से सौर ऊर्जा को उत्पन्न करने की लागत में कमी की प्रक्रिया बढ़ेगी।

- यह कैरोसिन व डीजल के उपयोग को भी कम करने में सहायक होगी।
- बेहतर पर्यावरण।
- भारतीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

आर. वी. समुद्ररत्नाकर

यह क्या है:

- यह GSI (Geological Survey of India) का स्टेट आफ द आर्ट (state-of-the-art) रिसर्च शिप है अर्थात् शोध हेतु जहाज है।
- यह पूर्वीतट व कन्याकुमारी के समुद्री तट के नीचे गैस हाईड्रेटों की खोज करेगा।
- यह जहाज अपतटीय क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय तथा भूरासायनिक अन्वेषणों के लिये आवश्यक उच्चस्तरीय व तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों से युक्त है।
- आर.वी. समुद्ररत्नाकर समुद्र तट मैपिंग, गहरे जल में खनिज खोज तथा भूवैज्ञानिक खोजों जैसे कि बहुप्रणाली सिस्मिक (seismic), गुरूत्वीय सर्वेक्षण, चुम्वकीय सर्वेक्षण, भारत के EEZ(Exclusive Economic Zone) मे गहरे समुंद्र की इमेजिंग के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय जल सीमा क्षेत्र की इमेजिंग जैसे कार्यों आदि हेतु उपयुक्त है।

आर.वी. समुद्ररत्नाकर गैस हाइड्रेट्स कैसे खोजता है ?

यह समुद्र तल की गहराई में उच्च ऊर्जा की ध्वनि तरंगें भेजता है तथा समुद्र की सतह पर पड़ने वाली सैकड़ों हाइड्रोफोन्स (जो प्रतिध्वनि को पहचानती है।) से प्रतिध्वनित होने वाली तरंगों की रिकार्डिंग करती है।

गैस हाइड्रेट्स अन्वेषण के लाभ:

- भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार:-गैस हाइड्रेट्स के विस्तृत भंडारों का उपयोग औद्योगिक और घरेलू ऊर्जा स्त्रोंतों के रूप में किया जा सकता है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार यदि भारतीय महासागरों से उपलब्ध गैस हाइड्रेट्स का 10 प्रतिशत भी निकाला जाये तो वह सौ वर्षों तक देश की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है।

गैस हाइड्रेट्स:

प्राकृतिक गैस हाइड्रेट्स ठोस होते हैं जोकि जल और एक या अधिक हाइड्रोकार्बन (मीथेन, ईथेन, प्रोपेन आदि) अथवा गैर हाईड्रोकार्बन गैसों के संगठन से बनते हैं I भौतिक रूप से गैस हाइड्रेट्स ठोस बर्फ या शुष्क बर्फ के समान प्रतीत होते हैंI गैस हाइड्रेट्स में गैस के परमाणु एक क्रिस्टलीय संरचना, जो जल के अणुओं से बनी होती है, में बंधे होते है।

अनुप्रयोग:

VISION IAS

अवसादी गैस हाइड्रेट्स में प्राकृतिक गैस की मात्रा पारंपरिक प्राकृतिक गैस के स्त्रोंतो की तुलना में बहुत अधिक होती है अत: भविष्य में इन गैस हाइड्रेट्स से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकेगी।

समस्यायें व आशंकाएं:

- अधिकांश हाइड्रेट्स संचय हेतु, मुख्यत: समुद्री शेल्फ हाईड्रेट्स के लिए उत्पादन के आर्थिक साधनों का अभावI
- महाद्वीपीय तलछट अवसादों में गैस हाइड्रेट्स अस्थिर हो सकते हैं I यह तलछट के गर्म जल या प्रेशर ड्राप का परिणाम हो सकता है।
- मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है I वास्तव में मीथेन CO_2 की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक प्रभावी है यदि मीथेन इन हाइड्रेट्स से निकलती है तो यह वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग)में योगदान देगी ।
- यह ग्लोबल वार्मिंग आगे समुद्र तल का तापमान बढ़ायेगी जिसके कारण ये गैस हाइड्रेट्स अस्थायी हो जायेंगें तथा विघटित हो जायेंगें। यह गैस हाईड्रेट्स विघटन भविष्य मे आगे गर्मी का कारण बनेगा।

प्राप्ति स्थान :

- समुद्री तलछट अवसादों मे।
- गहरी झीलों के अवसाद में, जैसे बैकाल झील ।
- ध्रुवीय हिमाच्छादित क्षेत्रों मे

मृदा स्वास्थ कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)

प्रावधान

- इस योजना के अन्तर्गत किसानों को मृदा स्वास्थ कार्ड दिये जायेंगे जो कि मृदा के बारे में तथा विभिन्न क्षेत्रों में उगने वाली फसलों के प्रकार तथा उपयोग में आने वाले उर्वरक की मात्रा व प्रकार के बारे में सूचना प्रदान करेगा।
- देशभर के 100 मोबाइल टैस्टिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना की जायेगी।
- किसानों को मृदा स्वास्थ कार्ड जारी करने के लिए स्थापित की जाने वाली मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिये केंद्र सरकार राज्य सरकारों की सहायता करेगी।

उद्देश्य:

उर्वरकों के असंतुलित उपयोग की जाँच व क्षेत्र उत्पादक में सुधार।

लक्ष्य :

अगले तीन वर्षों में 14 करोड़ मृदा स्वास्थ कार्ड जारी करना।

पृष्ठ भूमि :

- इस महत्वकाँक्षी योजना की घोषणा पिछले वर्ष जुलाई में बजट के समय की गयी।
- बजट में कार्डस जारी करने हेतु 100 करोड़ रू आवंटित किये गये और देशभर में 100 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिये 56 करोड़ रू की अतिरिक्त राशि आंवटित की गयी।

मृदा स्वास्थ कार्ड की आवश्यकता

- हमारी जनसंख्या का अधिकांश भाग अपने जीवन यापन के लिये कृषि यन्त्र क्रियाओं पर निर्भर है।
- मृदा की गुणवत्ता में गिरावट चिंता का विषय है ।इस समस्या के कारण कृषि संसाधनों का सर्वोत्तICARम प्रयोग नहीं हो पा रहा है ।
- देश के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान उर्वरकों के असंतुलित उपयोग, कार्बनिक पदार्थों के कम प्रयोग तथा क्षरित /सूक्ष्म एवं द्वितीय पोषकों की, दुबारा पूर्ति न होने के परिणामस्वरूप मृदा में पोषक तत्वों की कमी व मृदा उत्पादकता का ह्रास देखा गया है।
- नियमित अंतराल पर मृदा की गुणवत्ता जाँचने की आवश्यकता है ताकि किसान आवश्यक पोषकों का ही उपयोग करें तथा मृदा में पहले से ही उपस्थित पोषकों का लाभ उठा सकें।

मृदा परीक्षक:

भोपाल अवस्थित भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अन्तर्गत आने वाली एक शोध संस्थान है, ने मृदा परीक्षक को विकसित किया हैI यह एक मिनी लैब है जो मृदा स्वास्थ की पहचान करेगी।

लक्षण/गुण

- इसमें एक मृदा परीक्षण किट होता है, जिसके द्वारा कृषक को घर बैठे मृदा-परीक्षण सेवा प्रदान की जाती है।
- मृदा परीक्षक सभी प्रकार के मृदा मापदण्डों जैसे-मृदा pH, जैविक कार्बन, उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक तथ सूक्ष्म पोषक जैसे जिंक , बोरॉन, लोहा आदि की पहचान करता है।
- इसमें फसल और मृदा के अनुसार विशिष्ट उर्वरकों के उपयोग की जानकारी मोबाइल पर मैसेज के द्वारा किसान को सीधे दी जाती है।
- यह मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुकूल है।
- इसे युवा शिक्षित कृषकों/ग्रामीण युवाओं (11-12वीं पास) के द्वारा थोड़े से प्रशिक्षण से ही संचालित किया जा सकता है।

यान्त्रीकृत क्षेत्र प्रतिमान (Model Mechanized farm)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR) ने चयनित 100 केन्द्रों पर मॉडल मैकेनाइज्ड फ़ार्म की इकाईयों की स्थापना की योजना बनाई है।

VISION IAS

स्थान: देशभर के कृषि विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों के विशेष रुप से परिधीय ग्रामों में कृषि इकाईयाँ स्थापित की जायेगी।

लक्ष्य: कृषकों को कृषि में नवीनतम तकनीकों को समझने तथा उपयोग करने के लाभों के लिए प्रोत्साहित करना।

यान्त्रीकृत क्षेत्र हेतु आवश्यकता

- क्षेत्र: 40 एकड़
- बीज बोने से लेकर, खरपतवार की सफाई तथा फसल उत्पादन तक के लिए यह एक पूर्ण यंत्रीकृत स्थान होगा।

मैकेनाइज्ड फ़ार्म से कृषकों को लाभ:-

कृषकों को विभिन्न यान्त्रीकरण तकनीकों को अपनाने हेतु तकनीकों को समझने के लिए तथा तकनीकों को कृषि क्षेत्रों में उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना होगा।

ग्रामीणों को स्वयं सेवा समूहों की तर्ज पर समूह बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए तथा ये समूह मशीनरी (यन्त्र समूह) के उपयोग के लिए उत्तरदायी होगें।

ये समूह मशीनों को उचित दामों पर खरीद सकते हैं तथा उससे उत्पन्न होने वाले लाभ का उपयोग मशीनों की देखरेख, मरम्मत व रख-रखाव हेतु किया जा सकता है।

भारतीय कृषि में मशीनीकरण की आवश्कता:

- भारतीय कृषि की जीवन क्षमता व निर्यात प्रतिस्पर्धा, श्रमिकों की कमी तथा कृषि संबंधी व्ययों के कारण गंभीर रुप से खतरे में है।
- कृषि में उत्पादन लागत तेजी से बढ़ता जा रहा है जबकि कृषि लाभों में कमी आती जा रही है।
- इसलिए आवश्यकता है कि मानव व पशुओं के कार्य को मशीनो से प्रतिस्थापित किया जाए, जिससे क्षमता व उत्पादकता बढ़े तथा एक वर्ष में एक से अधिक फसलों की खेती के लिए समय की बचत हो।

खेतों के मशीनीकरण के कुछ मुख्य लाभ:

- फसल की तीव्रता व उपज को बढ़ाना जिससे किसान को बेहतर लाभ मिले।
- मौसमी जोखिम तथा श्रम की अनुपलब्धता के जोखिम में कमी करना ताकि उपज के बाद हानि को न्यूनतम किया जा सके।
- किसान के लिए उन्नत कार्यकारी परिस्थितियाँ तथा सुरक्षा को बेहतर बनाना।
- गैर-कृषि भूमि को, कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करना तथा इस हेतु जुताई की नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना।
- भार वहन करने वाले पशुओं की चाराभूमि के रुप में प्रयुक्त स्थानांतरित भूमि को खाद्यान्न उत्पादन की ओर ले जाना।
- फार्म मशीनीकरण, फार्म मशीनों के रख-रखाव से संबंधी रोजगार के विभिन्न आयाम उपलब्ध कराता है। इससे ग्रामीण रोजगार में वृद्धि होती है।

मुद्दे व चुनौतियाँ - हालांकि कृषि उत्पादन में भारत सर्वोच्च देशों में से एक है। लेकिन फिर भी फार्म यन्त्रीकरण के सन्दर्भ में यह विश्व के औसत से कम है। यद्यपि इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं, जैसे कि-

- अत्यधिक विविध खेतों का फार्म आकार व मृदा प्रकार:- इसके कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में खेतों के अनुकूल मशीन तथा उपकरणों की आवश्यकता है।
- विषम व मौसमी उपयोग के परिणामस्वरुप निम्न जीवन स्तर: इसके लिए उपयोग को बढ़ाने के नये तरीकों जैसे सिंचाई सुविधा की आवश्यकता हैI यदि पर्याप्त सिंचाई की जाए तो यन्त्रीकरण द्वारा सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।
- पशु जनसंख्या - बढ़ते मशीनीकरण ने पशुओं को बेकार बना दिया है तथा किसानों के लिए इनको पालना चिन्ताजनक हो गया है।
- विस्तृत सेवा: खेतों के उपकरणों के सक्षम उपयोग के लिए शिक्षा व प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके साथ ही उपयुक्त मशीनरी की भी जाँच होनी चाहिए।
- पूँजी निवेश, परिचालन व रखरखाव लागत - छोटे व सीमांत किसानों के पास वर्ष के विशेष महीनों में ही धन की आमद होती है| अत: उनके पास पूंजी सीमित मात्रा में और सीमित समय पर ही उपलब्ध होती है ।

भविष्य में उठाये जाने वाले कदम -

- एक विधायी व ढाँचागत फ्रेमवर्क विकसित करना जो कस्टम हायरिंग(किराये पर उपलब्धता) सेवाओं को प्रोत्साहित करे जिससे कृषि उपकरणों का बेहतर उपयोग करने की क्षमता प्राप्त हो।
- भूमि की चकबंदी को बढ़ाना व फार्म मशीनरी का अच्छा उपयोग करने के लिए भूमि के लीज पर दिए जाने संबंधी बाज़ार का विकास करने हेतु ढांचा तैयार करना।
- विभिन्न प्रकार की मृदा, विभिन्न आकार के खेत व विविध फसलों के लिए उपयुक्त मशीनरी के विकास तथा उसका डिजाइन तैयार के लिए शोध पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- कृषि उपकरणों के क्षेत्र में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये शोधकार्य का व्यापारीकरण करने पर ध्यान देना अर्थात किये हुए शोध को बाजार में मूर्त रुप देना।
- कृषि उपकरणों के मानकीकरण व गुणवत्ता नियंत्रण पर ध्यान देना ताकि उनके उपयोग को बढ़ाया जा सके और किसानों के हित की रक्षा की जा सके।
- 4 हैक्टेयर से कम भूमिधारक छोटे किसानों पर ध्यान देना, जिनके पास ट्रेक्टर है किन्तु उसके आर्थिक उपयोग का कोई आधार नहीं है।
- ग्राम स्तर पर कृषि मशीनरी को सहकारी आधार पर चलाना।
- छोटे किसानों को पुराने ट्रक्टरों के लिए ऋण सुविधा देना।

VISION IAS

- अलग-अलग प्रकार की भूमि रखने वाले किसानों को उनके लिए उपयुक्त मॉडल, हार्सपावर आदि विभिन्न सुविधाओं के बारे में सलाह देना।

देशी मेडिकल चिकित्सा तंत्रों के मानकीकरण व प्रमाणीकरण की आवश्यकता:

- अधिकांश देशों जिनमे यू.एस.ए. आस्ट्रेलिया तथा कई यूरोपीय राष्ट्र आदि शामिल हैं, में आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी पद्धति को चिकित्सा के तंत्र के रुप में मान्यता नहीं मिली है। अत:इस चिकित्सा प्रणाली के प्रयोग तथा इनके उत्पादों/दवाओं के बाजारीकरण को लेकर काफी समस्या हैI
- इन्हें उद्योगों के द्वारा कई देशों में फूड सप्लीमेंट व पोषक तत्वों के रुप में निर्यात किये जाते हैं क्योंकि ये आयातक देशों की नियामक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते है।

इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार ने क्या किया है?

- सरकार ने भारतीय औषधी व होम्यापैथी के लिए औषधीय आयोग (pharmacopoeia commission)तथा आयुर्वेद सिद्ध व यूनानी दवाओं के मानक विकसित करने के लिए औषधीय(pharmacopoeia) समिति की स्थापना की है।
- आयुर्वेदिक, सिद्ध व यूनानी दवाओं के गुणवत्ता मानकों का जिसमें भारी धातु, कीटनाशक अवशेषो अल्फाटायसिन आदि की स्वीकृत सीमा का उल्लेख भी होगा से संबंधित समस्त विवरण संबंधी औषधशास्त्र व उतपाद निर्माण की उत्तम परम्परा संबंधी निर्देशों के अन्तर्गत GMP (Good Manufacturing Practices) प्रकाशित किया जा रहा है ।
- निर्यात बढ़ाने हेतु एक केन्द्रीय योजना लायी गयी है ।इसके अन्तर्गत आयुर्वेदिक सिद्ध व यूनानी दवा उद्योग विदेशों में अपने उत्पादों का पंजीकरण कराने, दवाईयों के निर्माण में तथा अन्तर्राष्ट्रीय मेलों व प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।

जन औषधीय योजना:

यह क्या है: जन-औषधीय

यह भारत सरकार की योजना है। इसमें उत्तम गुणवत्ता की गैर-ब्राण्डेड व कम कीमत की जैनेरिक दवाएँ जन औषधीय स्टोर के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगीं । ये दवाएं ब्राण्डेड दवाओं की तुलना में कम कीमत की होगी परन्तु ये गुणवत्ता, प्रभावोत्पादकता तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से ब्राण्डेड दवाओं के समान ही होगीं।

रसायन व उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अंतर्गत आने वाली द ब्यूरो आफ़ फार्मा पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्स आफ इण्डिया (BPPI), सन् 2008 से ही उत्तम गुणवत्ता की जैनेरिक दवाओं को जन औषधि दवाओं के नाम से वहनीय कीमतों पर बेच रहा है। इस योजना में और अधिक दवाओं को जोड़कर इसे पुन: प्रारंभ किया गया है।

लक्ष्य: इस योजना का लक्ष्य मुख्य तौर पर गरीब व वंचित लोगों को फोकस करते हुए, सभी को वहनीय कीमतों पर उत्तम गुणवत्ता वाली दवाएँ उपलब्ध कराना है।

जन-औषधीय योजना में सुधार के लिए उठाए गए कदम:

- गुणवत्ता निर्धारण हेतु बेचने से पहले दवाओं के प्रत्येक बैच के सैम्प्ल को एन.ए.बी.एल.(NABL) अनुमोदित प्रयोगशाल में परीक्षा कराया जाएगा।
- दवाओं की नियमित एवं पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु सी.पी..एस.यू.(CPSU), बी.पी..पी..ई.(BPPI) के अलावा निजी क्षेत्र की कम्पनियों से भी दवाओं की सीधी खरीद की जाए।
- बिक्री का दायरा बढ़ाने व समाज के सभी वर्गों तक अपनी पहुँच को विस्तृत करने में जन-औषधी दवाओं को निजी दुकानदारों को बेचने की अनुमति देने का फैसला किया गया है।
- दवाओं की स्टोर/स्टाक में उपलधता के उस समय जाँचने हेतु एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रबंधन तंत्र लगाया गया है।

भविष्य में उठाये जाने वाले कदम:-

- कम कीमत की जैनेरिक दवाओं को सरकार अपना ब्राण्ड बनाकर बेचेगी।
- इस पहल के अन्तर्गत सरकार सार्वजनिक व निजी दवा निर्माण कारखानों से बड़े पैमाने पर दवाएँ खरीदकर जन औषधी नाम से बेचेगी।
- इसे खुदरा बाजार मे प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेचा जाएगा जिसमें उपभोक्ता के पास सस्ता व गुणवत्ता पूर्ण सरकारी उत्पाद खरीदने का विकल्प होगा।
- शुरुआत में सरकार ने 504 जरुरी दवाओं को चिन्हित किया है । इसमें हृदय संबंधी रोगों, श्वसन, डायबीटिज तथा पेट संबंधी रोगों के इलाज हेतु जरुरी एंटीबायटिक्स, पेन-किलर, विटामिन व अन्य दवाएँ शामिल है।

प्रतिरुपों का डिजीटलिकरण : (Digitisation of Specimens: ZSI):

- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) ने अपने लाखों प्रतिरुपों का डिजीटलिकरण करने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है।
- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत में 96,000 प्रजातियों को चिन्हित किया हैI वैश्विक जैव-विविधता के 7-8 प्रतिशत उपलब्धता के कारण भारत को मेगा-डाइवर्सिटी देश के तौर पर जाना जाता हैI
- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का कहना है कि भारत में 96,000 प्रजातियों को चिन्हित किये जाने बाद भी देश की जैव विविधता का केवल 10% तथा परितंत्र के 50% प्रजातियों का ही अन्वेषण किया गया है।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI)

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण प्राणियों के संबंध में शोध व अध्ययन से संबंधित उत्कृष्ट भारतीय संस्थान है। इसकी स्थापना सन् 1916 में भारत में प्राणी (fauna) के सर्वेक्षण व शोध को प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी।

लक्ष्य व कार्य:-

- प्राणी संसाधनों (faunal) का सर्वेक्षण व अन्वेषण,
- वर्गीकरण अध्ययन: भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिक संपूर्ण भारत में जानवरों के अन्वेषण, नामकरण, वर्गीकरण व लेखा-करण से जुडें हुए हैं,
- संकटग्रस्त प्रजातियों का सर्वेक्षण,
- फौना (fauna) आफ इण्डिया का प्रकाशन,
- राष्ट्रीय प्राणी संकलन का रखरखाव व विकासI

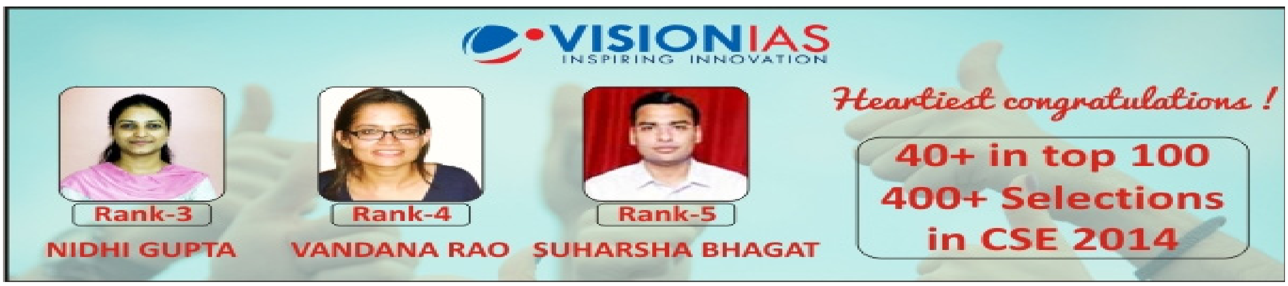

VISION IAS

ई-ब्रिज पोर्टल :

मुख्य बिन्दु:

ई-ब्रिज़ पोर्टल, इज ऑफ़ डूइंग बिज़नस में भारत के रैंकिंग में सुधार हेतू शुरू की गयी एक गवर्नमेंट टू बिज़नस (G2B) पोर्टल है।

ई-ब्रिज प्लेटफार्म एक सिंगल विण्डों पोर्टल के रुप में कार्य करते हुए विभाग केन्द्रित दृष्टिकोण को उपभोक्ता केन्द्रित बनाकर सक्षम सेवा प्रदान करता है।

ई-ब्रिज एकीकृत सेवा प्रोजेक्ट में से एक है तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NEGP) के 27 मिशन-मोड परियोजनाओं का एक भाग है।

चर्चा में क्यों:

केन्द्र सरकार ने 11 सेवाओं को ई-ब्रिज पोर्टल पर शुरु करने की घोषणा की है। ये सेवायें देश में व्यापार शुरु करने के लिए जरुरी हैं।

ई-ब्रिज पोर्टल पर 11 सेवाओं के एकीकरण के लाभ:-

- वर्तमान में कोई व्यवसायी इन सेवाओं को या तो संबंधित मंत्रालय/विभाग के पोर्टल से अथवा भौतिक आवेदन प्रस्तुत करके प्राप्त कर सकता है।
- ई-ब्रिज पोर्टल पर इन सेवाओं के एकीकरण से कोई भी इन सभी सेवाओं को 24 घंटे आनलाइन प्राप्त कर सकता हैI आवेदनों का आनलाइन जमा किया जाना, भुगतान, अनुलग्नक, स्टेटस की जानकारी तथा लाइसेंस/परमिट आदि इस पोर्टल से प्राप्त किये जा सकते है।
- इससे पारदर्शिता आएगी, क्षमता में सुधार होगा व सुविधा बढ़ेगी।

मार्स वन

मार्स वन नीदरलैण्ड आधारित एक गैर लाभकारी संगठन है, जिसने मंगल ग्रह पर पहला मानव भेजने तथा वर्ष 2025 तक एक मानव बस्ती स्थापित करने की योजना बनायी है।

योजना:-

- यह एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य मंगल पर मानव के स्थायी आवास का निर्माण करना है।
- इस मिशन की योजना वर्ष 2025 में वन-वे-ट्रिप के द्वारा शुरुआत में चार अन्तरिक्ष यात्रियों को भेजने की है, जहाँ वे जीवन पर्यन्त अपनी स्थायी मानव बस्ती बनायेंगे।
- स्थायी बस्ती हेतु मार्स वन योजना के तहत चयन तथा 8 वर्ष के प्रशिक्षण देने का कार्य किया जायेगा।
- मंगल ग्रह पर पहली यात्रा (जिसमें चार व्यक्ति होंगे) वर्ष 2024 मे प्रारंभ होने का अनुमान है तथा यह लगभग 8 माह में समाप्त होगी। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद दूसरे यात्री जाएगें। जब तक कि सभी 24 मंगल पर नहीं पहुँच जाते है।

आलोचना: प्रोजेक्ट के कार्यक्रम, तकनीकी तथा वित्तीय व्यवहार्यता के साथ-साथ इसकी नैतिकता की भी आलोचना वैज्ञानिकों इंजीनियरों तथा एयरोस्पेस उद्योग से जुड़े लोगों के द्वारा की गयी।

खबर में क्यों ?

- मार्स वन अन्तरिक्षयात्री चयन प्रक्रिया की दूसरी बारी हेतु प्रारंभिक 2,02, 586 प्रत्याशियों में से मात्र 100 चयन किया गया।
- तीन भारतीय जिनमें से दो महिलायें व एक पुरुष है, उन्होंने मिलकर 100 आवेदकों की सूची बनायी है | यह एक महत्वकांक्षी प्राइवेट मिशन है | इसका उद्देश्य वन-वे-ट्रिप के द्वारा चार व्यक्तियों को सन् 2024 में मंगल पर भेजना है

भारत: 18% रैप्टर्स का निवास:-

- रैप्टर्स की 106 प्रजातियां भारत में पायी जाती हैं, जिन्हें प्रमुख रुप से 'शिकारी पक्षी' भी कहा जाता है। मुख्यत: दो प्रकार के रैप्टर्स होते है- दिवाचर (diurnal) तथा निशाचर (nocturnal)।
- विश्व के दिवाचर शिकारी पक्षियों की 333 प्रजातियों में से 101 प्रजातियाँ इण्डो-मलाया क्षेत्र में पायी जाती हैं।
- भारत के जैव-भौगोलिक क्षेत्रों के विभिन्न आवासों में चील, गिद्ध, बाज, गरूड, हेरियर्स, फाल्कन आदि की 69 प्रजातियाँ पायी जाती है।

रैप्टर्स की भूमिका -

- पारिस्थितिक स्वास्थ्य के लिए बैरोमीटर के रुप में।
- संतुलन स्थापित कर महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाने में।
- कृतंक (rodents) व अन्य छोटे स्तनधारियों की जनसंख्या को नियंत्रित करने में।

ई.यू.सी.एन.(IUCN)की लाल सूची (red list)

- इन रैप्टर्स में से भारतीय व्हाइट-बैक्ड वल्चर (गिद्ध), स्लेण्डर बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर तथा जंगली उल्लू (फारेस्ट आवुलेट) अत्यधिक संकटग्रस्त (critically endangered) श्रेणी में आते हैं।
- इजिप्टीयन वल्चर व सेकर (शिकारी बाज) ई.यू.सी.एन. की लाल सूची में "संकटग्रस्त" (endangered) जीवों की सूची में शामिल हैं।

परिणाम:-

प्राकृतिक जीव अपवहन तंत्र (natural animal disposal system) में अचानक गिरावट आ जाने के कारण भारत में इसके स्पष्ट व विभिन्न परिणाम हुए :-

- गिद्धों के द्वारा खाये जाने वाले शव अब गाँवों में सड़ते रहते हैं, इससे पीने का पानी गंभीर रुप से दूषित हो रहा है।
- गिद्धों की विलुप्तता के कारण दूसरी अन्य प्रजातियाँ जैसे चूहे व जंगली कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि इससे इन

VISION IAS

अपमार्जकों (scavengers) की बाहुल्यता हुई है किन्तु ये गिद्धों के समान सक्षम नहीं हैं।

- गिद्धों का उपापचय की प्रक्रिया में रोगजनक कारक अंतिम रूप से अपना प्रभाव खो देते है । किन्तु कुत्ते व चूहे रोगजनकों के वाहक होते है इसीलिए ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से हजारों मानव मृत्यु का कारण होता है

पर्यावरण, वल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - विकास के लिए बाधा या सुगमता:

आरम्भ विभाग के रुप में पर्यावरण व वन मंत्रालय 1980 में शुरु हुआ तथा 1985 में भारत की स्टॉकहोम में होने वाली मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक मे भागीदारी के बाद एक मंत्रालय के रुप में गठित हुआ।

पर्यावरण बनाम विकास देश के अब एक महत्वाकांक्षी विकास मार्ग पर चलने के कारण पर्यावरण व विकास के बीच वाद-विवाद और अधिक बढ़ गया है।

- ये आशंकाएँ व्यक्त की जा रही हैं कि नयी सरकार , नई परियोजनाओं को जल्दी अनुमति देने के लिए विधानों में नरमी ला सकती है।
- कई सामाजिक समूह संगठन व गैर सरकारी संगठनों ने आरोप लगायें हैं कि सरकार उनके मतभेदों को प्रतिबंधित कर रही है तथा उन्हें (सामाजिक समूह संगठन व गैर सरकारी संगठनों) को आर्थिक विकास में बाधा के रुप में प्रस्तुत कर रही है।
- भूमि अधिग्रहण कानून व खनन व खनिज कानून में अध्यादेश लाकर परिवर्तन करने से यह भय उत्पन्न हो गया कि पर्यावरण कानूनों में भी इसी प्रकार का अध्यादेश लाकर परिवर्तन किया जा सकता है।
- पर्यावरण संरक्षण व लोगों की आजीविका शक्तिशाली औद्योगिक लॉबी के आगे बौनी साबित हुई है।

लोगों को खतरा

- पूरे देश में इन परियोजनाओं के विरूद्ध संघर्ष हो रहा है जिससे -
- लोगों के विस्थपित होने का खतरा है।
- वन अधिकार कानून के लचीले होने का खतरा है।
- लोगों की जमीन व आजीविका के खत्म होने व उन्हें दूसरा कोई विकल्प न देने का खतरा है।
- पूर्वोत्तर भारत जिसको नीति-निर्माताओं ने उपेक्षित किया था वही अब बड़े विद्युत परियोजनाओं के विरूद्ध संघर्ष का केन्द्र बन गया है।

कानून समीक्षा: उच्च स्तरीय समिति (HLC)

- पिछले वर्ष अगस्त में पर्यावरण मंत्रालय ने छ: पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है ।
- उच्च स्तरीय समिति ने नया पर्यावरण कानून (Act) प्रस्तावित किया जिसमें नये दण्डनीय अपराधों को बताया गया हैI वे आवेदक जो पर्यावरण परियोजना का क्लीयरेन्स चाहते है उन्हें ईमानदार व विश्वसनीय होना अनिवार्य बताया गया है व "एटमोस्ट गुडफेथ" की नई अवधारणा प्रस्तुत की गई है।
- उच्च स्तरीय समिति (HCL) ने राष्ट्रिय हरित न्यायाधिकरण (NGT) की भूमिका में कटौती की बात की है, जिससे न्यायाधिकरण केवल अपीलीय बोर्ड के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा करने का ही अधिकार रखेगा।
- इसने नये पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना तथा कुछ नयी ऐजेंसी के गठन का प्रस्ताव रखा है I जैसे - राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण व राज्य स्तर पर राज्य पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थान लेगें।

रिपोर्ट की आलोचना

- रिपोर्ट में उद्योगों को अधिक महत्ता देकर संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया गया है, जिसमें स्वच्छ वायु, जल व संतुलित परितंत्र का अधिकार है।
- आलोचक बताते हैं कि उच्च स्तरीय समिति ने "सामरिक" तथा "राष्ट्रीय महत्व" की परियोजनाओं पर जनता से राय न लेने की बात कही है।
- ऊर्जा क्षेत्र तथा कोयला खनन परियोजनाओं को 'विशेष प्रक्रिया' के द्वारा त्वरित रुप से पूरा किया जाएगा जो जनता की राय व ग्रामसभा द्वारा अनुमोदन के सिद्धांत को ख़त्म कर सकता है।
- पर्यावरण, पुर्नस्थापन व पुनर्वास जैसे मुद्दे की जनसुनवाई की जा सकती है, यद्यपि वर्तमान में पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA) अधिसूचना 2006 में इस जनसुनवाई की प्रक्रिया में सभी व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी गई है।
- रिपोर्ट में यह माना गया है कि जो तथाकथित पर्यावरणविद् हैं वे विकास को अवरूद्ध करते हैं। अत: रिपोर्ट "वास्तविक जनभागीदारी"शब्द का प्रयोग करती है इसका का अर्थ यह निकलता है कि अभी तक चल रही जनसुनवाई सही नहीं थी।

विकास से विस्थापित लोग:-

- मध्य प्रदेश में बर्गी बाँध के कारण किसानों को विस्थापित किया गया है । बैगा लोगों को जंगल से निकाल दिया गया, जहाँ वे कभी समृद्ध हुआ करते थे । मछुआरे जीवन के लिए संघर्ष कर रहे है तथा अन्य उदाहरण भी है।
- इसी के साथ जलवायु द्वारा विस्थापित लोगों की एक नई पीढ़ी शुरु हुई है; जो समुद्र स्तर में वृद्धि, फसल प्रारुप में परिवर्तन तथा जलवायु आपदाओं से प्रभावित है।

विश्लेषण:- धारणीय विकास समय की आवश्यकता हैI भारत को विनिर्माण का केन्द्र बनाने के लिए हम हमारे समृद्ध परितंत्र को खत्म नहीं कर सकते।

- सरकार को उन वर्तमान विधानों में नरमी नहीं बरतनी चाहिये जो न केवल पर्यावरण को बचाते हैं बल्कि कमजोर लोगों को आजीविका भी प्रदान करते हैं।
- सरकार को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करना चाहिये ताकि लम्बित परियोजनाओं को कानून के अनुसार स्वीकृति दी जा सके।
- सामाजिक प्रभाव आंकलन (SIA) तथा पर्यावरण प्रभाव

VISION IAS

आंकलन (EIA) के प्रावधानों को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए।

- धारणीय विकास के लिए गंभीर संकल्प, स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण तथा त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है।
- यदि विश्व को जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों से बचाना है तो विज्ञान द्वारा सुझाये गये कार्यों को त्वरित करने की आवश्यकता है।

कार्बन डिस्क्लोज़र प्रोजेक्ट (CDP) : रिपोर्ट :-

- कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट यूनाईटेड किंगडम में अवस्थित एक संगठन है, जो बड़े निगमों के ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन को बताने के लिए शेयर होल्डर व निगमों के साथ मिलकर काम करता है।

आपूर्ति श्रृंखला निरंतरता ; राष्ट्र सापेक्षिक तुलना (Supply Chain Sustainability Revealed: A country comparison) नामक रिपोर्ट कार्बन डिस्क्लोज़र प्रोजेक्ट ने जारी की हैI रिपोर्ट में 11 बड़े बाजारों के 3400 बड़े आपूर्तिकर्ताओं से एक प्रश्नावली का जवाब देने को कहा गया जिसमें उनसे पूछा गया कि वे जलवायु व जल के जोखिम को किस प्रकार संभालते हैI इसने इसे (CDP) वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जलवायु जोखिम पर सबसे बड़ा वर्तमान आंकडों का संग्रह करने वाला बना दिया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु: -

- जलवायु परिवर्तन जोखिम की स्थिति में ,यूरोप व जापान की तुलना में तैयारी की कमी ने ब्राजील, चीन, भारत तथा अमेरिका में आपूर्ति श्रृंखला को सुभेद्द बना दिया है।
- फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन व जर्मनी के पास सर्वाधिक विकसित व धारणीय आपूर्ति श्रृंखला है। जापान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आपूर्तिकर्ताओं के पास उच्च जलवायु जोखिम से लड़ने के लिए बेहतर उपकरण है।
- रिपोर्ट बताती है कि चीन व भारत के आपूर्तिकर्ता उनके ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन को घटाने के लिए किये गये निवेश पर अत्यधिक आर्थिक लाभ देते हैं।
- रिपोर्ट कहती है कि भारतीय उद्योगों को जलवायु परिवर्तन के जोखिम से बचने के लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता है।
- यद्यपि भारतीय आपूतिकर्ता कार्बन डिस्क्लोज़र प्रोजेक्ट आपूर्ति श्रृंखला प्रश्नावली का जवाब दे रहे हैं, तथापि उनका प्रकटीकरण एवं प्रदर्शन पिछले 2 वर्षों में घट रहा है।
- बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के उत्सर्जन घटाने के प्रयासों में अच्छे ढंग से शामिल हो सकती हैं तथा भारतीय आपूर्तिकर्ता अपने वैल्यू चेन सहयोगियों को उत्सर्जन घटाने संबंधी पहल में सक्रिय भूमिका अदा कर सकते हैं।
- निम्न कार्बन ऊर्जा तथा उत्सर्जन कटौती से संबंधित पहलों में वृद्धि हुई है।

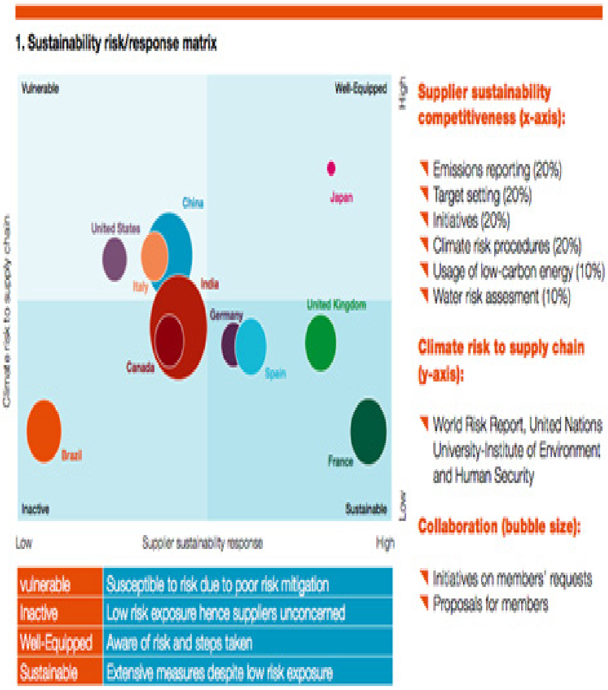

उत्सर्जन के प्रकार - स्कोप 1, 2, व 3

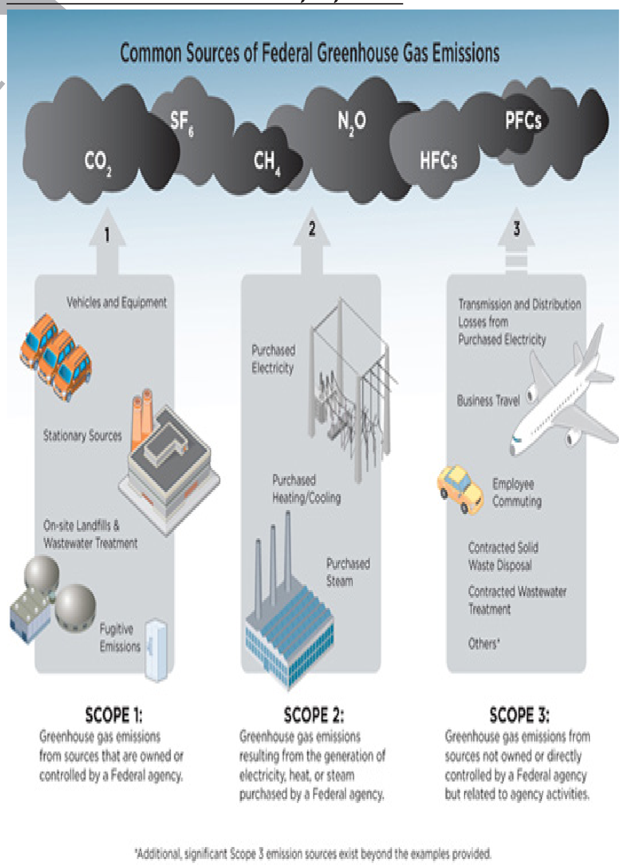

प्रारंभिक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को दो भागों प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष

©Vision IAS

में बाँटा गया है। ग्रीन हाऊस गैस प्रोटोकाल में इन्हें निम्न रुप से परिभाषित किया गया है।

- उन स्रोतों से उत्सर्जित ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन को ,प्रत्यक्ष ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन कहा जाता है जो रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित होता है।
- अप्रत्यक्ष ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन वे हैं, जो रिपोर्टिंग प्राधिकरण की गतिविधियों का परिणाम होते हैं किन्तु किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित होते हैं ।
- इन दोनों उत्सर्जनों को आगे तीन बड़े स्कोप में विभाजित किया गया है जो उत्सर्जन के स्रोत पर आधारित हैं । इससे उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारण मे सहायक मिलेगीI

स्कोप 1, 2 तथा स्कोप 3, उत्सर्जन प्रकार:

- स्कोप 1: सभी प्रत्यक्ष ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन
- स्कोप 2: खरीदी गई बिजली, ऊष्मा या भाप के उपभोग से उत्सर्जित अप्रत्यक्ष ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन
- स्कोप 3: अन्य प्रत्यक्ष उत्सर्जन जैसे खरीदी गयी वस्तुओं का ईंधन का उत्पादन, रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित न किये जाने वाले वाहनों की यातायात संबंधी गतिविधियाँ, स्कोप 2 में शामिल न होने वाली विद्युत संबंधी गतिविधियाँ, आउटसोर्सिंग गतिविधियाँ, कचरा निस्तारण आदि।

संस्कृति

मुद्रा भवन (CURRENCY BUILDING)

कलकत्ता में आगरा बैंक परिसर के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतू 1833 ई. में मुद्रा भवन बनाया गया था और बाद में भारत सरकार ने आवास और कागजी मुद्रा जारी करने के लिए इमारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। यह भवन 1937 ई. तक भारतीय रिजर्व बैंक के पहले कार्यालय के तौर पर कार्य करता रहा। कलकत्ता के डलहौजी स्क्वायर को छोड़ दें तो यह इतालवी वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है।

उपेक्षा के वर्ष: अद्भुत पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के बावजूद, इस भवन को वर्षों तक उपेक्षा का सामना करना पड़ा। इस पुनर्निर्मित भवन को दुर्लभ पुरातात्विक मूर्तियों के लिए एक संग्रहालय के तौर पर विकसित करने की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) की योजना है।

ग्रामीण भारत अन्वेषण (EXPLORE RURAL INDIA)

पर्यटकों के ठहरने के स्थान को और विस्तारित करने तथा स्थानीय ग्रामीणों के लिए आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'अतुल्य भारत' मिशन के उप-ब्रांड के तहत 2008 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 'ग्रामीण भारत अन्वेषण ' की शुरूआत की थी।

- विभिन्न ग्रामीण गतिविधियों में शामिल होकर तथा स्थानीय लोगों के मूल क्षमताओं को देख कर पर्यटकों को ग्रामीण जीवन के अनुभव से परिचित कराना ही ग्रामीण भारत अन्वेषण का मूल उद्देश्य है।
- केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के ग्रामीण पर्यटन योजना के एक विवरण के अनुसार, 'शहरीकरण से दूर जाने की इच्छा' और प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत, संस्कृति तथा पर्यावरण में बढ़ती रुचि ने ग्रामीण पर्यटन के विकास में मदद की है।
- ऑरोविले के करीब पुदुचेरी का एलनकुप्पम (Alankuppam) गांव शिल्प में अपनी विशेषज्ञता के कारण ग्रामीण पर्यटन हेतू पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2011 में चिन्हित स्थानों सूची में शामिल था।
- वर्ष 2015- 16 के लिए विकेंद्रीकृत सहयोग के समर्थन में संयुक्त भारत-फ्रांस परियोजनाओं के लिए दुसरे चरण के तहत पुडुचेरी सरकार और इले-एट-वीलाने (ब्रिटनी क्षेत्र, फ्रांस) प्रशासन के बीच एलनकुप्पम ग्रामीण सर्किट विकसित करने के लिए यह परियोजना पुडुचेरी में सरकार की प्रथम ग्रामीण पर्यटन परियोजना है।

दक्षिण-पूर्वी देशो इंडोनेशिया तथा मलेशिया में भारतीय प्रदर्शनी

इंडोनेशिया और मलेशिया में भारतीय त्योहारों के उत्सव के भाग के रूप में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाली स्वायत निकाय राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) द्वारा विकसित दो यात्रा प्रदर्शनियों 'सिल्वर स्क्रीन पर जीवन: दिलचस्प भारतीय सिनेमा की कहानी' तथा 'डिजिटल भारत का उदय' ('Life on the Silver Screen: The Fascinating Story of Indian Cinema' and 'The Rise of Digital India') का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM)

- 4 अप्रैल 1978 को गठित राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM), संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाली एक स्वायत्त निकाय है।
- इसका मुख्यालय कलकत्ता में है तथा इसका देश भर में 25 विज्ञान संग्रहालयों/केंद्रों का नेटवर्क हैI केंद्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला (CRTL), जो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् के अंतर्गत आता है, का मुख्यालय कलकत्ता में है।
- राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् के तहत दुनिया में विज्ञान केन्द्रों और संग्रहालयों का सबसे बड़ा नेटवर्क है।

वनज 2015

- वनज 2015: यह राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है, जिसका प्रथम आयोजन वर्ष 2015 में हुआ।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा देश भर से आदिवासी लोगों की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए एक सप्ताह तक चलने वाले इस महोत्सव का पहली बार आयोजन किया गया

पवित्र वन (SACRED GROOVES)

पवित्र वन, स्थानीय समुदायों द्वारा उनके पैतृक आत्माओं या देवताओं को समर्पित प्राकृतिक या लगभग प्राकृतिक वनस्पति के हिस्से (patches) हैं।

केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और तमिलनाडु में विशेष रूप से पवित्र वनों की बहुतायत है।

स्थापित पवित्र वनों/उपवनों में शामिल हैं-

- कावा (Kaava) - केरल,
- मव बुखर (Maw-Bukhar)- मेघालय,
- उमंगली (Umanglai)- मणिपुर,
- ओरण (Oran)- राजस्थान,
- राजबंशी (Rajbanshi)- पश्चिम बंगाल,
- रना (Sarna)- छत्तीसगढ़,
- कोवीलकाडू(KovilKadu)- तमिलनाडु,

VISION IAS

- देवराई (Devarai)- महाराष्ट्र

इन्हें संरक्षित किये जाने की आवश्यकता क्यों है?

- औद्योगिकीकरण और वैश्वीकरण ने काफी हद तक जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित किया है।
- जैव विविधता के क्षरण के प्रतिकूल प्रभावों के दृष्टिकोण से तथा जैव विविधता के संरक्षण के वैश्विक महत्व को ध्यान में रखते हुए इनका संरक्षण एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।

महत्वपूर्ण पवित्र वन

- सरना: छोटानागपुर पठार (झारखंड) और छत्तीसगढ़ में पवित्र वनों/उपवनों का उल्लेख करने के लिए सरना शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह गाँव के प्राकृतिक सीमा के अंदर ग्राम समुदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र होता है जहाँ ग्राम देवता का निवास स्थल होता है। यह प्रकृति पूजा से जुड़ा हुआ हैI
- राजबंशी: राजबंशी वैष्णव समुदाय से जुड़े लोग हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। ये बांस के पेड़ों का बहुत आदर करते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण की बांसुरी भी बांस की बनी होती हैI यहीं कारण है कि राजबंशी समुदाय का पवित्र पेड़ बांस है। बाउल लोक गीत मानव जीवन में बांस के महत्व का स्मरण दिलाते हैं।
- उमंगली: ये मणिपुर के पवित्र वन हैं। मणिपुर के प्रमुख आदिवासी नृत्यों में शामिल है- लाइ-हराओबा, शिम लम और थांग-टा नृत्य।

'भारत के रंग'

'भारत के रंग', केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से उत्तर-पूर्वी राज्यों के सांस्कृतिक प्रदर्शन का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मणिपुर, असम और मेघालय के कलाकार लोक नृत्य और जनजातीय नृत्यों का प्रदर्शन करते हैं।

मणिपुर का कबुई एवं ढोल चोलम नृत्य (Kabui and Dhol Cholam Dance)

- कबुई मणिपुर के पश्चिमी पहाड़ी श्रृंखलाओं में रहते हैं। गंग-नगई (Gang-Ngai) त्योहार के दौरान कबुई लोग बड़े ढ़ोलक और अनिमेष गीतों की ध्वनि के साथ विशिष्ट शैली रूपों में नृत्य की एक श्रृंखला का प्रदर्शन करते हैं।
- हाथों में धारदार हथियार लिए लड़के, पारंपरिक वेशभूषा में लिप्त लड़कियों के साथ एक वर्ग के चारो ओर घुमते हैं।
- शिम लाम नृत्य और किट लाम नृत्य कबुई नागाओं के कुछ प्रमुख नृत्य हैं। शिम लाम नृत्य को उड़न नृत्य (fly dance) के रूप में भी जाना जाता है।

असम का बिहू नृत्य

- युवा पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है ।
- इसकी विशेषताएं हैं- फुर्तीली नृत्य मुद्राएं अर्थात तेज नृत्य कदम, हाथों की तीव्र गति और लयबद्ध कूल्हे, बाजू तथा कलाईयां हिलाना।
- तीन बिहू त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण रंगीन वसंत महोत्सव अर्थात "बोहाग बिहू" या 'रंगाली बिहू' है जो अप्रैल माह के मध्य में मनाया जाता है। तीन बिहू/त्योहारों में शामिल है- बोहाग (वसंत), माघ (सर्दियों में) तथा काती (शरद ऋतू) बिहू।

बसंत रास (मणिपुर का नृत्य नाटक)

बसंत रास लीला मणिपुर शास्त्रीय नृत्य का एक प्रतीक है जिसमें कृष्ण और राधा तथा कृष्ण के लिए गोपियों की भक्ति का उदात्त और दिव्य प्रेम का प्रदर्शन होता है।

सिक्किम का घंटू (Ghantu) लोक नृत्य

- घंटू लोक नृत्य सिक्किम के गुरुंग समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। यह प्राचीन लोक नृत्य सिक्किम के लोगों की रंगीन जीवन शैली को दर्शाता हैI यह नृत्य पारंपरिक वेशभूषा और टोपी पहन युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है।
- घंटूनाच अथवा घंटू लोक नृत्य महोत्सव माघ माह में माघ पंचमी (जनवरी के अंत में) तथा बैसाख पूर्णिमा (अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में) के समय किया जाता है। पारंपरिक घंटू पोशाक और गुरुंग पोशाक, आभूषण तथा विशेष टोपी पहन कर इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है।

जल्लीकटू (JALLIKATU)

- जल्लीकटू, मट्टू पोंगल के दिन पोंगल त्यौहार के दौरान तमिलनाडु में मनाया जाने वाला सांडो की लड़ाई का एक खेल (bull taming sport) है।

जल्लीकटू के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- पशु अधिकार को मान्यता देते हुए तथा 'अनकही क्रूरता' को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों में त्योहारों के दौरान आयोजित की जाने वाली देश की सदियों पुरानी जल्लीकटू-बैलों की लड़ाई तथा बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायलय के जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने पशु अधिकारों को "संवैधानिक अधिकार" दिए जाने का समर्थन किया है।

जल्लीकटू का इतिहास:

400 साल पुराने 'नायक पत्थर' (hero stone) जिसपर तमिल भाषा में जल्लीकटू के बारे में लिखा हुआ है, इस खेल का ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS